खण्ड-233, अंक-9
गुरूवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(6 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५९–१०६३
प्रश्नोत्तर	१०६३–११०४
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां	११०४–११०६
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया)	११०७
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	११०७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	११०७–११०८
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	११०८
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी) ..	११०८–११५४
नत्थियां	११५५–११७५

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार ६ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७२

अक्षैबरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उस्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री

प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेंजनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री

शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—[हटा दिया गया]।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

विलीन काशी राज्य के सरकारी कर्मचारी

*१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि विलीन काशी राज्य के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो आज उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं? क्या सरकार उपरोक्त आंकड़े विभागों के सहित देने का कष्ट करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस विषय में अब तक प्राप्त सूचनानुसार इस समय विलीन काशी राज्य के ८२७ कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं । इन कर्मचारियों की विभागानुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११५५ पर)

*२—श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या विलीन काशी राज्य के सभी कर्मचारी जो उत्तर प्रदेशीय सरकार में काम कर रहे हैं वे सभी स्थायी किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । कुछ कर्मचारी अस्थाई हैं । इस के विभिन्न कारण है जैसे :—

(१) वे पद जिन पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं का अस्थाई रूप, अथवा

(२) कर्मचारी का कार्य तथा आचरण संतोषजनक न होना, अथवा

(३) किन्हीं कर्मचारियों के संबंध में स्थाईकरण के लिये लोक सेवा आयोग की विरुद्ध सिफारिश ।

(४) Seniority के अनुसार स्थाईकरण के लिये इनका नम्बर न आना, इत्यादि ।

*३-४—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—[हटा दिये गये ।]

[६ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*१-३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद तथा वाराणसी में बिजली पर प्रतिबन्ध तथा रिहन्द विद्युत् योजना

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इलाहाबाद तथा वाराणसी में लगे हुये बिजली के प्रतिबन्धों को उठाने पर विचार कर रही है क्योंकि उपरोक्त दोनों स्थानों में बहुत से उद्योगों को प्रतिबन्धों की वजह से चलाने में कठिनाईयां हो रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इलाहाबाद तथा वाराणसी में बिजली वितरण पर से प्रायः सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं । केवल 'पीक आवर्स' में बिजली देने पर प्रतिबन्ध है । इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में यह प्रतिबन्ध भी नहीं है । इस के अतिरिक्त इलाहाबाद तथा वाराणसी को बिजली कम्पनियों को १० हार्स पावर तक तथा यहां के जिलाधीशों को २५ हार्स पावर तक बिजली देने के अधिकार दे दिये गये हैं।

*५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि रिहन्द विद्युत् योजना से जो बिजली उत्पादित हो रही है उससे वाराणसी तथा आस-पास के जिलों के कुछ गांवों को विद्युतीकरण कर दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि रिहन्द विद्युत्-गृह में कितने लागत पर १ यूनिट बिजली पैदा हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी रिहन्द प्रोजेक्ट के एकाउन्ट्स बन्द नहीं हुये हैं इसलिये बिजली पैदा होने की ठीक-ठीक लागत नहीं निकाली जा सकती ।

इलाहाबाद क्षय अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने की योजना तथा टी० बी० अस्पतालों को अनुदान

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—प्रश्न संख्या २७, २८, दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ के उत्तर के संदर्भ में स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के क्षय रोग के अस्पताल में मरीजों के लिये शय्याओं को तृतीय पंच वर्षीय योजना में बढ़ाने पर विचार करेगी ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां ।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में टी०बी० के मरीजों को रखने हेतु सरकारी अस्पताल कितने हैं और कितने अस्पतालों को अनुदान १९६१-६२ के बजट में दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—प्रदेश में ऐसे सरकारी अस्पतालों की संख्या जिनमें केवल टी० बी० के ही मरीजों को भर्ती किया जाता है, ८ है । इनके अतिरिक्त २० अन्य सरकारी अस्पतालों में, जिनमें कुछ जिला अस्पताल भी सम्मिलित हैं, टी० बी० के मरीजों को भर्ती करने के लिये टी० बी० वार्डों का प्रबन्ध है । समस्त सरकारी अस्पतालों पर होने वाले व्यय को सरकार वहन करती है, अतः उन्हें किसी प्रकार के अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता । निम्नलिखित गैर सरकारी टी० बी० अस्पतालों को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में जो अनुदान दिया गया वह इस प्रकार है :—

	रु०
१— श्री राम कृष्ण सेवाश्रम, लखनऊ	३,०००
२—श्री बृज सेवा समिति, वृन्दावन	६,०००
३—टी० बी० क्लीनिक, रामपुर	५,०००
४—श्री बृज सेवा समिति टी० बी० सेनेटोरियम, बृन्दावन, जिला मथुरा—(अनावर्तक)	९०,८८०
(आवर्तक)	६५,२००
५—यू० पी० टी० बी० एसोसियेशन, लखनऊ—	
(आवर्तक)	१६,०००
(अनावर्तक)	६,०००
६—टी० बी० पेशेन्ट्स वेलफेयर सोसायटी, भुवाली, नैनीताल ..	१,०००

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार ने (T. B. Patients) क्षय रोगियों की कोई (Census) मर्दुमशुमारी कराई है यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने मरीज T. B. के वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में थे ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ? प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय इलाहाबाद टी० बी० अस्तपाल में कितने बेड्स हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने बेड्स करने की योजना है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय ४५ आलरेडी वहाँ पर हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २८ का प्राविजन और चल रहा है जिसकी कि बिल्डिंग वगैरह बन रही है वहाँ पर ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इलाहाबाद टी० बी० अस्पताल में आउट डोर पेशेंट्स रोज कितने आते हैं ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, फिलहाल तो मेरे पास उसकी पूरी सूचना नहीं है लेकिन पिछली सूचना के आधार पर एक प्रश्न में मैंने निवेदन किया था कि ७,२७६ के करीब मरीज़ वहाँ पर थे और उतने आते थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य में काफी बड़ी संख्या टी० बी के मरीजों की है और जो उसके अस्पताल हैं उनमें पाँच-पाँच साल से लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पाती, तो सरकार बड़े पैमाने पर इन अस्पतालों को बनाने या इन बीमारियों की रोकथाम करने की ओर कोई कदम बढ़ा रही है ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, जहाँ तक प्रदेश का सम्बन्ध है टी० बी० के मामले में कई प्रकार की स्कीम्स उत्तर प्रदेश में हैं। जैसा मैंने प्रश्न में निवेदन किया कई तो बड़े-बड़े अस्पताल हैं। इसके अलावा २० के करीब टी० बी० वार्ड्स हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २० क्लिनिक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया के पैटर्न पर और खोले हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४० के करीब आउट डोर पेशेन्ट्स के लिए और इन्तजाम किया जा रहा है। कुछ ग्रान्ट्स वगैरह हम और लोगों को देते हैं। साधारण प्रकार के क्लिनिक्स ७–८ के करीब हैं। इस प्रकार कई योजनायें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अथवा सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है किसी एक्सपर्ट कमेटी के जरिये कि हमारे देश और प्रदेश में टी० बी० का रोग इतने जोर से क्यों बढ़ता जा रहा है?

श्री धर्मसिंह—ऐसा तो कोई प्रबन्ध सरकार नहीं कर पायी है लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसका एक सर्वे इत्यादि कराया था जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ज्ञात हो सका था।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में जो टी० बी० का अस्पताल खुला हुआ है और जिसमें कि आउट डोर पेशेन्ट्स आते हैं, उसको क्या टी० बी० का फुल फ्लेज्ड अस्पताल बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाँ, योजनायें तो बहुत-सी सरकार के सामने रहती हैं। अगर उधर के बैठने वाले हमें सहयोग ज्यादा से ज्यादा साधन मुहैया करने में दें तो जल्द से जल्द सारी उन प्रदेश की योजनाओं को हम पूरा करते जायंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षय रोगियों की मर्दुमशुमारी कराने में उनको क्या दिक्कत है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब मर्दुमशुमारी तो जैसा अभी उपमंत्री जी ने बतलाया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कुछ १९५८–५९ में हुई थी। उस समय ऐसा बतलाया गया था कि १० लाख मरीज इसके हैं।

श्री सन्तसिंह युसूफ (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बीमा योजना के अन्तर्गत २ साल से रुपया सेंक्शन हैं कानपुर में टी० बी० के अस्पताल के लिये। उसके लिये अभी तक सरकार ने न तो कोई जमीन ली है और न और साधन उस अस्पताल को बनाने के लिये इकट्ठा किये हैं और इस बारे में सरकार को क्या कहना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो जमीन वहाँ पर अस्पताल बनाने के लिये है उसके दो ओनर हैं। एक तो आपका कारपोरेशन है और एक उत्तर प्रदेश की सरकार और तीसरे जो साधन हैं उनको मिल मालिकों से इकट्ठा किया जाता है। तो इसी कारण से जो कारपोरेशन की वजह से जमीन न मिलने में है, उसी कारण से अभी तक वह योजना पूरी नहीं हो पाई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस अस्पताल में, विशेषकर के मैं इलाहाबाद की बात कहता हूं, कि मरीज तीन महीने के लिये रखे जाते हैं और उसके बाद वह बाहर कर दिये जाते हैं, इससे उनका मर्ज अच्छा नहीं होता है? इसलिये मैं चाहता हूं कि इन मरीजों के समय को बढ़ाने की सरकार कृपा करे जिससे वह पूरी तरह से अच्छे हो जायं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं डाक्टर तो नहीं हूं लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है वह यह है कि इन अस्पतालों में अब ज्यादातर वह मरीज रखे जाते हैं और लिये जाते हैं जिनके एक लंग शुरू में कुछ खराब हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनके दोनों लंग्ज खराब हो जाते हैं और खराब दशा में हो जाते हैं तो उनका कोई ठीक माकूल इलाज भी नहीं होता है और वह अगर बिस्तर पर रहें तो वे उसको घेरे रहते हैं और वह लोग, जिनको थोड़ी बीमारी है और अच्छे किये जा सकते हैं वह उन बिस्तरों को पाने से वंचित कर दिये जाते हैं। जो यह तीन महीने का कायदा रखा गया है वह तो डाक्टरों ने इसीलिये रखा है कि जिन्हें बीमारी की शुरूआत है उनका वह तीन महीने के अन्दर इलाज भी कर देते हैं। आज कल तो अस्पताल में रखने से भी इस बीमारी का इलाज नहीं होता है। अब तो एक नया दृष्टिकोण डोमेसाइल ट्रीटमेंट का हो गया है। कुछ दवाइयाँ ऐसी निकल गई हैं कि जिनको व्यक्ति अपने घर पर इस्तेमाल कर सकता है। वह पेटेन्ट मेडिसिन हैं और कुछ ऐसे इन्जेक्शन्स हैं जिनको मरीज अपने घर पर इस्तेमाल कर सकता है और अस्पतालों में उसको रहने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--क्या सरकार इटावा जिले में टी० बी० मरीजों की संख्या को देखते हुये वहाँ पर अस्पताल में बेड बढ़ाने की बात सोचेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसका उत्तर वही है जो मैंने नरसिंह नारायण जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि मुरादाबाद जिले में जो सदर अस्पताल शहर में है उसमें टी० बी० मरीजों के लिये कितने बिस्तर हैं और उसको कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। मुरादाबाद का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव--मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि कानपुर में जो अस्पताल बनने वाला था वह कारपोरेशन की ढिलाई की वजह से नहीं बन रहा है तो इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में सब से ज्यादा टी० बी० के रोगी कानपुर में हैं सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके जमीन जल्द से जल्द लेकर उस अस्पताल को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हम जब जमीन लेने की चेष्टा करते हैं तो यह सवाल आता है कि किसानों की जमीन ले रहे हैं और उनको उजाड़ा जा रहा है। इस वजह से इतनी जल्दी नहीं हो सकती है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० लाख रोगियों में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात क्या है ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न आप अलग से कर लीजियेगा।

मैनपुरी जिले के एलाऊ ब्लाक में गबन

*१०--**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले के एलाऊ ब्लाक में से सरकारी १४ हजार रुपये जनवरी, १९६२ में लापता हो गये हैं, इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)--जी हाँ, मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि एलाऊ ब्लाक में जो १४ हजार का गबन हुआ है उसके लिये किस के खिलाफ मुकदमा चल रहा है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---१४,०१९ रुपये २२ नये पैसे की चोरी हो गयी थी और पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी गयी थी। वहाँ पर रमेश चन्द्र जौहरी जो प्रधान लिपिक थे इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह एलाऊ ब्लाक भोगाँव तहसील में पड़ता है और यह मुकदमा भी भोगाँव तहसील में ही चल रहा है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---जी हाँ ।

सेवरही चीनी मिल पर बकाया

*११---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---क्या गन्ना विकास मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले के सेवरही चीनी मिल के ऊपर कितनी रकम गन्ना का मूल्य, टैक्स तथा कमीशन का अब तक बकाया है और इतनी बड़ी रकम बकाया का क्या कारण है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---३१ जुलाई, १९६२ को देवरिया जिले की सेवरही मिल पर गन्ने के मूल्य, सेस/ पर्चेज़ टैक्स व सोसाइटी कमीशन के रूप में जो रकम बकाया थी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इस रकम के बकाया होने का प्रमुख कारण मिल की आर्थिक कठिनाइयाँ, चीनी की कम निकासी तथा बैंकों से यथेष्ठ ऋण न मिलना, इत्यादि है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११५६ पर)

*१२---**श्री गेंदासिंह**---क्या वहाँ की केन यूनियन और किसान दोनों इस बात की माँग कर रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं कि उनका मूल्य दिला दिया जाय ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---क्षेत्रीय गन्ना समिति द्वारा उक्त मिल से गन्ने की कीमत दिलाने के सम्बन्ध में अनुरोध किये जाने पर रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया है।

*१३---**श्री गेंदासिंह**---उक्त मिल के फार्म का गन्ना कितना था, उसमें कितना अब तक पेरा जा चुका और उसकी कीमत भी अदा कर दी गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इस मिल के फार्म का कुल १,५२,४१७.२८ क्वींटल गन्ना था और यह सम्पूर्ण गन्ना मिल द्वारा पेरा गया। इस गन्ने की कीमत कुल ६,५९,३२४.४८ न० पै० थी जो मिल द्वारा अदा कर दी गई है।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी की सूचना के लिये मैं बतला दूं कि इस मिल के ऊपर ३२,४०,००० रुपया बकाया है जब कि ६ लाख ५९ हजार ३२४ रुपये ४८ नये पैसे मिल के फार्म के गन्ने का दाम था जो कभी का बेबाक कर दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यह तो उनका अपना गन्ना था और उसे अपने एकाउन्ट में उन्होंने रोजजस्ट कर दिया।

श्री गेंदासिंह---एकाउन्ट्स में ऐडजस्ट करने के क्या माने हैं ? यह गन्ना जिस तरह से फैक्टरी को दिया गया उसके बाद जो फार्म उनका है उसका पैसा दे दिया गया या नहीं ? सीधा सवाल यह है कि एक पैसा भी मिल के जिम्मे इसका बाकी नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने कहा कि यह फार्म उन्हीं का था और उसका दाम उन्होंने अपने एकाउन्ट्स में ऐजस्ट कर दिया क्योंकि मिल और फार्म एक ही व्यक्ति के हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ऐजस्टमेंट हुआ यह चीनी की निकासी होने के बाद किया गया या चीनी की निकासी नहीं हुई और यह ऐजस्टमेंट हो गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यदि आप सूचना चाहेंगे तो मैं मंगवा दूंगा। परन्तु यहाँ यह कह देना चाहता हूं कि यह फैक्टरी भी उन फैक्टरियों में से थी जो गन्ना पेरना नहीं चाहती थीं मई-जून और जुलाई के अन्त में और माननीय सदस्य के बार बार आग्रह करने पर मैंने इस बात का इन्तजाम कराया कि किसी न किसी प्रकार से एक-एक गन्ना जो उस क्षेत्र का है वह पेरा जाय और उसको पेरवाया और उन मिलों की जो हालत है उससे माननीय सदस्य अपरिचित नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि यह कारखाना देवरिया के कारखाने से पहले बन्द हो गया और क्या यह वही कारखाना है जिसने एक ही सप्ताह में २ प्रतिशत रिकवरी कम दिखलाई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिकवरी के ऐवरेज का हिसाब नहीं रखा गया है। यह हो सकता है कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ठीक हो, लेकिन यह भी सही है कि यह फैक्टरी गन्ना पेरने को तैयार नहीं थी इधर वाले नियमों से। परन्तु अपने माननीय सदस्यों के डर से और उनके आग्रह से मुझे अपने अधिकारियों से स्वतः फोन पर बराबर विभिन्न प्रकार की बातें उनके सामने रख कर गन्ना पिरवाना पड़ा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ३२ लाख रुपये बकाया वह रकम, जैसा कि उत्तर में कहा गया कि उनको गन्ना पेरने के लिये राजी किया गया, उनको राजी करने के पहले की है या बाद की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह रकम जो बकाया की है यह ३१-७-६१ तक की है। जो २१ लाख रुपये के मूल्य की रकम है उसमें १२ लाख शेष है। इस बीच में कुछ गन्ने की कीमत दे दी गई है और साथ ही ऐसी आशा की जाती है कि गन्ने की पूरी कीमत दूसरे सीजन के पहले दे दी जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ६ लाख ३२ हजार रुपये का एकाउन्ट्स में ऐजस्टमेंट कर दिया गया है, उस ऐजस्टमेंट से किसानों को पेमेंट किया गया है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी सूचना इस समय नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य ब्योरा चाहें तो मैं मंगा दूंगा। लेकिन जो कठिनाई है वह मैंने सदन के सामने रख दी है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह तो सही है कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से गन्ना पिरवाया लेकिन क्या यह भी इजाजत दे दी फैक्टरी को कि अपने फार्म के गन्ने की कीमत अदा कर दें ? क्या इस प्रकार की कोई इजाजत दी थी उनको ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये इजाजत नहीं दी थी। मैं उस फैक्टरी की सारी फाइनेंशल कन्डीशन्स से भी परिचित नहीं हूं। अभी जैसा कि उपमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि कुछ बकाया बचा है, उस पूरे ब्योरे की मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मैंने विभाग को इस बात का आदेश दे दिया है कि वह येन-केन-प्रकारेण किसानों को गन्ने की कीमत सितम्बर तक अदा कराने की भरसक चेष्टा करें। इसके लिये उन्हें चाहे कोआपरेटव बैंक से रुपया उधार लेना पड़े परन्तु वे किसानों को पूरा-पूरा रुपया जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करें।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी ने ३--४ बातों को ध्यान में रखा है कि उस फैक्टरी ने अपने फार्म का ६ लाख रुपया स्वयं अदा कर दिया, उसमें २ प्रतिशत रिकवरी कम दिखलाई और एक हफ्ते में किसानों को रुपया अदा नहीं किया ? एक बात और कि उसके ऊपर ११ लाख रुपया सेल्स टैक्स का सरकार का बाकी है ? क्षमता के होते हुए भी मिल ऐसा कर रही है इसका क्या कारण है ? गवर्नमेंट को प्रेशर डालना चाहिये और क्या सरकार ऐसा करने के लिये अपने किसी उच्च अधिकारी से उसकी जाँच करवा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इन मिलों के साथ जरा उदारता के साथ व्यवहार करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जितनी मिलें इधर लगी हुई हैं, यह सन्तुष्ट नहीं हैं। वे सब इस बात की चेष्टा में हैं कि किसी तरह से उन्हें अपनी मिलें दक्षिण में लगाने का मौका मिल जाय। उनमें से कई मिल वाले तो अपनी मिल बेंचने की फिराक में हैं। कई दक्षिण के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। दुर्भाग्य यह है केन्द्रीय सरकार ही उन तमाम फैक्टरियों को लगाने का लाइसेंस देती है। उत्तर प्रदेश का जो यह बड़ा रोजगार रहा है इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जब केन्द्रीय सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण की नहीं है तो आज यदि हम कोई अदूरदर्शिता से या अबुद्धिमत्ता से काम लें तो उससे न तो हमारे आर्थिक ढांचे में ही कोई परिवर्तन आ सकता है और न कुछ लाभ हो सकता है, बल्कि हम और दिक्कतों में अपने को डाल लेंगे। तो रोज-रोज उसकी चर्चा करना, मैं नहीं समझता कि कहाँ तक ठीक है और दूरदर्शिता का परिचय देती है।

माताटीला विद्युत् योजना

*१४---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माता टीला जल विद्युत् गृह कब तक तैयार हो जायगा और उक्त विद्युत् गृह से किस-किस जिले के किन-किन शहरों, कस्बों व ग्रामों को बिजली दी जायगी और कब से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---माताटीला परियोजना सन् १९६४--६५ तक सम्पूर्ण होने की आशा है। परियोजना सम्पूर्ण होने के बाद जिन स्थानों को बिजली देने का प्रस्ताव है उनकी सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११५७ पर)

*१५---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि माता टीला जल विद्युत् गृह से मध्य प्रदेश के जिलों को भी बिजली दी जायगी ? यदि हाँ, तो किस-किस जिले को और किन शर्तों पर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---माता टीला विद्युत् गृह से मध्य प्रदेश को बिजली देने का कोई विचार नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २१--६--६२ को झांसी जिले के विधायक ने एक पत्र विद्युत् परिषद् के चेयरमैन को इस बात की शिकायत करते हुये दिया था कि महरौनी और गरौठा को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाय ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---प्रार्थना-पत्र तो इस वक्त मेरे सामने है नहीं, उसके लिये तो नोटिस चाहिये, लेकिन यह तो अभी एक टेन्टेटिव स्कीम बनायी गयी है, और भी जगह जहाँ बिजली लगाना सम्भव होगा बिजली लगायी जायेगी।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोंच में जो बिजली लग रही है वह माताटीला से बिजली मिलेगी या कानपुर से मिलने की व्यवस्था है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—माताटीला की बिजली को तो कानपुर से जोड़ने की स्कीम है। इसकी मुझे सूचना नहीं है कि पहले कहाँ से मिलेगी, लेकिन माताटीला से जो बिजली आयेगी वह उसी से दी जावेगी।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुझाव बिजली के अधिकारियों ने भेजे हैं उनमें किस आधार पर मेहरौनी और गरौठा में बिजली न देने की सिफारिश की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—आधार यही ह कि हम जहाँ पर बिजली लगाते हैं वहाँ यह देखते हैं कि वहाँ पर लाइन ले जाने में कितना खर्चा होगा, वहाँ उसकी कितनी खपत होगी, कितनी दूर लाइन ले जाना होगा, यही बातें देखना होती हैं।

श्री कृष्णचन्द—क्या सरकार झांसी जिले की महरौनी और गरौठा तहसीलों की निर्धनता और पिछड़ेपन को देखते हुये अपने इस नान-प्रोडक्टिव वाले सिद्धान्त को अलग रख कर वहाँ बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अगर आप लिख कर दे देंगे तो हम उस पर विचार कर लेंगे और उसकी जाँच करा लेंगे, वैसे जो नियम हैं उसके अनुसार तो हम नो प्राफिट नो लास पर ही देते हैं। अगर यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वह बराबरी पर होगा, तो हम जरूर बिजली देने का प्रयास करेंगे।

जौनपुर में छात्रा द्वारा युवक की हत्या

*१६—**श्री झारखंडेराय, श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर) तथा **श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ७ मई को जौनपुर में एक छात्रा ने अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शित कर अपने पीछे मंडराने वाले एक मन चले युवक छात्र को उसी के छुरे से घायल कर दिया, जो बाद में मर गया ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—दिनांक ७-५-६२ को जौनपुर में एक युवक को एक छात्रा द्वारा छुरे से मार डाले जाने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा ३०२ भा० द० वि० का एक मुकदमा कायम किया गया और जांच के उपरान्त छात्रा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेज दी गई ।

*१७—**श्री झारखंडेराय, श्री रघुवीर** तथा **श्री छांगुर**—क्या सरकार इस शौर्य पूर्ण घटना पर विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—चूंकि संबंधित मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः उसके बारे में कुछ कहना उचित न होगा ।

*१८—**श्री झारखंडेराय, श्री रघुवीर** तथा **श्री छांगुर**—क्या सरकार इस छात्रा को पारितोषिक देने की समस्या पर विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर—चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः यह प्रश्न अभी नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुए कि जैसे बहुत से रोग बढ़ते जा रहेहैं उसी तरह से, खासकर बड़े शहरों में, लड़कियों से छेड़-छाड़ करने का भी रोग बढ़ता जा रहा है और सरकार ने इसके लिये रोकथाम के कई प्रयास किये लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल पा रही है तो इस पृष्ठभूमि में इस घटना को एक नमूने के रूप में रख कर क्या मुख्य मंत्री कृपा करके इस छात्रा के खिलाफ जो केस चला रही है उसे वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो बड़ा टेढ़ा मसला है कानून का, क्योंकि एक व्यक्ति इस छात्रा के द्वारा मार डाला गया है। वह लड़की कानून के शिकंजे में आती है और जो उस लड़की या उसकी मां के बारे में सूचना है वह कोई बहुत ऐसी नहीं है जिससे गर्व हमको हो। तो चूंकि मामला अदालत में है, यहां उस पर चर्चा करना ठीक न होगा । अगर माननीय सदस्य ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं कागजात दिखला दूंगा, उसके बाद और वह ऐसी सलाह देंगे तो मैं कानून के साथियों से पूछूंगा कि क्या ऐसा कर सकता हूं ? क्योंकि उनका आग्रह भी है तो मैं उस सुझाव पर विचार करने के लिये उद्यत हूं ।

गोरखपुर जिले में खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१९---श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कितने ब्लाक प्रमुखों में खंड विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---गोरखपुर जिले के खोराबार तथा फरेन्दा विकास खंडों के क्षेत्र विकास अधिकारियों के विरुद्ध ब्लाक प्रमुखों ने शिकायत की थी। खोराबार के प्रमुख द्वारा की गई शिकायतों का पूर्ण विवरण उनसे मांगा गया था । विवरण प्राप्त न होने पर उनको स्मरण कराया गया किन्तु कोई विवरण प्राप्त न होने के कारण जांच नहीं की जा सकी ।

क्षेत्र विकास अधिकारी फरेन्दा के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गई और शिकायतें निराधर पाई गईं ।

नेवाइपार अस्पताल की इमारत बनाने की मांग

*२०---श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतायेगी कि नेवाइपार, जिला गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में गत दो वर्षों में प्रति वर्ष औसत रोगी संख्या क्या है और उस पर औसत कितना रुपया दवाओं में व्यय हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९६० व १९६१ में इस अस्पताल में औसत रोगी संख्या क्रमशः २६,६७५ और २१,६२३ रही तथा दवाओं पर औसत व्यय १९६०-६१ में २,१२० रुपया तथा १९६१-६२ में १,४१५ रुपया रहा ।

*२१---श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त औषधालय के भवन निर्माण संबंधी कोई मांग वहां की जनता की ओर से आई है ? यदि हां, तो क्या और सरकार उस पर कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । अप्रैल, १९६२ में ऐसी मांग आई है जिस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है ।

बलरामपुर तथा मनकापुर में बिजली की दर में अन्तर

*२२---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार द्वारा बहराइच जिले में कोई बिजली उत्पादन की योजना चालू है और इस बिजली को पैदा करने में प्रति यूनिट क्या लागत होती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बहराइच में डीजल पावर हाऊस चलाया जा रहा है और इस पावर हाऊस से वितरण केन्द्र पर बिजली का औसत मूल्य लगभग ६८ नया पैसा प्रति यूनिट आता है ।

*२३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बिजली घर द्वारा जो मनकापुर में बिजली दी जाती है उसका औद्योगिक तथा गृहस्थी के लिये क्या दर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस पावर हाऊस द्वारा मनकापुर में औद्योगिक तथा गृहस्थी के लिये दी जाने वाली बिजली की निम्नलिखित दरें हैं :—

१—घरेलू प्रकाश तथा पंखे	८ आने प्रति यूनिट
२—घरेलू शीतोपकरण	४ आने प्रति यूनिट
३—वाटर वर्क्स तथा कोल्ड स्टोरेज	३ आने ६ पाई प्रति यूनिट
४—अन्य औद्योगिक विद्युत भार	४ आने प्रति यूनिट ।

*२४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिले में बलरामपुर और मनकापुर दो स्थानों में बिजली की दरों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो यह दर क्या बराबर लाने के लिये सरकार कदम उठायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां । बलरामपुर में बिजली लाइसेन्सी द्वारा दी जाती है जब कि मनकापुर में सीधे राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली दी जाती है । इसलिये अभी मनकापुर तथा बलरामपुर की दरों को बराबर लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार का कोई विचार बलरामपुर बिजलीघर को लेने का है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उसका अभी समय नहीं आया । जब समय आयेगा तो विचार किया जायेगा ।

लखनऊ में अपहरण के मामले

*२५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में १ जनवरी, १९६१ से लेकर ३१ मार्च, १९६२ तक कितने लड़के व लड़कियों को अपहृत किया गया ?

श्री नवलकिशोर—५ लड़के व ५८ लड़कियां अपहृत हुईं ।

*२६—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या यह भगाने का कार्य किसी गैंग के द्वारा होता है ? यदि हां, तो उसके पकड़ने की क्या कोशिश की गई ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रक्षपालसिंह—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनमें से कोई बरामद भी हो पाया है अब तक ?

श्री नवलकिशोर—यह जो बरामद करने की बात कही गई सो यह गायब तो नहीं हुईं, लेकिन जो भगायी गयीं उस सिलसिले में ५६ मुकदमे कोर्ट में गये ।

श्री रक्षपालसिंह—क्या यह सही है कि यह संख्या उत्तरोत्तर लखनऊ में बढ़ती जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—संख्या बढ़ने की कोई सूचना नहीं है, जितनी सूचना मांगी थी वह मैंने दी ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय गृह मंत्री ने इस सूचना के पाने के बाद यह जानने की कृपा नहीं की कि पिछले वर्षों में बच्चों और बच्चियों को उठा ले जाने के काम कितने हुए और इस वक्त घटती पर हैं या बढ़ती पर ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि यह प्रश्न नहीं था, इस वजह से जानकारी नहीं प्राप्त की ।

फर्रुखाबाद जिले में औद्योगिक आस्थान के लिए अध्याप्त भूमि

*२७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नगर में औद्योगिक बस्ती के लिये भूमि किस दर पर हस्तगत की गई है और वहां का बाजार मूल्य का दर क्या है तथा वह किस दर पर लोगों को उद्योग के लिये दी जा रही है ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—फर्रुखाबाद नगर में औद्योगिक आस्थान के लिये भूमि २६५० रु० प्रति एकड़ की दर से हस्तगत की गई है जो कि बाजार मूल्य के लगभग समानान्तर है । उपरोक्त भूमि औद्योगिकों को अभी नहीं दी जा रही है तथा उसके लिये दिये जाने के दर को तब तक बताना संभव नहीं होगा जब तक कि इसके Development के विस्तृत प्राक्लन (Detailed Estimates) तैयार नहीं हो जाते हैं ।

*२८—श्री दयाराम शाक्य (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन इस औद्योगिक बस्ती के लिये निर्धारित किया गया है और वहां क्या-क्या उद्योग चालू करने की योजना है ?

श्री फूलसिंह—उक्त औद्योगिक आस्थान के लिये कुल ७.५० लाख रुपया व्यय के लिये निर्धारित किया गया है तथा इसके चलाये जाने वाले लघु उद्योगों की कोई खास योजना नहीं है । विशेषतः वह उद्योग जिनका भविष्य उज्जवल है तथा जिनके बने हुये माल की निकटवर्ती बाजार में खपत की संभावना है, चलाये जा सकते हैं । इनमें से कतिपय लघु उद्योगों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११५८ पर)

सहारनपुर जिले में सुधार कार्यों पर व्यय तथा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर की नियुक्ति

*२९—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जुदा-जुदा जिला सहारनपुर की तहसीलों में कितना-कितना धन उन्नति (Development) के कार्य में लगाया गया और किस-किस मद (कार्य) में व्यय हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—यह सूचना एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जल्द एकत्र की जायगी ।

*३०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में मौजूदा District Planning Officer की नियुक्ति किस आधार पर की गई है ? क्या सरकार ने उनके Character Roll और कार्यक्षमता को ध्यान में रक्खा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उन्हें उस पद पर नियुक्ति के लिये प्रशासकीय दृष्टिकोण से उचित समझा गया । नियुक्ति के समय उनके Character roll और कार्य-क्षमता को ध्यान में रक्खा गया था ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्लानिंग आफिसर मुकर्रर करने से पहले १ महीने या २ महीने तक डिस्ट्रिक्ट रिफ्यूजी अफसर के तौर पर रखा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हो सकता है कि रखे गये हों ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या जब वह डिस्ट्रिक्ट रिफ्यूजी अफसर थे तो उनके विरुद्ध गबन के बहुत से चार्जेज थे और उन्हें नजरअन्दाज करके सरकार ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर के पद पर प्रोमोट कर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात सत्य से परे है । वह एक आई० ऐ० एस० अफसर हैं और ऐसे नये लड़कों को प्लानिंग का काम सिखाने के लिये पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर बनाया जाता है । कई जगहों पर ऐसे नये लड़के रखे गये हैं और आगे भी रखे जायंगे ।

सहावर में अवैध गांजे की बरामदगी

*३१—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला एटा के सहावर कस्बे में एक व्यक्ति "मुशीर मियां" के यहां कुछ दिन पूर्व ३ मन गांजा पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नवलकिशोर—दिनांक २२ अप्रैल, १९६२ को उक्त कस्बे में पुलिस ने श्री मुशीर मियां के यहां से नहीं अपितु उनके एक बाग से ३ मन गांजा बरामद किया था । इस सम्बन्ध में मुकदमा कायम किया गया और अभी इसकी जांच हो रही है ।

*३२—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त व्यक्ति जिला कांग्रेस कमेटी में भी किसी महत्वपूर्ण पद पर है, यदि हां, तो किस पद पर ?

श्री नवलकिशोर—उक्त व्यक्ति जिला कांग्रेस कमेटी, एटा वाइस प्रेसीडेंट हैं ।

*३३—श्री रक्षपालसिंह—क्या यह सत्य है कि जिला कांग्रेस के कमेटी में पदासीन होने की वजह से इस 'गांजा केस' को समाप्त करने अथवा किसी अन्य प्रकार का मोड़ देने का जाल उक्त व्यक्ति वहां की पुलिस के अनुचित सहयोग के फलस्वरूप रच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस "गाजा केस" की उच्चस्तरीय उचित जांच कराके शासन के प्रति जन भावनाओं को निष्ठावान बनाने में सहयोगी होगी ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं । उक्त आरोप सही नहीं है ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रक्षपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इनके बारे में यह आरोप है कि यह गांजे का व्यापार करते हैं ?

श्री नवलकिशोर—इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह मुकदमा किसके ऊपर चल रहा है ?

श्री नवलकिशोर—इनका बाग इस समय ३ व्यक्तियों के कब्जे में है । उनमें से २ व्यक्ति वहां मौजूद थे । उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह इस बात की फिर से जांच करावेंगे कि जिन तीन व्यक्तियों का बाग है उनमें से एक वह भी हैं जिनका संबध प्रश्नकर्ता के प्रश्न से है और चूंकि वह वहां की कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पद पर हैं इसलिये उन्हें मुकदमा से निकाल दि ा गया ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी बात नहीं है । जैसा मैंने कहा, बाग तीन व्यक्तियों के कब्जे में है जिनमें से २ मौजूद थे । उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर केस चल रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—जो २ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनका उनसे कोई संबंध है जिनका नाम प्रश्न में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनका उनसे उतना ही संबंध है जैसा कि श्रीपालसिंह जी का उन व्यक्तियों से हो सकता है जिन्हें उन्होंने अपना बाग उठाया हुआ हो । मुशीर मियां ने अपने बाग नीलाम कर रखे हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—जिस समय गांजा बरामद हुआ उस समय क्या नीलाम किये हुए फल लगे हुए थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब वे वहां मौजूद थे तो आम जरूर लगे होंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह शर्तिया जवाब दे रहे हैं कि "रहे होंगे, आम लगे होंगे" ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस बात की सूचना उनके पास नहीं है उसके लिये कह दें कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—ये बाग कितने पर नीलाम हुआ और कब हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नोटिस चाहिये।

रिठवा में लड़की का कत्ल

*३४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत फरवरी या मार्च में ग्राम हसनापुर, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में एक महिला का कत्ल हो गया था ? यदि हां,तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई और घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फरवरी या मार्च १९६२ में ग्राम हसनापुर में किसी कत्ल की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखवाई गई ।

*३५—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत फरवरी या मार्च में ग्राम रिठवा, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में एक तम्बोली की लड़की का कत्ल हो गया था ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई और घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । उक्त कत्ल की घटना हुई थी । इसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११५९ पर)

*३६—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ अप्रैल, १९६२ को ग्राम सफीयापुर, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में एक व्यक्ति का कत्ल हो गया था और उसकी रिपोर्ट २ मई, १९६२ को थाना में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई और घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— कत्ल की ऐसी कोई सूचना नहीं है और न ऐसी कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है ।

देवरिया जिले में बिजली की अव्यवस्था

*३७—**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर ,बरहज ,हाटा सलेमपुर, आदि नगरों तथा पूर्वी जिलों में प्रायः हर नगर को बिजली बन्द होती रहती है ? यदि हां,तो १३ मई, सन् १९६१ से १५ मई, सन् १९६२ तक कितनी बार कितने –कितने समय के लिये उन नगरों में बिजली गुल हुई और क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इन नगरों में सप्लाई संतोषजनक है लेकिन गोरखपुर स्टीम स्टेशन से आने वाली ट्रान्समिशन लाइनों पर गन्ने व अरहर के हरे पौधों इत्यादि को फेंके जाने तथा चिड़ियों के कारण बिजली बंद होने की कुछ घटनायें हुईं जो नियंत्रण के बाहर थीं । इसके अतिरिक्त नलकूपों व उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन देने के लिये भी समय-समय पर बिजली बंद करनी पड़ती है ।

*३८—**श्री चन्द्रबली**—क्या मुख्य मंत्री उक्त अव्यवस्था को दूर करने के लिये कोई कदम उठा रहे हैं? यदि हां,तो वह क्या ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोहरी ट्रान्समिशन लाइनों के लगाने का विचार है जिससे बिजली की व्यवस्था में सुधार हो जायेगा ।

श्री चन्द्रबली—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३ मई, सन् ६१ और १५ मई, सन् ६२ के बीच रुद्रपुर नगर में उक्त कारणों से कितनी बार बिजली बन्द हुई और उसमें सरकार व उपभोक्ताओं को कितनी हानि हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रबली—मूल सवाल इस प्रकार है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करें कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर, हाटा, सलेमपुर आदि नगरों....

श्री अध्यक्ष—ठीक है । मुख्य मंत्री जी, पहले ही नाम रुद्रपुर का है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि रुद्रपुर में बिजली कब गई है वह इसमें नहीं है । इसकी सूचना में मंगाकर दूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या मंत्री जी के पास बरहज, हाटा, सलेमपुर और दूसरे नगरों की सूचना है कि वहां बिजली कितनी बार गई है इस अर्से में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—देवरिया के खरखाना, पडरौना, सलीमपुर, भरतपुर बरहज की सूचना है । रुद्रपुर की आ गई है ।

श्री चन्द्रबली—श्रीमन्, यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ३७–३८ स्थगित किये गये ।

पुलिस में भर्ती के लिए उंचाई

*३९—**श्री चन्द्रबली**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय बटालियन पी० ए० सी० में कितने रंगरूट ऐसे हैं जिनकी उंचाई ५ फीट ६ इंच से कम है और क्यों ?

श्री नवलकिशोर—इस समय ऐसे दो रंगरूट हैं —इनकी भर्ती बैंड के विशेष ज्ञान के कारण की गई थी क्योंकि उस समय निर्धारित ऊंचाई के लोग जिन्हें वाद्य संगीत में रुचि हो उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इसी कठिनाई के कारण इस समय तक बैन्ड में ३ स्थान रिक्त हैं।

श्री चन्द्रबली—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस वक्त जिन लोगों ने रंगरूटों में भर्ती किये जाने की दरख्वास्तें दी थीं उन लोगों की अलग-अलग ऊंचाई क्या थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस में यह नियम है कि एक अमुक ऊंचाई के लोग ही लिए जायं। पहाड़ी स्थानों के लिये उनकी ऊंचाई ५ फुट ४ इंच है और मैदानी क्षेत्रों के लिये ५ फुट ६ इंच है। जो व्यक्ति इतनी लंबाई के होते हैं वे ही लिये जाते हैं। अब इस केस में जो एक्सेप्शन हुआ उसकी चर्चा माननीय उपमंत्री जी ने अपने उत्तर में कर दी।

श्री नर्सिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ५ फीट ६ इंच और ५ फीट ४ इंच के अलग-अलग कितने व्यक्ति लिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संख्या तो मालूम नहीं है लेकिन इस एक्सेप्शन के अलावा और जो व्यक्ति होंगे वे सब उसी निर्धारित उंचाई के होंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो दो लोग लिये गये हैं वे पहाड़ी क्षेत्र के थे या मैदानी क्षेत्र के ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक पहाड़ी क्षेत्र का और दूसरा मैदानी क्षेत्र का।

कमला क्लब, जौनपुर में संगीत सम्मेलन का मनोरंजन कर

*४०—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५८-५९ में जौनपुर में कोई संगीत सम्मेलन हुआ था और उसके संचालकों पर १०,५०० रु० मनोरंजन कर बकाया था ? उसे सरकार ने वसूल किया या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—१९५८-५९ में जौनपुर में न तो कोई संगीत सम्मेलन हुआ और न ही कोई मनोरंजन कर का बकाया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इस विषय में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को स्थानीय अखबार "समय" की एक कटिंग भेजी थी अपने पत्र के साथ, तो क्या उसकी जांच कराने के बाद माननीय मुख्य मंत्री इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुख है कि उनके उस पत्र और कटिंग की बात मुझे याद नहीं है। हजार बारह सौ पत्र मेरे पास नित्य आते हैं लेकिन माननीय दुबे जी के पत्र को मैं बहुत गौर से देखता हूं और उसका उत्तर भी देता हूं। अगर वह आया भी होगा तो विभाग में गया होगा। यदि आप फिर से इस विषय में जानकारी करायेंगे तो जानकारी उपलब्ध करा दी जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मुख्य मंत्री मेरे उस पत्र को फिर से विभाग से निकलवाकर और जांच कराकर उत्तर देने की कृपा करेंगे ? मुझे आशा है मंत्रीजी इसको मान लेंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सन् १९५८-५९ में नहीं बल्कि एक संगीत सम्मेलन अप्रैल १९६० में हुआ था कमला क्लब में। वहां पर एक मार्टेसरी स्कूल है उसके लिये एक वेराइटी शो किया गया था। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यह रिक्वेस्ट की थी कि वह रुपया क्योंकि सारा का सारा स्कूल को दे रहे हैं इसलिये उसको इन्टरटेनमेंट टैक्स से मुक्त कर दिया जाय। कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत डिस्ट्रिक्त मजिस्ट्रेट ने दे दी। इजाजत देने के बाद १७ अप्रैल को हमारा इन्टरटेनमेंट इंसपेक्टर गया तो उसने वहां जाकर देखा कि जो शत लगायी गयी थीं उन शर्तों का पालन नहीं हुआ। और इसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट

की और रिपोर्ट करने के बाद एक टैक्स उनके ऊपर लगा दिया गया। वास्तव में बात यह थी कि उस वक्त जो टिकट वहां बिके थे उनका रुपया उस स्कूल को दे दिया गया था लेकिन जो स्लिप्स ईश्यू हुई थीं चन्दे की उन पर टैक्स नहीं दिया गया था, यह उनका चार्ज था। इसके ऊपर जैसा कि मैंने बतलाया एक लम्बा इंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया गया। इसकी उन्होंने बाकायदा अपील की कानून के अनुसार और उस अपील में उन्होंने कहा कि यह जो टैक्स है वह नहीं होना चाहिये। लेकिन यदि आप यह समझते है कि जितनी स्लिप्स ईश्यू हुई हैं उन सब का तमाम रुपया स्कल को दे दिया जाय तब इसे माफ किया जा सकता है तो वह सब रुपया स्कूल को दे दिया जायगा। उसके बाद वह सब रुपया स्कूल को दे दिया गया। फिर थोड़ी सी स्लिप्स बाकी रह गयीं थीं जिसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट ने कहा कि जितनी स्लिप्स प्रेस में छपी हैं उन सब का जब तक पूरा एकाउन्ट नहीं दिया जायेगा तक तक टैक्स माफ नहीं किया जायगा। इस पर जितनी स्लिप्स छपीं थीं उन सब का पूरा का पूरा रुपया स्कूल को दे दिया गया और अब उनके विरुद्ध कोई भी केस बाकी नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह बात सही है कि वास्तव में जो बड़ी रकम थी वह न स्लिप्स की थी न टिकटों की थी बल्कि अलग एक कागज पर थी और उसको दबा दिया गया तथा यह केवल एक बहानामात्र है कि सब रुपया स्कूल को दे दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो क्या माननीय मंत्री जी इसको पुनः पूर्णरूपेण जानकारी करा कर सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे पास सूचना है कि जितनी अनट्रेसेबुल स्लिप्स थीं जिनका रुपया देने के लिये वे पहले तैयार नहीं थे बाद में पूरा रुपया दे दिया और इस पर वह टैक्स माफ कर दिया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अनट्रेसेबुल स्लिप्स क्या ट्रेस हुईं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ट्रेस नहीं हुईं लेकिन जो छपी थीं और जो स्लिप्स बाकी थीं उनका रुपया जमा हो गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या प्रबन्धकर्त्ता के कहने पर ही सरकार ने मान लिया कि इतनी स्लिप्स ट्रेसेबुल नहीं हैं या सरकार ने उसकी स्वयं जांच करायी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेरी सूचना यह है कि जिन लोगों ने जांच की थी उन्होंने जांच करने के बाद ही यह लिखा कि यह रुपया स्कूल को दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट और इंसपेक्टर ने इस बात को स्वीकार किया है।

श्री केशरी प्रसादपाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्मेलन के संयोजक कौन थे और इन स्लिप्स पर किनके दस्तखत है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उनके नाम हैं श्री विनय कुमार दास वकील और श्री नरसिंह बहादुर सिंह वकील।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह टैक्स जो माफ किया गया वह किस तिथि को माफ किया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पहले माफ करने के लिये वे बिलकुल तैयार नहीं थे। एक दूसरा सवाल यह भी उठाया गया था कि वह शो वेराइटी-शो था या कल्चरल शो था? वेराइटी शो में ५० फीसदी इंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है जब कि कल्चरल शो में १२।। फीसदी, तो उनका यह कहना था कि चूंकि इसमें आल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट्स भी बुलाये गये थे इसलिये यह वेराइटी-शो न हो कर कल्चरल शो रहा इसलिये इंटरटेनमेंट टैक्स साढ़े १२ फीसदी ही होना चाहिये। सरकार ने उसे कल्चरल-शो मान कर साढ़े १२ फीसदी ही इंटरटेनमेंट टैक्स कर दिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वेराइटी-शो और कल्चरल प्रोग्राम में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष---छोड़िये इसको। रिपोर्ट जो सरकार के पास आयी उसमें यह बतलाया गया था कि वेराइटी-शो और कल्चरल प्रोग्राम में यह अन्तर है और सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो धन स्कूल को दिया गया वह कितना था और किस स्कूल को दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---वह वहां एक मान्टेसरी स्कूल है उसको दिया गया और ३ अलग अलग किस्तों में दिया गया जो २४४३ रुपये, ५३३ रुपये और २६५ रुपये की थीं।

श्री हरिनाथ तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संगीत सम्मेलन में कुल कितना रुपया एकत्र हुआ और क्या यह चुनाव के समय प्राप्त हुआ और किस तारीख को प्राप्त हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मैंने तो कुल जितनी रकम वसूल हुई उसको बता दिया। जो स्लिप्स के कारण वसूल होने वाला था उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितने के स्लिप्स भेजे गये उनका कुल रुपया स्कूल को दे दिया गया।

श्री हरिनाथ तिवारी---तारीख बताई जाय। क्या चुनाव के समय प्राप्त हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी

*४१---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पच्छिमी और मध्य बुन्देलखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दर क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कृषि कार्यों में नियोजित किसी वयस्क कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें इस प्रकार हैं :--

१---पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये ..	३९ रु० प्रति मास अथवा १ रु० ५० न० पै० प्रतिदिन
२---मध्य बुन्देलखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये	३२ रु० ५० न० पै० प्रतिमास अथवा १ रु० २५ न० पै० प्रतिदिन

*४२---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या सरकार निम्नतम वेतन समिति, उत्तर, प्रदेश की रपट लागू करने की व्यवस्था समस्त प्रदेश में चालू करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---न्यूनतम वेतन समिति की केवल कुछ सिफारिशों को छोड़कर जो कि विचाराधीन हैं लगभग सभी सिफारिशें प्रदेश में लागू की जा चुकी हैं।

पुलिस वेश में डाकुओं द्वारा पकड़िया ग्राम की लूट

*४३---**श्री दयाराम शाक्य** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी सप्ताह (१९ मई, से २५ मई, १९६२) फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पकड़िया को कुछ बदमाशों ने नकली लिस की वर्दी पहन कर लूट लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितनी हानि का समाचार है तथा पुलिस उस बारे में क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १९ मई से २५ मई १९६२ तक तो नहीं किन्तु दिनांक ९/१० मई १९६२ की रात को कुछ बदमाशों ने पुलिस कर्मचारियों का नकली वेश बनाकर ग्राम पकड़िया के कुछ व्यक्तियों के घरों में तलाशी ली और कुल १६७० रु० ५९ न० पै० की कीमत का माल व नकद लेकर चम्पत हो गये। इस संबंध में धारा १७०/४२० भा० द० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है तथा उसमें जांच जारी है।

कानपुर में हवाई जहाज का सामान चुराने वालों की गिरफ्तारी

*४४—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि मई, १९६२ के महीने में कानपुर पुलिस ने सरकारी विभाग के गोदाम से विमानों के मोटरों की चोरी पकड़ी है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। दिनांक १७-५-६२ को कानपुर जिले में आई० ए० एफ० का एक ड्राइवर हवाई जहाज का बिगड़ा हुआ इंजिन चोरी से बेचने के लिये जब ट्रक में ले जा रहा था तो पुलिस ने उसे रोका और पूछ-ताछ की। उससे कोई संतोषप्रद उत्तर न मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया। जांच में इस चोरी में ६ व्यक्तियों का हाथ होना पाया गया जिसमें से ५ एयर फोर्स के कर्मचारी हैं तथा १ व्यक्ति जन साधारण में से है। ये सभी गिरफ्तार हो चुके हैं उनका चालान हो चुका है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच में क्या इस बात का भी पता चला कि यह लोग अक्सर पहले भी बहुत सी चीजें गायब कर चुके हैं या यह पहला ही चांस था ?

श्री नवलकिशोर—पहले की कोई सूचना नहीं है।

राजकीय मुद्रणालयों के कथित आफसेट मशीनमैन

*४५—**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद राजकीय प्रेस में कार्य करने वाले आफसेट मशीनमैनों में तथा लखनऊ ऐशबाग राजकीय प्रेस में कार्य करने वाले आफसेट मशीनमैनों के वेतन-क्रम में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अन्तर को दूर करने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय प्रेस इलाहाबाद तथा लखनऊ में ऐसा कोई पद नहीं है। इसलिये प्रश्न नहीं उठता है।

हमीरपुर जिले में अपराध

*४६—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार मेरे प्रश्न संख्या १६७, दिनांक २४ मई, १९६२ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर की डकैती कब हुई और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

*४७—**श्री होरीलाल यादव**—कितनी चोरियों की तफतीश की गई, किन किन चोरियों के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया गया और कितने मुकदमों में कामयाबी मिली ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न २४ मई के हैं फिर इतनी देर उत्तर में क्यों लग रही है ?

श्री नवलकिशोर—जल्द ही सूचना एकत्र करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री गेंदासिंह—सूचना जल्द एकत्र न हो सकने का कारण क्या है ? और क्या यह सही है कि हमीरपुर में डकैतियों की संख्या बहुत बढ़ गई है ?

श्री नवलकिशोर—यदि आप प्रश्न देखे तो उसमें डकैती, चोरियों की तशखीस, कामयाबी आदि की बहुत सी सूचनायें मांगी गई हैं, इसी कारण देर हो रही है और इसी वजह से खेद है कि सूचना नहीं दी जा सकी।

सौनई ग्राम के पंचायत मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही

*४८—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सौनई ग्राम पंचायत के पंचायत सेक्रेटरी की सन् १९६१ तथा १९६२ में अब तक कितनी शिकायतें उनके पास आई हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—वर्ष १९६१ तथा १९६२ में सम्बन्धित पंचायत मन्त्री के विरुद्ध अब तक पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जांच करने के पश्चात् पंचायत मन्त्री को भर्त्सनात्मक चेतावनी दी गई और उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मन्त्री के रिश्वत लेने के सम्बन्ध में और ग्राम चुनाव में भाग लेने की भी शिकायतें आई थीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मन्त्री जी बतायेंगे जो ५ शिकायतें की गई हैं वे खास-खास किन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराती हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, ५ शिकायतों के बारे में विस्तृत रूप से तो सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जो शिकायत थी वह यह थी कि उन्होंने गांव पंचायत से जो न्याय पंचायत के पंचों का चुनाव होने वाला था उन्होंने एजेंडे पर उस आइटम को न रख करके न्याय पंचायत के पंचों का नाम जल्दी हस्ताक्षर करके भेज दिया। इसकी जांच की गई लेकिन जांच के समय सभापति ने बयान दिया कि यह बात गलत है और सदस्यों को एजेंडा भेजने से पहले ही एजेंडा नम्बर ८ पर सदस्यों को सूचना जो दी गई थी वह दर्ज थी।

श्री बृजेश्वर सहाय—इस मन्त्री का कितनी बार तबादला किया गया और कितनी बार कैंसिल हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यह अगर आप पूछते कि शिकायत पर तबादला किया गया तो ठीक है, तबादले तो होते रहते हैं।

श्री बृजेश्वरसहाय—मन्त्री जी बतायेंगे कि शिकायतों पर कितनी बार उसका तबादला किया गया और कितनी बार कैंसिल किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—इस बार जब शिकायत हुई तो उनको चेतावनी दे दी गई और स्थानान्तरण भी कर दिया गया।

*४९—श्री चन्द्रजीत यादव—[हटा दिया गया।]

*५०—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[हटा दिया गया।]

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या

*५१—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि २६ मई, १९६२ को लखनऊ विश्वविद्यालय के दो छात्र गुटों में कैसरबाग कचहरी के सामने छुरेबाजी हुई जिसमें एक व्यक्ति की जान गई ? यदि हां, तो पूर्व विवरण क्या है तथा इस संघर्ष का आदि कारण क्या था ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। उक्त तिथि को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के दो दलों में गहरे वैमनस्य के कारण छुरेबाजी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११६० पर)

कुंवर श्रीपालसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो इसमें दो छात्रों के दलों में गहरा वमनस्य होन क कारण घटना हुई, तो वैमनस्य का कारण क्या था ?

श्री नवलकिशोर—पिछले साल हबीबुल्ला होस्टल में जो चुनाव हुआ था यूनियन का उसके सम्बध में कुछ आपस में झगड़ा हो गया था उसका एक केस चल रहा था।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को पता है कि इस तरह की रोज घटनायें होती हैं, यदि उनको न रोका गया तो बड़ी मुश्किल हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रोकने के लिये तो आवश्यक प्रबन्ध होते हैं और जब कभी विद्यार्थियों के बीच में इस तरह की बातें होती हैं उन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उधर से फिर चिल्लाहट होती है। सरकार तो अपनी तरफ से इन परिस्थितियों पर रुकावट लगाने के लिये उचित प्रबन्ध करती है।

यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स के अन्तर्गत परचेज कमेटी का कार्य तथा पटना व दिल्ली प्रदर्शनियों में व्यय

*५२—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स में सामान खरीदने के लिये परचेज कमेटी की स्थापना की गई थी वह अपना कार्य सुचारु रूप से प्रतिपादित कर रही है अथवा नहीं ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—जी हां।

*५३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये सरकारी हैंडीक्राफ्टस की परचेज कमेटी की सहायता से कितने मूल्य के सामान की खरीदारी यू० पी० हैंडीक्राफ्टस के लिये की गयी, कितने की खरीदारी करने का सरकारी आदेश था, कितने बिलों का भुगतान कर दिया गया और शेष के भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री वीरसेन—गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्रफ्ट्स की परचेज कमेटी की सहायता से वित्तीय वर्ष ६१-६२ के लिये २०,८०,१३३ रु० ४२ नं० पै० के मूल्य का माल खरीदा गया था जब कि सरकार ने १२ लाख रुपया कार्माशयल आपरेशन (Commercial operation) के लिये स्वीकृत किया था। सब बिल का भुगतान कर दिया गया है।

*५४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनवरी, सन् १९६२ में गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स ने नई दिल्ली तथा पटना में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया था ? यदि हां, तो पटना तथा नई दिल्ली दोनों प्रदर्शनियों में अलग-अलग कितना खर्च पड़ा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पटना में कितने का सामान भेजा गया था और वहां की बिक्री क्या रही तथा दिल्ली में कितने का सिल्कन सामान भेजा गया और उसमें कितने का बिका ?

श्री वीरसेन—जी हां। पटना तथा नई दिल्ली की प्रदर्शनियों में गवर्नमेंट यू० पी० हन्डीक्राफ्ट्स का क्रमशः २,३१७ रु० ७३ न० पै० तथा ४,१२० रु० व्यय हुआ। पटना प्रदर्शनी में कुल २७,९५६ रु० ३४ न० प० का सामान भेजा गया था और २,५३७ रु० ८५ न० प० की बिक्री हुई थी। दिल्ली की प्रदर्शनी में २५,७८४ रु० ९९ न० पै० का सिल्केन सामान भेजा गया था, जिसमें से २,२६८ रु० ११ न० प० के मूल्य का सामान बिका।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मन्त्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जितना प्रदर्शनी में सामान भेजा गया था और उसकी जितनी बिक्री हुई और जितना खर्चा पड़ा उसको देखते हुये नुकसान हुआ, तो मन्त्री जी जांच करायेंगे कि इस नुकसान का क्या कारण है?

श्री वीरसेन—जो सामान ऐग्जीबीशन में भेजा जाता है वह व्यापार की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रचार की दृष्टि से भेजा जाता है। इसलिये जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—परचेज कमेटी ने जब १२ लाख रु० केवल सैंक्शन किये तो किस अधिकार से १२ लाख रुपये से ज्यादा का सामान खरीदा गया?

श्री वीरसेन—जो वर्कर्स काम तैयार करके देते हैं उसमें काफी समय लग जाता है इसलिये आर्डर्स उन्हें पहले से देने होते हैं और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले तक सब सामान सप्लाई न हो इस वजह से ज्यादा आर्डर्स दे दिये जाते हैं।

बी० डी० ओ० कम्पीटीशन

*५५—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बी० डी० ओ० जो कि ८–१० वर्ष से विकास क्षेत्र में विकास कार्य करते रहे हैं उन्हें भी बी० डी० ओ० के कम्पीटीशन में बैठने की कोई राजाज्ञा निकाली गयी है? यदि हां, तो इसकी आवश्यकता क्या प्रतीत हुई?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी नहीं।

घूसखोरी में पकड़े गये पुलिस कर्मचारी

*५६—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले साल (१९६१–६२) में एक हजार से अधिक पुलिस अफसर और कानस्टेबुल रिश्वत लेने और झूठे मुकदमे बनाने के सिलसिले में पकड़े गये? यदि हां, तो उनके ऊपर क्या जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना पुलिस की सभी इकाइयों से एकत्रित की जा रही है।

मथुरा जिले में कुओं के पानी में खराबी

*५७—**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला के क्षेत्र छाता में गर्की आने से कुओं का पानी खराब हो गया है, इन कुओं के सुधार हेतु क्या–क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

छितौनी अस्पताल तथा बलरामपुर राज एलेक्ट्रिक सप्लाई यूनियन की मांगें

*५८—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छितौनी जिला देवरिया की चीनी मिल ने कोई अस्पताल बना कर चलाने के लिये सरकार को सौंप दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां पर किसी डाक्टर की व्यवस्था कर दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। वहां एक लेडी डाक्टर ६ अप्रैल, १९६२ से काम कर रही है।

*५९—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलरामपुर राज एलैक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के प्रधान का यूनियन की तरफ से ८ अप्रैल, १९६२ का कोई मांग पत्र तथा प्रस्ताव सरकार के पास आया है ? यदि हाँ, तो उस मांग-पत्र और प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यूनियन के प्रधान का केवल मांग पत्र आया है जिसकी मुख्य-मुख्य मांगों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, इस मांग-पत्र पर अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि यह सब मांगें सरकार के विचाराधीन पहले ही से थीं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११६१ पर)

वैद्य सभा, लखनऊ

*६०—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री को जिला वैद्य सभा, लखनऊ का कोई मांग-पत्र अप्रैल, सन् १९६२ में मिला है ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— जी नहीं।

हरदोई जिले में थाने और चौकियां बढ़ाने की प्रार्थना

*६१—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बतायेगी कि हरदोई जिले के मल्लावां पुलिस स्टेशन से किन-किन जिलों की सरहद मिलती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हरदोई जिले के पुलिस स्टेशन मल्लावां से जिला फर्रुखाबाद, उन्नाव तथा कानपुर की सरहदें मिलती हैं।

*६२—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि हरदोई जिला जरायम की दृष्टि से बहुत खतरनाक है ? क्या सरकार इस जिले में ३ पुलिस स्टेशन और एक दर्जन पुलिस चौकियां बढ़ाने की कृपा कर सकती है ताकि जिले के जरायम पर काबू पाया जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को मालूम है कि हरदोई में अपराध काफी होते हैं। पुलिस आयोग ने नये थाने तथा चौकियां खोलने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें की हैं जिनके आधार पर आवश्यकतानुसार हरदोई जिले में भी नये थाने तथा चौकियां खोलने के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

*६३—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार हरदोई जिले में डाग-स्क्वाड देने की कृपा करेगी ताकि जरायम की रोकथाम की जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

*६४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—[हटा दिया गया।]

लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कानपुर को ऋण

*६५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९५६ में टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स के उत्पादन के लिये कानपुर के कुछ कारखानेदारों को सरकार की ओर से कर्जा दिया गया था? यदि हां, तो उक्त कर्जे का पूर्ण विवरण क्या है तथा क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। एक कम्पनी को ऋण दिया गया था जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११६२ पर)

*६६—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कर्ज तथा उसके ब्याज की वसूलयाबी की स्थिति क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकारी आडीटरों और डाइरेक्टरों की रिपोर्ट क्या है? क्या सरकार इन रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उल्लिखित कर्जे तथा उसके ब्याज की स्थिति संलग्न तालिका में दिखाई गई है। सर्वश्री लक्ष्मी रतन इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० जिसको कर्जा दिया गया है एक प्राइवेट कम्पनी है अतः सरकारी आडीटरों और उक्त कम्पनी के लेखे से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकारी डाइरेक्टरों से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११६२ पर)

मानिकपुर हल्के के सेनेटरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ शिकायत

*६७—श्री मतोलासिंह (जिला बाँदा)—क्या सरकार को पता है कि सेनेटरी इन्स्पेक्टर हल्का मानिकपुर, जिला बाँदा को स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य करने की क्षमता नहीं है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला बाँदा के मानिकपुर हल्के में श्री आर० पी० श्रीवास्तव सेनेटरी इन्स्पेक्टर के पद पर इस समय कार्य कर रहे हैं और वह स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य करने की शैक्षिक क्षमता रखते हैं।

*६८—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार ऐसे गैरजिम्मेदार जिसका सम्बन्ध स्वास्थ्य व जनहित से है सेनेटरी इन्स्पेक्टर के कार्य की जाँच कराकर जनहित का परिचय देगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न ६७ के उत्तर के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं होती।

चीनी मिलों पर ऋण

*६९—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान तथा सरकार के अलावा शकर मिलों को अन्य ऋण की रकम कितनी देना बाकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसान तथा सरकार को देय धनराशि के अतिरिक्त अन्य ऋण की कितनी रकम बकाया है उसकी सूचना मिलों का निजी मामला होने के कारण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

*७०—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार ऐसा सर्कुलर हमेशा के लिये जारी करेगी कि किसानों की तकावी आदि की रकमें मिल में गन्ना के बकाया से काट कर वसूल कर ली जाया करें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानूनन गन्ना किसानों की तकावी आदि की रकमें मिल में गन्ने के मूल्य के बकाया से काट कर वसूल करने की व्यवस्था नहीं है।

*७१—**श्री ईश्वरशरण**—क्या सरकार किसानों को बाकी गन्ना कीमत पर मिल से सूद दिलाने की मदद करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद तथा पूर्ति विनियमन) अधिनियम, १९५३ में इसकी व्यवस्था पहिले से ही है और तदनुसार कार्यवाही समयोचित की जाती है।

ग्राम सेवकों की पदोन्नति

*७२—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो तीन वर्षों से जो ग्राम सेवक सहायक विकास खंड अधिकारी का काम कर रहे हैं उनको स्थायी रूप से ए० डी० ओ० केडर में सम्मिलित कर लिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गत दो तीन वर्षों से जो ग्राम सेवक स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको सहायक विकास अधिकारी के स्थाई केडर में नहीं सम्मिलित किया गया क्योंकि वही ग्राम सेवक नियमित रूप से सहायक विकास अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जिनका चुनाव प्रान्तीय स्तर की चुनाव समिति द्वारा हो जाता है।

*७३—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार पूर्व विज्ञापित संख्या के अतिरिक्त अभी और नये ग्राम सेवकों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

ज्वालापुर में हैवी इलेक्ट्रिकल्स की यूनिट स्थापित करने की योजना

*७४—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** तथा **श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्लान्ट लगाने जा रही है ? यदि हाँ, तो उसकी पूरी योजना क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स की एक यूनिट को हरिद्वार के निकट ज्वालापुर में सर्वश्री हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्राइवेट कम्पनी है, रूसी सहयोग से स्थापित कर रही है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग ५० करोड़ रुपये होगी। इस कारखाने में बिजली का भारी सामान बनाया जायेगा।

नियोजन अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी

*७५—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** तथा **श्री शारदानन्द**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ३ मास में कितने नियोजन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—८।

*७६—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** तथा **श्री शारदानन्द**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नियोजन अधिकारी लखनऊ का स्थानान्तरण किया गया और आज्ञा पुनः रद्द कर दी गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

*७७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री शारदानन्द—क्या सरकार बतायेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं? उनमें से कितने स्थाई हैं और कितने अस्थाई हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस समय प्रदेश में ७८२ क्षेत्र विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से ११७ स्थाई और बाकी ६६५ अस्थाई हैं।

औरैया में लकड़बग्घों का कथित आतंक

*७८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि आज कल औरैया जिला इटावा में लकड़बग्घों का बड़ा आतंक फैला हुआ है? यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोक-थाम के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तहसील औरैया में लकड़बग्घों का कोई आतंक आज कल नहीं है; विगत समय (recent past) में भी नहीं था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में सूती करघे तथा बुनकर सहकारी समितियां

*७९—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत बुनकरों की संख्या को देखते हुए इस जिले में किसी मिल को खोलने की योजना पर वह विचार कर रही है? यदि हाँ, तो वह योजना कब तक पूरी हो जावेगी?

श्री फूलसिंह—आजमगढ़ जिले में कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*८०—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बुनकरों द्वारा कितने सूती कर्घे चल रहे हैं और उनको किस के द्वारा सूत कहाँ-कहाँ से मंगाना पड़ता है?

श्री फूलसिंह—आजमगढ़ जिले में बुनकरों द्वारा १६,६५५ कर्घे चल रहे हैं। सहकारी बुनकर समितियाँ और व्यक्तिगत सदस्य सूत का प्रबन्ध खुद स्थानीय बाजार से करते हैं, या समितियाँ यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव ऐसोसियेशन, कानपुर की मार्फत गोकाक मिल का भी सूत मंगा लेती हैं।

*८१—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बुनकरों की कितनी सोसाइटियाँ कायम हैं और उनमें से मऊनाथ भंजन में कितनी हैं तथा गत तीन वर्षों में उनके लाभ-हानि का क्या विवरण है?

श्री फूलसिंह—आजमगढ़ जिले में कुल ८८ बुनकर सहकारी समितियां हैं जिन में से २४ समितियाँ मऊनाथ भंजन खास में हैं। इन सोसाइटियों के गत तीन वर्षों के लाभ हानि का †विवरण संलग्न है।

राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में प्रोमोशन का नियम

*८२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में प्रोमोशन का क्या नियम है और क्या यही नियम राजकीय प्रेस ऐशबाग लखनऊ में लागू है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापा नहीं गया।

बढ़वारी निवासी सरदार पर गोली चलाने की रिपोर्ट

*८३—श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के बढ़वारी माँग थाना पसिगवा के सरदार नामक व्यक्ति पर १६ जून, १९६१ को फायर किया गया था ? यदि हाँ, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । उक्त व्यक्ति पर गोली चलाये जाने की किसी घटना का होना नहीं पाया गया।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*८४—श्री मन्नालाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि थाने में उक्त काँड की रिपोर्ट ३०४ में लिखी गई है या किसी और दफा में ? यदि हाँ, तो उस पर पुलिस ने क्या पग उठाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९-२० जुलाई, १९६१ की रात में सरदार नामक व्यक्ति पर गोली चलाये जाने की सूचना मिलने पर थाने में धारा ३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और जाँच की गई किन्तु आरोप निराधार पाये गये, इसलिये उक्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है।

कैसरबाग, लखनऊ में ट्रक दुर्घटना

*८५—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कैसरबाग लखनऊ में दिनाँक २४ मई, १९६२ को कोई ट्रक दुर्घटना हो गई थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसमें कितनी हानि हुई और सरकार उसके बारे में क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२४-५-६२ को नहीं बल्कि २३-५-६२ को एक ट्रक दुर्घटना कैसरबाग में हुई जिससे करीब ५,००० रु० की हानि का अनुमान लगाया जाता है। पुलिस ने आवश्यक जाँच के पश्चात् ट्रक ड्राइवर का धारा २७९/३३७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान कर दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*८६—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

अमरोहा के जनाना व मरदाना अस्पताल

*८७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अमरोहा के जनाना व मरदाना अस्पतालों को हर साल कितने रुपयों की औषधियाँ दी जाती हैं ? क्या यह दवाइयाँ दोनों अस्पतालों की आवश्यकतानुसार दी जाती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अमरोहा में सरकार द्वारा संचालित जनाना अस्पताल को औषधियों के लिये २,५०० रु० तथा वहाँ पर अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा संचालित मरदाना अस्पताल को औषधियों के लिये १,५०० रु० प्रति वर्ष दिया जाता है। यह धनराशियां ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के लिये औषधियों के निमित्त निर्धारित माप दंड के अनुसार दी जाती हैं।

*८८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि अमरोहा के मरदाना अस्पताल को अमरोहा से हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर केवल एक छोटा सा हेल्थ सेन्टर स्थापित किया जायेगा ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ ।

अमरोहा के मरदाना अस्पताल को जमुना खास ले जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं और अमरोहा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नियोजन विभाग द्वारा खोला जा रहा है। यह कार्य अन्तरिम जिला परिषद् के प्रस्ताव तथा जिलाधीश की सिफारिश के अनुसार किया जा रहा है ।

*८९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त दोनों अस्पतालों में अलग-अलग कितना स्टाफ है और क्या जनाना अस्पताल को किसी दूसरी बिल्डिंग में ले जाने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निम्नलिखित स्टाफ उपरोक्त अस्पतालों में कार्य कर रहा है।

मरदाना अस्पताल—

१—मेडिकल अफीसर	१
२—कम्पाउन्डर	२
३—नर्सिंग आर्डरली	१
४—स्वीपर	१
५—वार्ड बोवाय	१
६—चौकीदार	१

जनाना अस्पताल—

१—मेडिकल अफीसर	१
२—फीमेल कम्पाउन्डर	२
३—चौकीदार	१
४—स्वीपर्स	१
५—वार्ड आया	२

जनाना अस्पताल को श्री साहू जगदीश शरण द्वारा दान में दी गई बिल्डिंग में ले जाने का विचार है। इस समय उस में कुछ सुधार कार्य चल रहा है जिसके समाप्त होने पर अस्पताल वहाँ लेजाया जायेगा।

करहल तहसील में अपराध की घटनायें

*९०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी तहसील करहल में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक कितनी डकैतियाँ, राहजनी तथा चोरियाँ हुई तथा कितने आदमियों को उसमें सजा हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में तहसील करहल में ५ डकैतियाँ, १ राहजनी तथा २३ चोरी की घटनायें हुईं। इनके सम्बन्ध में अभी तक ११ आदमियों को सजा हुई है।

बी० डी० ओ० नरैनी ब्लाक के विरुद्ध शिकायत

*९१—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बी० डी० ओ० नरैनी ब्लाक के भ्रष्टाचार की शिकायत है? अगर है, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। शिकायत पर जाँच की जा रही है।

*९२-९३—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—[११वें शुक्रवार के लिए प्रश्न २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

केन कोआपरेटिव विकास यूनियन, बभनान को घाटा

*९४—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बभनान जिला बस्ती के केन कोआपरेटिव विकास यूनियन द्वारा चलाये जाने वाले नलकूप सब बन्द हैं और बिलकुल कार्य नहीं कर रहे हैं और जो बिजली घर यूनियन द्वारा संचालित है वह आउट आफ आर्डर हैं?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी नहीं।

*९५—श्री रामलखनसिंह—क्या यह भी सही है कि ये सब सम्बन्धित नलकूप पुरानी जर्जर मशीनों द्वारा संचालित होने के कारण पानी नहीं दे पाये और यूनियन को घाटा हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं।

*९६—श्री रामलखनसिंह—क्या सरकार यूनियन से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल कर के जिम्मेदार व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों से इस घाटे की पूर्ति कराने पर विचार करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस यूनियन में घाटा बहुत हुआ है। शासन ने निश्चय किया है कि जिलाधीश द्वारा जांच कराई जाय। जांच के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायगी।

मन्त्रियों तथा सभासचिवों के दौरे पर व्यय

*९७—श्री विजयसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, अप्रैल तथा मई, सन् १९६२ के महीने में कौन-कौन उपमन्त्री तथा सभा सचिव कितने-कितने बार और कब-कब अपने निवास स्थान गये तथा निकट रेलवे स्टेशन से उनके निवास स्थान तक पहुंचाने और लाने के लिये सरकारी सवारियां दी गयीं, तथा किन-किन अफसरों द्वारा उनका स्वागत और बिदाई हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सम्बन्धित अवधि में किसी उप मन्त्री अथवा सभा सचिव ने केवल अपने निवास स्थान जाने के लिये यात्रा नहीं की। सरकारी दौरों के सिलसिले में मैं उप मन्त्री एवं सभा सचिव जिन यात्राओं के दौरान अपने निवास स्थान पर ठहरे अथवा कुछ समय के लिये गये उनकी †तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

*९८—श्री विजयसिंह—अगर ऐसा हुआ तो क्या सरकार बतायेगी कि उन उप-मन्त्रियों तथा सभा सचिवों का घर रेलवे स्टेशन से कितनी-कितनी दूरी पर है और उनको सरकारी सवारी द्वारा स्टेशन से घर और घर से स्टेशन पहुंचाने में सरकार का कितना-कितना धन व्यय हुआ और प्रत्येक बार जो अधिकारी स्वागत और बिदाई करने गये उन पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

*९९—श्री विजयसिंह—जो उपरोक्त सम्बन्धों में सवारियां इस्तेमाल हुयीं वह कितनी दूरी और कहां से आयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना अंशतः प्रश्न ९७ के उत्तर में प्रस्तुत तालिका† में दी गई है। जहां तक सरकारी सवारी के उपयोग का प्रश्न है, सरकारी कार्य के लिये जिलों में मोटर गाड़ियां उपलब्ध हैं और इनके उप मन्त्री, सभा सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा निःशुल्क उपयोग के नियम बने हैं। इन नियमों के अधीन उप मन्त्री तथा सभा सचिव इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं। इन पर व्यय जिला प्रशासन द्वारा वहन होता है। इस सूचना का एवं जिले के अधिकारियों द्वारा स्वागत करने में हुए व्यय का ब्योरा तथा प्रश्न संख्या ९९ में मांगी गई सूचना एकत्र करने में जो परिश्रम तथा व्यय होगा वह प्रश्न की सार्थकता के प्रतिकूल होगा।

---

†छापी नहीं गई।

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ में अनियमितताओं की जांच

*१००—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार का ध्यान वाराणसी से निकलने वाले दैनिक "आज" दिनांक ३१ मई, १९६२ में प्रकाशित उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष ने कहा है कि जिला मैजिस्ट्रेट के अध्यक्ष काल में अन्तरिम जिला परिषद् में बहुत सी अनियमित कार्यवाहियां हुईं ? यदि हां, तो उक्त अनियमित कार्यवाहियां क्या और किस प्रकार की हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। इस विषय में जांच की जा रही है।

मुड़ियारी निवासी श्री हरविलाससिंह का परगनाधीश बांसडीह को प्रार्थना-पत्र

*१०१—**श्री ऊदल** (अनुपस्थित) तथा **श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९ अप्रैल, १९६२ को ग्राम मुड़ियारी थाना मनियार जिला बलिया के श्री रामजन्म सिंह की हत्या के सम्बन्ध में अतिरिक्त परगनाधीश बांसडीह बलिया गये थे जबकि मृतक पक्ष के कुछ लोग जेल में थे ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मृतक पक्ष के श्री हरिविलास सिंह ने १० मई, १९६२ को एक प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री, जिलाधीश, पुलिस कप्तान, अतिरिक्त जिलाधीश श्री आनन्द कुमार, पी० सी० एस० बलिया को दिया है ? उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री राम जन्म सिंह की मत्यु के सम्बन्ध में परगनाधीश बांसडीह जांच के लिये ग्राम मुंड़ियारी २०-४-६२ को गये थे। जांच के दौरान में उन्हें मालूम हुआ कि श्री शंकर दयाल सिंह, जिन्होंने थाना कोतवाली में श्री राम जन्म सिंह की मृत्यु की रिपोर्ट लिखाई थी, बलिया में गिरफ्तार कर लिये गये हैं। २२-४-६२ को उन्हें मालूम हुआ कि सर्वश्रीशंकर दयाल सिंह और हरिविलास सिंह दोनों जेल में हैं और उन्होंने जेल में ही उनके बयान लेने की इच्छा जेलर से प्रकट की परन्तु जेलर से मालूम हुआ कि वे दोनों २१-४-६२ को ही जमानत पर छूट गये हैं। अतः २३-४-६२ को पुनः वे ग्राम मुंड़ियारी उन लोगों के बयान लेने गये और वहां कई व्यक्तियों के बयान लिये भी परन्तु सर्वश्री शंकर दयाल सिंह और हरिविलास सिंह गांव में नहीं थे। २९-४-६२ को पुनः परगनाधीश ग्राम मुंड़ियारी उन लोगों के बयान लेने गये परन्तु वे लोग बयान देने नहीं आये और मालूम हुआ कि वे बयान नहीं देना चाहते हैं। श्री हरविलास सिंह का दिनांक १०-५-६२ का प्रार्थना-पत्र परगनाधीश बांसडीह को १६-५-६२ को प्राप्त हुआ था परन्तु चूंकि परगनाधीश ने उस समय तक अपनी जांच समाप्त कर दी थी और जांच की रिपोर्ट दे दी थी, अतः प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

झांसी नगरपालिका संबंधित बोगस रिफण्डकेस के निर्णय में विलम्ब

*१०२—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका से सम्बन्धित बोगस रिफन्ड केस कानपुर के एक जुडीशियल न्यायालय में वर्षों से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो मुकदमा अब तक प्रारम्भ न होने के कारण क्या हैं जबकि उपरोक्त मुकदमें की पैरवी प्रान्तीय सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। यह सही है कि उक्त मुकदमा कानपुर के एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में मई, १९५८ से विचाराधीन है। इसके अभी तक प्रारम्भ न होने के कारण निम्नांकित हैं:

(१) अभियुक्त द्वारिका प्रसाद के प्रार्थना-पत्र पर उक्त मुकदमा हाईकोर्ट द्वारा कानपुर को स्थानान्तरित किया गया था।

(२) ४-८-५८ को अन्य अभियुक्तों ने इस मुकदमें को झांसी स्थानान्तरित करने के लिये हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी जो २९-११-५८ को अस्वीकृत हो गई।

(३) २८-१-५९ को अभियुक्तों ने यह प्रश्न उठाया कि मुकदमा धारा ५ (२) प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत एक विशेष जज के न्यायालय में चलाया जाय। इसके अस्वीकृत हो जाने पर अभियुक्तों ने सेशन जज के यहां रिवीजन दायर किया जो ११-४-५९ को अस्वीकृत हो गया।

(४) इसके बाद अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में रिवीजन दायर किया जो मई, १९६० में अस्वीकृत हो गया।

(५) २९-८-६० को अभियुक्त गोपालदास का बयान धारा ३३७ (१) जा० फौ० में कराये जाने के लिये राज्य की ओर से एक दरख्वास्त दी गई जिसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाया गया। इस पर कुछ अन्य अभियुक्तों ने सेशन जज के न्यायालय में रिवीजन दायर कर दिया जो ११-३--६१ को अस्वीकृत हुआ। इसके विरुद्ध अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में रिवीजन किया जो २-१-६२ को अस्वीकृत हो गया।

(६) २०-२-६२ को हाई कोर्ट से जुडीशल फाइल आ गई किन्तु गायब हो गई थी और तलाश करने पर-४-७-६२ को जुडीशल मैजिस्ट्रेट कानपुर को भेजी भेजी गई।

झांसी में नुमाइशों पर व्यय

*१०३--श्री लखपतराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६० से सन् १९६२ के बीच कितनी बार झांसी में नुमाइश लगी व नुमाइश के लिये कितना रुपया सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सन् १९६० से सन् १९६२ के बीच झांसी में तीन बार (अर्थात् प्रति वर्ष एक बार) नुमाइश लगी। इन नुमाइशों के लिये नियोजन विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को रुपया नहीं दिया गया। नुमाइश में अपने स्टाल आदि लगाने के सम्बन्ध में अन्य विभागों ने यदि जिलाधिकारियों को कुछ धन दिया हो तो उसकी सूचना नियोजन विभाग में उपलब्ध नहीं है।

*१०४--श्री लखपतराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६० व १९६२ की अवधि में जितनी दफा नुमाइश झांसी में लगी उसमें कवि सम्मेलन व मुशायरा व गानों का प्रबन्ध भी हुआ? यदि हां, तो शायरों व कवियों तथा गाने वालों को कितने हजार रुपये इस अवधि में उन्हें प्रति वर्ष दिया गया व जो रुपया दिया गया उस में कितना रुपया सरकारी था वह कितने रुपये के टिकट बेच कर प्राप्त धन में से बांटा गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उल्लिखित अवधि में जितनी दफा नुमायश झांसी में लगी, प्रत्येक बार कवि सम्मेलन, मुशायरा व संगीत कला के प्रदर्शन का आयोजन हुआ। शायरों, कवियों तथा गानेवालों को सन् १९६० में ३६,४६१ रुपये ७३ नये पैसे, सन् १९६१ में १८,५२२ रुपये तथा १९६२ में १५,६६४ रुपये ५० नये पैसे दिये गये। इन राशियों में सरकारी रुपया शामिल नहीं था बल्कि इनका भुगतान नुमाइश के टिकटों की बिक्री से किया गया था।

आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को कर्ज

*१०५--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को पिछले दस वर्ष में कितना कर्जा सरकार द्वारा दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को पिछले दस वर्षों में ७२ लाख रुपया कर्जा दिया गया है।

*१०६—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महापालिका ने सरकार से आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की अव्यवस्था की जांच करने के सम्बन्ध में कमेटी बनाने की मांग की है? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। महापालिका से कहा गया है कि वे कम्पनी के विरुद्ध खास-खास (specific) शिकायतों से सरकार को अवगत करें।

मेरठ व बुलन्दशहर जिलों में अपराध

*१०७—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में जनवरी १९५५ से लेकर अब तक (३१ मई, १९६२ तक) कितने चालानी केस पुलिस ने अदालतों में भेजे और उनमें कितने प्रतिशत केस साफ छूट गये? इन केसों के साफ छूटने के क्या कारण थे?

*१०८—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**—क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मेरठ तथा बुलन्दशहर में १९६०-६१ में व १९६१-६२ में कितने-कितने कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी व फौजदारी के केस हुए?

*१०९—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**—इन्हीं उपर्युक्त जुर्मों में उत्तर प्रदेश की जिलेवार संख्या १९६१-६२ में क्या थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन प्रश्नों में मांगी गई सूचना एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह सूचना की उपयोगिता के अनुपात में बहुत अधिक होगा।

जिला अस्पताल, रायबरेली के डाक्टर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*११०—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ९ जून, १९६२ को रायबरेली के जिला अस्पताल के किसी डाक्टर के विरुद्ध वहां की जनता ने कोई जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया तथा मुख्य मन्त्री के पास शिकायती-पत्र भेजा? यदि हां, तो सरकार उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, शिकायती-पत्र की जांच कराई गई। डाक्टर के विरुद्ध समस्त आरोप निराधार पाये गये।

महुई निवासी सनवारी हरिजन के सामान की कुर्की

*१११—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि स्टेट बनाम रामशबद इत्यादि का कोई मुकदमा १९५९ में थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ की पुलिस ने चलाया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*११२—**श्री उमाशंकर तिवारी**—यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह बता सकते हैं कि मुलिजमों की हाजिरी के लिये महाराजगंज की पुलिस ने सनवारी हरिजन ग्राम महुई शेरपुर के घर का कौन-कौन सामान कुर्क किया और किसकी सुपुर्दगी में दिया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि कुर्की सम्बन्धी कागजात न्यायालय में भेज दिये गये हैं यह बताना कठिन है कि सनवारी हरिजन का कौन-कौन सामान कुर्क किया गया। कुर्क की गयी चल सम्पत्ति महुई निवासी श्री अमीर सिंह की सुपुर्दगी में दी गयी।

*११३—**श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या यह सच है कि सनवारी के हाजिर होने के बाद तथा माननीय न्यायालय के बार-बार आदेश देने के बाद भी सनवारी का सामान उनको वापस नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुर्क सामान वापस करने के लिये न्यायालय का कोई आदेश थाने में नहीं प्राप्त हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कोयला सम्बन्धी आदेश

*११४—**श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि आगरा में तथा पूरे प्रदेश में एक नया आदेश कोयला लेने के सम्बन्ध में जारी किया गया है कि उद्योगों को चलाने के लिये जिला पूर्ति अधिकारी की सिफारिश लेकर कानपुर कोल कंट्रोलर के यहां जाना पड़ता है जिसकी वजह से आगरा में आये दिन उद्योग बन्द हो जाता है तथा पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री फूलसिंह—इस सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे उद्योगपतियों को जिला पूर्ति अधिकारी की सिफारिश लेकर कानपुर जाना पड़े। अतः उद्योगों के बन्द होने और ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जिले में विद्युतीकरण

*११५—**श्री रघुवीर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने टाउन एरिया और कितने नोटिफाइड एरिया में जल विद्युत् योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६१-६२ में गाजीपुर जिले के गौसपुर तथा भरदाह नगरों का विद्युतीकरण हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में दिलदारनगर तथा जमनिया के विद्युतीकरण होने की सम्भावना है।

बहराइच जिला चिकित्सालय भवन में दरारें

*११६—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि बहराइच जिला चिकित्सालय का भव्य भवन जिसका उद्घाटन अभी पिछली ९ जनवरी को ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया था उसकी दीवारों में दरारें पड़ गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, दरारें पड़ गई हैं। उचित कार्यवाही की जा रही है।

रिहन्द बांध की बिजली देने का सुझाव

*११७—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिहन्द बांध की बिजली के बटवारे के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई पत्र या अन्य सुझाव सरकार को दिये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। बिहार और बंगाल में कोयले की उपज बढ़ाने के लिये कुछ बिजली रिहन्द से दामोदर वैली कार्पोरेशन को देने का एक सुझाव भारत सरकार से प्राप्त हुआ था और राज्य सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

हसायन तथा पुरदिलनगर का विद्युतीकरण

*११८—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलायेगी कि पुरदिल नगर हसायन (अलीगढ़) में बिजली लगना कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हसायन तथा पुरदिलनगर के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और आशा है कि इन नगरों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हो जायेगा।

विकास खण्ड हल्द्वानी के पंचायत मंत्रियों के विरुद्ध कथित शिकायतें

*११९—**श्री खुशीराम** (जिला पिथौरागढ़)—क्या विकास मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २४ अप्रैल, १९६१ ई० को निदेशक पंचायत राज उत्तर प्रदेश ने विकास खंड हल्द्वानी के कार्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात् किन-किन ग्रामों का दौरा किया और इन ग्रामों को देखने का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—दिनांक २४ अप्रैल, १९६१ को निदेशक पंचायत राज उत्तर प्रदेश ने विकास खंड हल्द्वानी के कार्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात् ग्राम पन्यालो का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य तृतीय सामान्य निर्वाचन (पंचायत) सम्बन्धी प्रारम्भिक तैयारियां देखना था।

*१२०—**श्री खुशीराम**—क्या यह सही है कि इस दौरे के वक्त निदेशक पंचायतराज ने स्थानीय व्यक्तियों की शिकायतों पर विकास खंड हल्द्वानी से २ पंचायत मन्त्रियों का ट्रांसफर कराया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*१२१—**श्री खुशीराम**—यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पंचायत मन्त्रियों के खिलाफ शिकायतें क्या थीं और इन शिकायतों का अब तक जिला पंचायत अधिकारी नैनीताल द्वारा क्या निराकरण किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

काली नदी पर ओवि घाट पुल की आवश्यकता

*१२२—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह जिला एटा में एटा से गंज डुंडवारा को आने वाली पक्की सड़क पर काली नदी पर मुकाम ओवि घाट पर पुल बनाने की आवश्यकता को महसूस करती है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उसके बनाने के हेतु योजना बनाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

माधोसिंह बाजार के विद्युतीकरण के लिए जांच-पड़ताल

*१२३—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वाराणसी जिले के अन्तर्गत माधोसिंह बाजार की जनता की ओर से उक्त बाजार में बिजली लगाने का कोई आवेदन-पत्र सरकार को मिला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१२४—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार वहां पर बिजली लगाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माधोसिंह बाजार के विद्युतीकरण के लिये जांच पड़ताल की जा रही है और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से संभव हुआ तो उक्त नगर का विद्युतन तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया जायेगा।

मड़ियांव थाने के गुड़म्मा ग्राम में डकैती

*१२५—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गुड़म्मा जो थाना मड़ियांव, जिला लखनऊ के अन्तर्गत है उसमें १ अप्रैल, १९६२ को डकैती पड़ी थी, जिसमें एक बन्दूक चोरी गई और एक डकैत भी मारा गया जो ठाकुरगंज का साइकिलों की मरम्मत करनेवाला दूकानदार बताया जाता है, जिसका अब तक कोई पता न लग सका और न कोई गिरफ्तारी हुई ? इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— जी हां, १ अप्रैल, १९६२ को ग्राम गुड़म्मा, थाना मड़ियांव, जिला लखनऊ में एक डकैती पड़ी थी जिसमें एक बन्दूक भी लूटी गई और एक डाकू मारा गया था । मृत डकैत साइकिलों की मरम्मत करने वाला ठाकुरगंज का कोई दुकानदार नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति था जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है ।

इस डकैती के संबंध में १० व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

तालवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रादेशीयकरण की मांग तथा गमशाली हायर सेकेंडरी स्कूल का उच्चीकरण

*१२६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तलवाड़ी बधांग उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला चमोली के प्रदेशीयकरण के संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

*१२७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त है कि तालवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रदेशीयकरण के लिये उस क्षेत्र के पांच सौ अवकाश प्राप्त सैनिकों व नागरिकों का एक शिष्ट मंडल सरकार के सामने मई के दूसरे सप्ताह में आने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस भाग के कुछ नागरिक मई माह में आये थे और इस संस्था के प्रदेशीयकरण के लिये आग्रह किया था ।

*१२८—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—क्या गमशाली नीतिघाट (सीमान्त) उच्च माध्यमिक विद्यालय को साइन्स के सहित इंटर कालेज के रूप में उच्चीकरण करने के संबंध में वहां की जनता की अनेक वर्षों से जो मांग है क्या इस वर्ष सरकार उसकी पूर्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गमशाली हायर सेकेन्डरी स्कूल में जुलाई, १९६२ से विज्ञान व कला की शिक्षा के लिये कक्षा ११ प्रारम्भ कर दी गई है ।

*१२९—श्री बालोजी अग्रवाल—[हटा दिया गया ।]

बरेली जिला परिषद् द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता

*१३०—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला परिषद् ने १९४८-४९ से ६१-६२ तक कितने प्राइवेट हाई स्कूल व इंटर कालेजों की प्रबंध समितियों को क्या-क्या सम्पत्ति दी है ? क्या जिला परिषद् को इस सम्पत्ति का कुछ किराया मिलता है ? यदि हां, तो प्रत्येक विद्यालय से क्या-क्या ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों को कुछ नगद रुपया भी दिया गया ? यदि हां, तो कितना ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वर्ष १९४८-४९ से ६१-६२ तक की अवधि में अन्तरिम जिला परिषद् बरेली ने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को जो सम्पत्ति दी है, उसका विवरण इस प्रकार है :—

क्रमांक	शिक्षा संस्था का नाम	धनराशि जिस पर सम्पत्ति वार्षिक अथवा मासिक लीज पर दी गई है	नगद धनराशि	अन्य विवरण
		रु०	रु०	
१	भारत सेवक समाज हायर सेकेन्डरी स्कूल रजपुरी नवादा	१२५ रु० प्रति वर्ष लीज पर	११,०००	५० अदद डेस्क व स्टूल भी संस्था को दिये गये ।
२	जूनियर हाई स्कूल सिरौली	१०० रु० प्रति वर्ष लीज पर		
३	श्री चन्द्रशेखर आजाद हायर सेकेन्डरी स्कूल गैनी	१०० रु० प्रति वर्ष लीज पर	४,०००	यह रुपया सज्जा के लिये दिया गया ।
४	राजकीय नार्मल स्कूल आंवला	१२० रु० प्रति मास किराया पर दिया गया		
५	राजेन्द्र प्रसाद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मीरगंज	२०० रु० प्रति वर्ष लीज पर		
६	गांधी हायर सेकेन्ड्री स्कूल शाही	१००रु० प्रति वर्ष लीज पर		
७	राम भरोसे लाल गर्ल्स हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बरेली	४०० रु० प्रति वर्ष लीज पर		
८	जी० पी० इन्टर कालेज	..	..	जूनियर हाई स्कूल नवाबगंज का दूसरा भवन प्राइमरी स्कूल के लिये जे० पी० इन्टर कालेज को दिया गया और कोई किराया नहीं लिया जाता है ।

क्रमांक	शिक्षा संस्था का नाम	धनराशि जिस पर सम्पत्ति वार्षिक अथवा मासिक लीज पर दी गई है	नगद धनराशि	अन्य विवरण
९	जूनियर हाई स्कूल बलिया ।			यह भवन स्वर्गीय आत्मा राम जी के वारिसों से हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये दान में मिला है और शेष भवन का किराया नहीं लिया जाता है ।
१०	जिला एजूकेशन ट्रस्ट, बरेली	१०० रु० प्रति स्कूल, प्रति वर्ष लीज पर	..	इसी वर्ष से तीन स्कूल रिठौरा, अभय-राजपुर व फते-हगंज पच्छिमी के लिये लीज पर दिये गये ।

नयार नदी दुर्घटना

*१३१—श्री मुकन्दीलाल वैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या यह बात सही है कि १६ मार्च या उसके लगभग एक ही दिन ६ औरतें कोडेगांव (पट्टी मल्ला बदलपुर) की पूर्वी नायर नदी में उसे पैदल पार करते समय बह गईं और उनकी मृत्यु हो गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

*१३२—श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर—क्या यह सही है कि ऐसी दुर्घटना पहले भी नयार नदी को पार करते समय हो चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । ५ मार्च, १९६२ को ग्राम नाउ पट्टी उतरी मोंदाडयूं, तहसील लोंसडोन के सर्व श्री दयालसिंह व आनन्दसिंह नयार नदी पार करते समय डूब गये ।

*१३३—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या यह सही है कि ५/६ वर्ष पहले उक्त स्थान (गुडेका उफाड़) पर एक झूला (रस्सी का पुल) था जो जीर्ण हो कर टूट गया और तब से वहां पर कोई झूला नहीं है ? क्या सरकार वहां पूर्वी नयार पर पुल शीघ्र बनाने की कृपा करेगी ताकि ऐसी अकाल मृत्यु न हुआ करे और वहां के गांवों की जनता को यातायात की सुविधा हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—५, ६ वर्ष पहले इस स्थान पर एक झूला नियोजन विभाग द्वारा निर्माण किया गया था । कुछ समय पूर्व यह झूला जीर्ण होकर टूट गया । उक्त झूले का पुनर्निर्माण या मरम्मत का प्रश्न संबंधित ग्राम सभा तथा क्षेत्र समिति के विचाराधीन है ।

मथुरा नगर दरियाबाद सड़क

*१३४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा नगर से दरियाबाद तक सड़क डामर से बनाने के लिये डामर और गिट्टी डाली गई किन्तु सभी डामर पड़े-पड़े सड़क पर बह गया और गिट्टी बेकार हो गई ? यदि हां, तो इस धन के दुरुपयोग की जिम्मेदारी किसकी और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । धन के दुरुपयोग की जिम्मेदारी किस की है, यह प्रश्न अन्तरिम जिला परिषद् बाराबंकी के विचाराधीन है, क्योंकि यह सड़क परिषद् की है और उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उसकी है ।

देवरिया जिले की चीनी मिलों पर बकाया

*१३५—श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के चीनी मिलों पर अब तक किसानों का कितना रुपया गन्ने का मूल्य बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—३१ जुलाई, १९६२ को देवरिया जिले की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने के मूल्य के रूप में जितनी रकम बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११६३ पर)

*१३६—श्री रामायण राय—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस बकाये को काश्तकारों को दिलाने के लिये अब तक सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना आयुक्त ने उक्त रकम की वसूली के लिये सम्बन्धित चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है ।

*१३७—श्री रामायण राय—[हटा दिया गया ।]

*१३८—श्री रामचन्द्र विकल—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

तिब्बती शरणार्थियों को अल्मोड़ा जिले में बसाने की जानकारी

*१३९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भारत सरकार के आग्रह पर अल्मोड़ा जिले में तिब्बत के शरणार्थियों को बसाये जाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और उस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शरणार्थियों को बसाने की कोई ऐसी योजना नहीं है ।

*१४०-१४१—श्री रघुवीर—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

पंचायत मंत्री और ग्राम सेवकों के वेतन

*१४२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्री और ग्राम सेवकों के अलग-अलग वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक का वेतन-क्रम क्रमशः ५०–२–६०–३–७५ रुपया तथा ७५–५–१२० रुपया है ।

*१४३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक दोनों को टी० ए० और डी० ए० किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक को अपने क्षेत्र के बाहर जाने पर नियमानुसार अन्य समकक्ष शासकीय कर्मचारियों की भांति यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

*१४४–१४५—श्री दयाराम–शाक्य–[हटा दिये गये ।]

पूर्वी जिलों की विकास संबंधी योजनायें

*१४६—श्री मैनेजर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नन्दा ने पूर्वी जिलों के विकास संबंधी कोई पत्र मुख्य मंत्री को लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र के विवरण से अवगत कराने की कृपा करेगी ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां । पूर्वी जिलों की विकास सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है ।

*१४७—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कोई विशेष योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रूप-लेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—प्रदेश की तीसरी योजना में पूर्वी क्षेत्र के लिये जो विभिन्न कार्यक्रम लिये जा रहे हैं उनके लिये योजना में लगभग ११,१४२.८६० लाख रु० का प्राविधान है । इन कार्य-क्रमों की–सूची † संलग्न है । इसके अतिरिक्त अन्य बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमों से भी इस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा ।

इस वर्ष से, योजना आयोग के एक विशेष कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में १८ विकास खंडों में ग्रामीण श्रम योजनाएं (Rural Manpower Projects) ली गई हैं । प्रदेशीय सरकार ने अगले वर्ष के लिये योजना आयोग के समक्ष १८३ खंडों के लिये और भी प्रस्ताव इस कार्यक्रम में भेजे हैं । इनमें से १४९ खंड पूर्वी जिलों में हैं ।

प्रदेशीय सरकार पूर्वी क्षेत्र के लिये ग्रामीण उद्योग परियोजना (Rural Industries Projects) गाजीपुर में स्थापित करने का विचार कर रही है ।

पूर्वी क्षेत्र में अल्प सिंचाई योजना कार्य-क्रमों के विस्तार के लिये भी प्रदेशीय सरकार विचार कर रही है ।

न्याय पंचायतों में सदस्यों का नामांकन

*१४८—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायत के पंचों के मनोनयन हेतु परामर्शदात्री समिति में गैरसरकारी सदस्यों को मनोनीत करने का आधार क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परामर्शदात्री समिति में गैरसरकारी सदस्य या सदस्यों का नामांकन पंचायत राज नियमावली के नियम ८३ के उप-नियम (६) के प्राविधान के आधार पर किया गया है ।

*१४९—श्री रियासतहुसैन—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†छापी नहीं गई ।

*१५०–१५१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५२—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में ऐन्टी-क्राइम प्रिवेन्शन ड्राइव

*१५३—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १६ जून, १९६२ ई० तथा ३० जून, सन् १९६२ ई० के अवधि के भीतर Anti-Crime Prevention Drive प्रोग्राम के अन्तर्गत खीरी जिला पुलिस द्वारा विभिन्न थानों से धारा १०९–११० Cr. P. C. के अन्तर्गत व १९ Arms Act तथा ६० एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत कितने लोगों का चालान किया गया और मुकदमे चलाये गये ?

*१५४—क्या सरकार उपरोक्त प्रश्नोत्तर के साथ-साथ यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त (Special Drive) के सम्बन्ध में पकड़े गये लोगों में हरिजनों की तथा सामान्य लोगों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

*१५५—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या जिला खीरी में Anti-crime prevention Drive के सिलसिले में कितने इस प्रकार के मुकदमे दफा १९–आर्म्स ऐक्ट को छोड़ करके हैं जिनमें चालानी रिपोर्ट्स साथ में न भेजी जा करके बाद में भेजी गई या अब तक नहीं भेजी गई और लोग जेल में सड़ रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ११६४–११६५ पर)

कमालगंज थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*१५६—श्री दयारामशाक्य—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के थाना कमालगंज के थाना इंचार्ज के विरुद्ध कोई Deputation उनसे दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ को मिला और ज्ञापन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक १९–४–६२ को मुख्य मन्त्री से एक डेपुटेशन ने भेंट की थी तथा उनके समक्ष थाना कमालगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्रस्तुत की थीं। मामले में जांच की गयी थी किन्तु शिकायतें प्रमाणित नहीं हुईं।

*१५७—श्री राजेन्द्रसिंह—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५८–१६०—श्री शिवचरण—(जिला आगरा)—[हटा दिये गये ।]

पाकिस्तान से तबदील होकर आये कांस्टेबिलों की पेंशन

*१६१—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से यहां तबदील होकर आये उनमें से पुलिस कांस्टेबिलों को पेंशन किस आधार पर दी जा रही है ?

*१६२—क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

*१६३—उक्त मामले से कितने व्यक्ति प्रदेश में प्रभावित हैं ? क्या सरकार इनकी संख्या बतायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विभाजन के बाद सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त से आये हुये उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने भारत सरकार के अधीन कार्य करना आरम्भ किया, पेंशन देने के लिये भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत रिटायर होने पर उन लोगों को, पाकिस्तान सरकार से पेंशन के मामले से सम्बन्धित समझौता होने तक, प्रोवीजनल पेंशन (Provisional pension) स्वीकृत की जाती है। इसके अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति की, सिन्ध अथवा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और उत्तर प्रदेश में की गई पूरी नौकरी पर साधारणतया मिल सकने वाली पेंशन के ६० फी सदी के बराबर पेंशन दी जाती है। इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने समस्त प्रादेशिक सरकारों को भी भेजा और यह सुझाव दिया कि उक्त सरकारों के अधीन जो विस्थापित कर्मचारी कार्य कर रहे हों, उनके सम्बन्ध में उक्त योजना लागू किये जाने के बारे में विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उक्त योजना को अपना लिया और इसी के अन्तर्गत सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के विस्थापित पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत की जाती है। यह योजना पंजाब तथा बंगाल के विस्थापित कर्मचारियों पर नहीं लागू है। उन कर्मचारियों द्वारा अविभाजित पंजाब तथा बंगाल में की गई सेवाओं के सम्बन्ध में पेंशन की जिम्मेदारी पंजाब की तथा पश्चिमी बंगाल की है। पंजाब के जो, कुछ विस्थापित कर्मचारी उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में आ गये थे उनकी पंजाब की नौकरी से सम्बन्धित पेंशन के बारे में पंजाब सरकार से बातचीत हो रही है। उन्हें साधारण नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी।

उक्त दो प्रान्तों से आये हुये पुलिस विभाग में काम करने वाले १३१ व्यक्ति प्रभावित हुये।

अतारांकित प्रश्न

चांदपुर ग्राम में अवैध असलहों की बरामदगी

१—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** तथा **श्री मन्नालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले के थाना सेरेमऊ के चांदपुर नामक ग्राम में पुलिस ने किसी ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि अवैध असलाहात निर्माण करने के कार्य किया करता था? यदि हां, तो वहां क्या सामान बरामद किया गया और उसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। खीरी जिला पुलिस ने १८-६-६२ को ग्राम चांदपुर, थाना शेरामऊ, जिला शाहजहांपुर के एक व्यक्ति के यहां से अवैध असलहे और असलहे बनाने का सामान बरामद किया। सामान की सूची संलग्न है।

अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये तत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ११६६ पर)

२—**श्री डल्लाराम** (जिला सीतापुर)—[हटा दिया गया।]

माइन्स मिनेरल्स संबंधी नियम

३—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Mine minerals (Regulation and Development) Act, 1957 की धारा १५ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कब तक नियम प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शीघ्र सम्भावना है।

४—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त नियमों के अभाव में सरकार को लाखों रुपये की रायल्टी की हानि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार नियम प्रकाशित करने में शीघ्रता करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त नियमों के अभाव में रायल्टी की हानि का अनुमान करना सम्भव नहीं है। नियम प्रकाशित करने में शीघ्रता की जा रही है।

नेवाइजपार अस्पताल का भवन न होना

५—**श्री कल्पनाथसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि राजकीय अस्पताल के नेवाइजपार, जिला गोरखपुर के पास भवन नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस समय इस अस्पताल का अपना भवन नहीं है और वह ग्राम समाज के भवन में चल रहा है। अस्पताल के लिये भवन निर्माण की योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष, आप नत्थी "ग" देखने की कृपा करें। प्रश्न संख्या १ सरकार के पास आपके कार्यालय से १-५-६२ को भेजा गया है और आज ४ मास से ज्यादा समय हो गया है और सरकार फिर आपकी इजाजत से उसे स्थगित कर रही है। यह सवाल ऐसा है जो सीधे माननीय मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें दो, दो साल से वेतन नहीं मिला है। तो इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें जो सूचना हमारे पास है, वह इस प्रकार से है कि ये प्रश्न १, २ और ३ जो आपने प्रस्तुत किये थे वे प्लानिंग विभाग से इस विभाग में २५ अगस्त, ६२ को पहुंचे थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—लेकिन चिकित्सा विभाग से इसका सम्बन्ध है?

श्री अध्यक्ष—डिपार्टमेंट में विलम्ब हो गया। जब सचिव द्वारा प्रार्थना आई तो उपाध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार कर लिया और उसे स्थगित कर दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस हाउस में अधिक से अधिक एक महीना के अन्दर उत्तर मिलना चाहिये, लेकिन चार महीने बाद भी उसे स्थगित किया जा रहा है। यह जरा अच्छा नहीं है। इससे परिपाटी खराब होती है।

श्री अध्यक्ष—प्लानिंग विभाग में गलती से प्रश्न चले गये थे, बजाय इसके कि मेडिकल में जाते। इसी गलती में विलम्ब हो गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, काफी प्रश्न सूची से हटा दिये जाते हैं और आज भी चार, पांच ऐसे प्रश्न हैं जो हटा दिये गये हैं। एक बार जो प्रश्न स्वीकृत हो जाते हैं किस नियम के अनुसार उन्हें हटा दिया जाता है और जिनके वे प्रश्न होते हैं, उनको इस बात की सूचना क्यों नहीं दी जाती है?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा यह हो कि हम लोग बैठ कर डिस्कस करें और मालूम करें कि क्यों हटाये गये और जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना हो माननीय सदस्य उन प्रश्नों को मेरे कक्ष में देख लें कि क्यों हटाये गये और क्यों विलम्ब हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव—चेम्बर में बैठ कर तो बात कर ही लेंगे, लेकिन आप हमें नियम बतायें कि किस नियम के अन्तर्गत एक बार प्रश्न स्वीकृत हो जाने के बाद आपने हटा दिये?

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम २९ है, जिसमें लिखा है "कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो।" अब इसमें २० शर्तें हैं। इनमें जिस किसी का भी अतिक्रमण हो जाता है वही प्रश्न अस्वीकार हो जाता है। तो इसमें भी यही कुछ होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस नियम में कुछ ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि एक बार जब आपने किसी प्रश्न को स्वीकार कर लिया और उसकी स्वीकृति की सूचना मुझे मिल गयी कि आपका प्रश्न स्वीकार कर लिया गया और फलां तारीख के लिये निश्चित है, उसके बाद किस नियम के अन्तर्गत लिखा हुआ है कि स्वीकृति होने के बाद उसे आप हटा दें?

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—इसी प्रश्न के साथ मेरा निवेदन यह है कि अगर हटाया जाता है तो सूचना अवश्य दे देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं समझ गया।

इसमें एक कठिनाई यह हो रही है, माननीय चन्द्रजीत जी, कि प्रश्न भेजा गया, उसको मैंने या उपाध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया और सरकारी विभाग में भेज दिया गया। वहां जब गया तो यह पता चला कि यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है या इस सम्बन्ध में जवाब पहले ही हो चुके हैं। तो उन आपत्तियों को फिर से उपाध्यक्ष महोदय या मैं विचार करके उन प्रश्नों को हटा देते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय हरिनाथजी ने कहा, आफिस का कर्त्तव्य यह है कि जब हटा दिया जाय तो उसका कारण माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जाय ताकि अगर कोई गलती मेरे आफिस की या मेरी हो तो वह दूर हो जाय। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब सदस्यों को यह सूचना जाय कि तुम्हारा प्रश्न हटा दिया गया तो उसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि किस कारण से वह हटाया गया।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। वह तो मैंने कह दिया कि हो जायगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ५७ नम्बर पर है और अच्छी तरह से इसका मखौल बनाया जा रहा है। यह पानी पीने के कुओं का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य मन्त्रीजी का मेरे पास पत्र है कि आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये थे। २५-५-६२ का यह प्रश्न है, लेकिन उत्तर यह दिया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। बताइये क्या प्यासे मर जायं? आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करता हूं कि सूचना की आखिर कोई सीमा होगी न?

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया। इस सम्बन्ध में मैंने कह दिया है कि अगर कोई प्रश्न सरकारी विभाग में एक महीने तक रह जाय और उसके पोस्टपोनमेंट के लिये मेरे पास पत्र आये तो जब तक काफी वजह न होगी मैं उस प्रार्थना को स्वीकार न करूंगा और उस विभाग को उत्तर देना लाजिम होगा। यह आदेश हो चुका है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं इस वक्त यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने, जो नियमों में व्यवस्था है कि १५ दिन के अन्दर तारांकित प्रश्नों के उत्तर आ जाने चाहिये, उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि आपने तो एक महीने का मौका दे दिया है?

श्री अध्यक्ष—नियम जरा पढ़ लीजिये तो पता चल जायगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि १५ दिन से कम नहीं होगा। यह नहीं लिखा है कि १५ दिन के अन्दर जवाब आ जायगा। मैं आपको बता दूं कि जब मेरे आफिस से कागज चला जायगा सरकार के यहां तो आशा यह की जाती है कि १५वें दिन या जिस दिन उन मन्त्री का दिवस हो उस दिन वह प्रश्न अवश्य आ जाय और वह आ जाता है। कभी-कभी आ जाने पर भी यह प्रार्थना आती है कि हम

[श्री अध्यक्ष]

अभी सूचना एकत्र कर रहे हैं या इस सम्बन्ध में हमें और समय दिया जाय। तो जहां १५, २० या २५ दिन हो जाते हैं---कभी-कभी छुट्टी हो जाती है तो २०-२५ दिन हो जाते हैं। उसके लिये मैंने यह व्यवस्था की है कि १५वें दिन तो वह आयेगा लेकिन अगर मुझसे यह प्रार्थना की जायगी कि और समय दिया जाय और एक महीने तक वह सरकारी विभाग में पड़ा रहे तो विशेष कारणों के बगैर मैं और अधिक समय नहीं दूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरे चार प्रश्न अस्वीकृत होकर आ गये हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस सदन की सरकार हैं। अगर हमारी सरकार हमारे प्रश्नों पर गौर नहीं करेगी तो सदन का काम ही कैसे चलेगा? मैं आपके सामने उन प्रश्नों को रख दूं....

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है, माननीय दीपनारायणजी। आप कृपा कर के मेरे कक्ष में आ जायं तो मैं और आप बात कर लेंगे। आपके बहुत से प्रश्न मेरे पास हैं। मेरे कक्ष में आप मुझसे मिल लीजिये तो बातचीत हो जायगी।

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, फतेहपुर को बैकवर्ड क्षेत्र नहीं रखा है और इलाहाबाद को रखा है तो मैंने प्रश्न किया था कि इसको विवादग्रस्त कहकर टाल दिया है। १९ अगस्त, १९४७ को एक रिजोल्यूशन इसी सदन में पास किया गया था जो नगरपालिका के मेहतर कर्मचारियों के बारे में था उसका उल्लंघन नगरपालिका फतेहपुर के द्वारा किये जाने के बारे में मेरा दूसरा प्रश्न था जो अस्वीकृत हुआ है।

श्री अध्यक्ष---माननीय दीपनारायणजी, आप प्रश्न पूछ लीजिये कि आप मुझ से क्या जानना चाहते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, मैं आपके सामने मुख्य मन्त्री जी तथा अन्य मन्त्रियों से कह रहा हूं कि मेरे चारों प्रश्न के महत्व को सुन लें। म्युनिसिपैलिटी के मेहतरों के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष---माननीय दीपनारायण जी, अगर आप स्पष्ट रूप से अपने विषय को नहीं रख सकते हैं, तो मुझ से मिल लें। इस समय आप कृपया बैठें।

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, आप मेरे प्रश्नों को सोचें।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---श्रीमन, जब एक प्रश्न को हटाकर दूसरे के लिये रखा जाता है तो आज वह अगर ४ नम्बर पर है तो दुबारा हटाये जाने पर वह ५६-५७ नम्बर पर चला जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह प्रश्न ही खत्म हो जाता है। अगर किसी प्रश्न को हटायें तो वह करीब-करीब उसी लाइन में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे अर्ज कर दूं कि विभिन्न दलों के नेता प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं और उसमें सब बातें मेरे कक्ष में तय हो सकती हैं। यहां पर हमने १०-१२ मिनट खर्च किये उन बातों पर जिनको हर दल के नेता मुझ से मेरे कक्ष में कह सकते हैं। मैंने निवेदन किया है कि प्रत्येक सप्ताह हर दल के नेताओं की एक मीटिंग होती है और उसमें यह सब बातें तय हो सकती हैं।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---श्रीमन्, चार महीने हो गये हैं और मेरा यह भी प्रश्न नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे पास आ जाइये। मैं बतला दूंगा कि कब आयेंगे।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७०(१) (क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित किया गया था, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों तथा उक्त विधेयक को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी ठ आगे पृष्ठ ११६७–११७५ पर)

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में सूचना दे दूं कि यह सदन की मेज पर रखे गये हैं लेकिन अभी माननीय सदस्यों को नहीं पहुंचाये जा सके हैं। वह अभी छपने गये हैं और कल या परसों तक आ जावेंगे और आप सबको दे दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सन्देश देता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा २३ अगस्त, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, बिना किसी सिफारिश के, ५ सितम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास दो नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आई थीं, उन दोनों को मैंने अस्वीकार किया है। एक तो माननीय नरसिंहनारायण जी की है। गोरखपुर माहेश्वरी मिल तथा गोरखपुर मिल में शिकायत यह है कि बोर्ड द्वारा जो भत्ता अन्तरिम रिलीफ का देना निश्चित हुआ था वह अभी तक मजदूरों के बीच में नहीं दिया गया है, इस वजह से चिन्ता है मैंने इसको अस्वीकृत किया है। न यह अविलम्बनीय विषय है और न नियम ५२ के अन्तर्गत आता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, आपको याद होगा कि जूट मिलों के मजदूरों को वेज बोर्ड ने जो इंटरिम रिलीफ दिया है, उसके बारे में मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न उपस्थित किया था जिसे आपने मन्जूर किया था और माननीय श्रम मन्त्री ने वक्तव्य दिया था कि १५ दिन के अन्दर कोशिश करेंगे कि सेंट्रल वेज बोर्ड ने सारे जूट मिलों के मजदूरों को इंटरिम रिलीफ दिया है वह मिल जाय। लेकिन उसके बावजूद भी आज महेश्वरी मिल. . . .

श्री अध्यक्ष—ठीक है। जरा सुनिये तो सही। जो बातें आप कह रहे हैं, अगर वह ठीक हैं तो मैं देख लूंगा और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

माननीय हरिनाथ तिवारी ने गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, राजेसुल्तानपुर, फैजाबाद जिले के सम्बन्ध में एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत दी है, जिसमें छः महीने से अध्यापकों को वेतन न मिलने का उल्लेख किया गया है। मैंने इसको अस्वीकार किया। छः महीने से वहां यह है और उस स्कूल के संचालन में राज्य का कोई हाथ नहीं है। वह नियम ५२ के अन्दर नहीं आ सकता। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ लें तो अधिक सुविधा होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—राज्य सरकार से सम्बन्धित है। सरकार से एड मिलती है। गांधी जी के नाम पर तो कम से कम ऐसी बात न हो। गांधी स्मारक विद्यालय नाम है और वहां छः छः महीने तक तनख्वाह न मिले! यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी के नाम को इस तरह से एक्सप्लायट करना तो अनुचित है।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग उस दिन से इन्तजार कर रहे हैं। विरोधी दल के लोगों की तरफ से एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था, उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी। २७ तारीख को आपने कहा कि सदन में पुलिस न आने के सम्बन्ध में, मैं कल व्यवस्था दे दूंगा, वह व्यवस्था नहीं आयी। बाढ़ के बारे में भी हमने कहा था। उस सम्बन्ध में आप जल्द व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं कल दोनों पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आपने कहा था कि बाढ़ के संबंध में, मैं कल नेताओं से शाम को बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये मैं क्षमा मांगता हूं, नेता विरोधी दल से। मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे एक मीटिंग में जाना था। उसका ध्यान न होने की वजह से मैंने सदन में कह दिया था। मैं विरोधी दलों के नेताओं से निवेदन कर दूं कि जब भी उनको बुलाना होता है तो विशेष रूप से पत्र सब को भेज देते हैं, जैसे आज भेज रहे हैं। कल मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिये यह गलती हो गयी। आज हो जायगा।

*उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

(क्रमागत)‡

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ पर विवाद जारी होगा।

श्री झारखंडे राय जी कल बोल रहे थे, वे बोलेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, कल मैं कह रहा था कि सरकार के बुजुर्आ फ्रेमवर्क को देखते हुए बहुत बड़े बुनियादी उपायों की आशा तो नहीं है, लेकिन चूंकि सरकारी पक्ष ने समाजवाद को लक्ष्य घोषित किया है, इसलिये कुछ अपील करना जरूरी हो जाता है। टैक्सेशन के अलावा जितने दूसरे साधन हैं जिनको अपना कर सरकार अपने ढांचे के अन्दर और अपनी हदों को रखते हुये भी अपना कार्य कर सकती है। मैंने कल कहा था कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाये जायं। सरकार के जो भी पब्लिक सेक्टर के कार्य हैं, उनमें तमाम अपनी कुव्यवस्था के बावजूद कुछ मुनाफा हो रहा है, कुछ आमदनी हो रही है। तो यदि सरकार इधर कदम बढ़ावे, तो बहुत से कार्य जो टैक्स लगाकर पूरे किये जाते हैं वह बगैर टैक्स के भी हो सकते हैं। समाजवादी देशों में भी देखा जा रहा है कि सरकारी उद्योगों से इतनी आय होती है कि अनुपाततः टैक्सों का बोझ आम जनता पर क्रमशः कम होता जा रहा है। जब समाजवाद का लक्ष्य हमारे देश का राष्ट्रीय लक्ष्य हो चुका है और सरकारी पार्टी ने भी उसे स्वीकार कर लिया है तो फिर उधर मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है।

---

*२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

‡५ सितम्बर, १९६२ जी कार्यवाही से।

मान्यवर, सरकारी बकाये जिस कदर हमारे प्रदेश में पड़े हुये हैं, उस पर यहां पर बार-बार चर्चा हो चुकी है। अभी आज ही एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री ने बतलाया कि २५ लाख रुपये के करीब किसानों का चीनी मिल पर बाकी है और ११ लाख बाकी है सरकार का। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कानपुर की मिलों के बकाये के बारे में काफी लम्बी एक तालिका दी और बतलाया कि जितना सरकार का कानपुर की मिलों पर बकाया है, उसका ७८ फी सदी आज भी बाकी पड़ा हुआ है। इनकमटैक्स, सेल्स टैक्स का ५६.६ प्रति शत बाकी पड़ा है। यह कुल मिलाकर ३८५ लाख और ११३ लाख अर्थात् प्रायः ५ करोड़ हो जाता है। तो करोड़ों रुपया जो सब टोटल मिलाकर १५ और २० करोड़ के बीच हो जाता है यह रुपया मजबूती के साथ वसूल हो, सख्ती के साथ वसूल हो। उसी सख्ती की अपेक्षा हम करते हैं, जो सख्ती माननीय माल मंत्री जी हमारे प्रदेश के किसानों के ऊपर दिखाते हैं। बड़े गर्व से उन्होंने इस बात को कहा कि ९८ प्रति शत तक मालगुजारी प्रदेश में वसूल हो चुकी है। तो साल व साल किसानों की वसूली हो जाय और साल व साल पूंजीपतियों की वसूली न हो यह द्वैवैत क्यों, यह विरोधाभास क्यों ? यह व्यवहार में अन्तर क्यों ?

सरकार ने इस टैक्स को बढ़ाने के पीछे एक तर्क दिया। मैंने उसका जवाब दिया था कि अब तक के ११ साल के बजट को देखकर के हमको यह लगता है कि रांग बर्जटिंग इस सरकार का एक कार्य हो गया है। १३ करोड़ का जो घाटे का बजट है यह सचमुच दो साल के ऐक्चुअल्स के आ जाने के बाद इसी पोजीशन में रहेगा, इसमें हमें सन्देह है। इसमें काफी लम्बी रकम या तो मुनाफे के रूप में दिखायी पड़ेगी या घाटा बहुत कम रह जायगा। तो यह रांग बजटिंग का जो दोष अब तक दूर नहीं हो सका है, उससे भी हम समझते हैं कि यह घाटे को पूरा करने का तरीका, टैक्स बढ़ाकर के जो अख्तियार किया गया है यह अनुचित है।

मान्यवर, हमारे देश में एकोनामिक पावर का कंसेन्ट्रेशन जिस तरह से हो रहा है उससे लगता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय का करीब ७० फी सदी हिस्सा कुछ मुट्ठीभर आदमियों के हाथ में इकट्ठा हो रहा है। इस गति को अगर नहीं रोका गया तो अमीर की अमीरी और गरीब की गरीबी के बढ़ने का जो क्रम है वह आगे और तेजी से जारी रहेगा। इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो एक बातें पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से कुछ लोगों के हाथों में एकोनामिक पावर इकट्ठा हो रही है। नमूने के तौर पर आप देखें—सिंहानिया फेमिली के हाथ में आज १०७ डाइरेक्टरशिप हैं, डालमियां और जैन के हाथ में १०३, रुइया के हाथ में ८०, बिरला के हाथ में ६०, गोयनका के हाथ में ५५, पोद्दार के हाथ में ५५, बांगूर के हाथ में ५२, जाटिया ब्रदर्श के हाथ में ५१, थापर के हाथ में ३५ और टाटा के हाथ में २१ डाइरेक्टरशिप्स हैं। इस तरह से एकोनामिक पावर्स का कंसेन्ट्रेशन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। यह भी एक खतरे का चिन्ह है। अगर इकानामिक पावर की मोनोपोली को नहीं तोड़ा गया तो यह पोलिटिकल पावर की मोनोपोली की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ायेगी और उसका नतीजा फैसिज्म और मुल्कों में हुआ है, यहां भी हो सकता है। टाटा की कुल रजिस्टर्ड पूंजी २९० करोड़ है। बिड़ला की २९१ करोड़ है। मार्टिन बर्नस् की ८८ करोड़, डालमिया—जैन की ५० करोड़ है। मफतलाल की २३ करोड़ है। वालचन्दस् की २० करोड़ है और महेन्द्रास् की १४ करोड़ है। इस तरह से ७७६ करोड़ की यह पूंजी केवल ७ परिवारों में ही एकत्रित होकर रह गई है। उनके एशोआराम के सामान का कोई हिसाब नहीं है। जो चोरी की रकम दूसरे बही खातों में रह जाती है उसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन यह तो वह रकम है जिसका हिसाब गवर्नमेंट में रखा जाता है। यह इकानामिक पावर जो बढ़ रही है यह खतरे की दिशा की ओर संकेत करती है। हमारे प्रदेश की सरकार भी उसकी हिस्सेदार है क्योंकि हमारे प्रदेश की सरकार भी उसी पार्टी की है कि जिस पार्टी का शासन आज हमारे देश में चल रहा है।

मैं एक उदाहरण और आप के सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह से थोड़े से आदमियों के हाथ में डाइरेक्टरशिप की इकोनामिक पावर हमारे देश की इकट्ठा हो रही है। उसको आप देखें कि ११३ आदमी हमारे देश में ऐसे हैं, जिनके हाथ में ११३ कम्पनियों की डायरेक्टरशिप है। २९४ ऐसे आदमी हैं, जिनके हाथ में १,५४१ कम्पनियों की डायरेक्टरशिप है। ९५ आदमी

[श्री झारखंडेराय]
ऐसे हैं जिन के हाथ में १,४२१ कम्पनियों की डाइरेक्टरशिप है और ४४ आदमी ऐसे हैं जिनके हाथ में १,०९९ कम्पनियों की डायरेक्टरशिप पड़ी हुई है। कहने का मतलब यह है कि इकानामिक पावर का कन्सैन्ट्रेशन कुछ परिवारों के हाथ में हो रहा है और यह एक राजनैतिक संकट की ओर हमें ढकेल रहा है।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जिसका जिक्र कई बार यहां पर आ चुका है और जिसको माननीय मुख्य मंत्री भी सुनते-सुनते ऊब गये हैं। लेकिन मजबूरी है उनके सुनने की और हमारे कहने की क्यों कि नीति में अन्तर हैं। वह बात में राष्ट्रीयकरण के बारे में कहना चाहता हूं। टी० टी० कृष्णमाचारी कम्युनिस्ट नहीं है। न वह प्रजा समाजवादी है और न कोई सोशलिस्ट हैं। बुर्जुआ डेमोक्रेट वह हो सकते हैं। उनका मत राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या है वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उनको यह कहने का साहस तभी हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने समाजवाद अपना लक्ष्य घोषित किया है। उनका कहना यह है कि "समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिये विशाल उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण एवं स्वामित्व अनिवार्य है अन्यथा व्यक्ति विशेष के हाथों में इनकी व्यवस्था छोड़ देने का आशय आर्थिक शक्ति का अस्वास्थ्यकर केन्द्रीकरण करना होगा। ऐसे केन्द्रीयकरण से प्रजातन्त्र दूषित होगा तथा दबाव डालने वाले गुटों का सृजन होगा। माननीय माननीय मुख्य मंत्री विशेषकर अपनी आंख खोलकर देख लें कि इन्होंने क्या मत प्रकट किया है, इसलिये मैंने यह बतलाया। मैं कहना चाहता हूं कि इन साधनों को एकत्रित करने वाले हमारे प्रदेश के बड़े भारी उद्योगपति चीनी मिलों के मालिक हैं। उनके चीनी मिल सरकार अपने हाथ में ले ले। उनका राष्ट्रीयकरण करे। उसके लिये अनिवार्य परिवर्तन हमारे संविधान में किया जाय। इधर भी कांग्रेस पार्टी को अपना कदम बढ़ाना चाहिये और प्रदेश की सरकारों को बढ़ाना चाहिये। संविधान में परिवर्तन १४ बार हो चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि विधान के निर्माताओं ने यह स्वप्न नहीं देखा होगा कि चन्द वर्षों के अन्दर इस संविधान के अन्दर इतने परिवर्तन हमको करने पड़ेंगे किन्तु डवलपिंग इकानामी का तकाजा है कि परिवर्तन किये जायं। जनता की बढ़ती हुई आकांक्षा का तकाजा है कि संविधान में परिवर्तन किये जायं और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन हुये हैं। मेरा विचार और मांग है कि संविधान में ऐसे परिवर्तन किये जायं और इन बड़े-बड़े उद्योगों को सरकार अपने अधिकार में ले ले। उनको मुआविजा देने की बात अगर सरकार सोचती है तो वह भी हल हो सकती है। चीनी मिल के मालिकों की आमदनी बढ़ी है। अगर उनको मुआवजा देने की बात मानते हैं तो सरकार की आमदनी उससे २० करोड़ सालाना की बढ़ेगी। अगर सरकार ५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उनको मुआविजा देती है तो वह एक अरब मुआविजा देने की बात जो कही जाती है वह २० वर्ष में पूरी हो सकती है। हमारी सरकार यदि इस तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाती है तो हमारे और उनके मत में एकता कैसे हो सकती है? यह हमें बार-बार कहना होगा और उन्हें सुनना होगा। सूती मिले हैं, बिजली कंपनियां हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सड़ गल गयी हैं, सस्ती मजदूरी देकर मजदूरों से काम कराया जाता है, मंहगी बिजली बेच कर डबल मुनाफा कमाया जाता है, देश और प्रदेश की जनता से और यह सरकार आज भी उन पर नियंत्रण करना नहीं चाहती। क्या मतलब है? मै कहना चाहूंगा उधर के मेम्बरान से कि आखिर कौन-सा दृष्टिकोण है कि जिसके कारण हम में और उन में इस प्रश्न पर मतभेद है। क्यों नहीं वे इस के लिये आगे बढ़ते, कांग्रेस पार्टी में इसके लिये आवाज उठाते?

मान्यवर, इन बातों के साथ आखिर में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। माननीय श्रीपाल जी ने कल कुछ बातें कही थीं और उसके सिलसिले में हमारे भाई जो कल बोले और जिसका मतलब किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, उन्होंने कहा कि अगर वे आत्महत्या करना चाहते हैं तो हमको परेशानी क्यों है। उनके मत से हमको इसके लिये खुशी होनी चाहिये। लेकिन इसमें आत्महत्या किसी व्यक्ति की नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस सरकार हटती है तो देश में, प्रदेश मे, अनारकी हो जाय, कयास हो जाय यह हम कम्युनिस्ट नहीं चाहते। हम जरूर चाहते

हैं कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार हटे, इसे हटना भी चाहिये, लेकिन उसके बाद इससे प्रगतिशील ज्यादा तेज चलने वाली जनता की सरकार, अच्छी राह पर चलने वाली मजदूर किसान की सरकार इस देश में कायम हो। यह हम चाहते हैं और इसकी गारन्टी होनी चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में फौजी हुकूमत हो जाय या कोई ऐसी घोर प्रतिक्रियावादी सरकार कायम हो जाय जो प्रगति के चरण अब तक बढ़ चुके हैं उनको पीछे ले जाने की कोशिश करे। हम या हमारी पार्टी ऐसा नहीं चाहती। इसलिये हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वह काम न करे जिससे उसकी हत्या समय के पहले हो जाय।

आखिरी बात, और वह उधर के बैठने वाले विधायकों से कहूंगा कि कभी-कभी पार्टी की निष्ठा और देश प्रेम और जनहित में टक्कर हो जाती है। ऐसे ऐतिहासिक मोड़ के मौकों पर कुछ विशेष साहस की जरूरत होती है और वह साहस दिखलाया है, हमारे अब्बासी साहब ने। अनुशासन भी टूटते हैं विशेष मौकों पर और वे ऐसे ही अवसर होते हैं जब पार्टी पर हावी लोगों द्वारा देश का हित, जनता का हित नीचे किया जाता है और पार्टी का हित और पार्टियों के भी अन्दर विशेष गुटों, वर्ग में भी कुछ लोगों का हित आगे किया जाता है, उसे प्रधानता दी जाती है। ऐसे समय ही अनुशासन टूटते हैं और टूटने चाहिये। उस समय पार्टियों के बंधन टूटते हैं और टूटने चाहिये। इसलिये मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी पार्टी में इसका जितना विरोध किये हैं, उसके अलावा यहां भी उनसे अपेक्षा है कि वे इसका विरोध करें और शहरी और देहाती जनता के खिलाफ टैक्स बढ़ाने की जो वार हमारे मुख्य मन्त्री जी ने डिक्लेयर की है उसे वह रोकें। इसी में कांग्रेस पार्टी का हित है और प्रदेश की जनता का हित है।

अंत में, मैं यह कह कर बैठूंगा कि अगर हमारी सारी बातें बेकार हो जाती ह, कहने सुनने की कोई सुनवाई नहीं होती, यहां की बहसों का कोई असर नहीं पड़ता, माननीय गेंदा सिंह जी ऐसे मास्टर के समझाने का भी असर नहीं पड़ता,तो हमारे पास, मान्यवर क्या उपाय है यह मैं आप से पूछना चाहता हूं। तो दो ही उपाय हैं। एक तो हम घुटना टेक कर आत्म-समर्पण करें, चुपचाप बैठें, एक तो यह उपाय है। लेकिन दूसरा उपाय है और हमने सोचा है कि हम उसी उपाय को करेंगे। इसका विरोध अगर यहां विधान सभा के भीतर कामयाब नहीं होता तो हम इसका विरोध बाहर करेंगे और बाहर का विरोध जैसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शान्तिपूर्ण सत्याग्रह का बतलाया है, वैसा होगा, हम उसी मार्ग का अवलम्बन करेंगे और हम इसका डटकर विरोध करेंगे। यदि दमन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम जनता के साथ कुचल जायें बनिस्बत इसके कि हम इन चीजों को बिना लड़े हुये बिना विरोध के मान लें। हम जनता के साथ कट जाना और बलि हो जाना पसंद करेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों से इस विषय पर चर्चा चल रही है और मैंने यहां पर विधेयक के ऊपर हुई बहस को बड़े ध्यान से सुना। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। उनके जितने महत्व-पूर्ण विचार हैं उनको मैंने हृदयंगम किया। कुछ भाई हमारे हैं जिन्होंने यहां पर किंचित् रोष दिखलाया था। कुछ ऐसे हैं, जैसे हमारे माननीय गेंदासिंह जी जिन्होंने कल अपने भाषण में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार रखे। मैं उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करती हूं। चाहे वे विरोधी दल के नेता हों परन्तु उनके बड़े अच्छे और सुन्दर विचार थे। यहां पर कई ऐसे भाषण हुये जिनमें काफी मैटीरियल मिल सकता है और जिनमें काफी फूड फार थाट पाया जाता है। यह बड़ा ही अच्छा कदम हैं। हम लोग पढ़े-लिखे हैं हम लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिये, जिसमें हम आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि इस समय जो फिजा इस सदन में है, वह बड़ी दुखद है, मैं देखती हूं कि कोई विशेष ध्यान माननीय सदस्य इस विधेयक पर नहीं दे रहे हैं, परन्तु इस पर कि इस समय सरकार की टैक्स की पालिसी क्या है। टैक्सों के विरुद्ध जो हमारे आरोप हैं वह किसी न किसी रूप में यहां पर प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा, हर विधेयक पर किसी न किसी रूप में एक मिनिएचर सेन्शर मोशन आ जाता है। मुझे ऐसा आभास होता है कि सरकार से हमारे

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

माननीय सदस्य इस समय किसी न किसी विषय पर कुछ थोड़ा नाराज हैं। वे हर विधेयक में अपने नाराजगी की चीज रखते हैं।

एक बात मैं और बताऊं। जैसा कि मैंने अपनी १३ अगस्त की स्पीच में कहा था कि हर चीज का समय होता है। जैसे टाइम बांब के एक्सप्लोड होने का समय होता है, उसी प्रकार से आपका किसी भी चीज को पुट-अप करने का समय होता है। गलत समय से उसको रखने से उसका महत्व और उसकी तेजी कम हो जाती है। उसी प्रकार से आपके विरोध भी मिस कैलकुलेटेड हैं और इसीलिये वह मिसफायर कर जाते हैं। परन्तु आपका मशाला भी बरसात होने के कारण सील गया है और आप कहते हैं कि हमने बिलकुल ही सही कदम उठाया है। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगी कि आप यह तो सोचें कि सदन का समय कितना कीमती होता है, जिसको बेकार न किया जाय। आप ऐसे सुझाव रखें जो कुछ दमदार हों, जिनमें कुछ बल हो, जो कुछ ठोस हों, यह बात मैं आप लोगों ही से नहीं कह रही किन्तु इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी कह रही हूं, जिसमें हम को कुछ नया रास्ता मिल सके, नई रोशनी मिल सके।

यहां पर माननीय सदस्यों ने सदन में अपनी जो रायें प्रकट कीं, वह कई प्रकार की थीं। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो योजना के बिलकुल विपरीत हैं और जो योजना में विश्वास ही नहीं करते। जैसे कल हमारे एक विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा था कि इस योजना की आड़ में कांग्रेस सरकार बड़ा भारी शिकार खेल रही है और सदैव के लिये और आगे आने वाले वर्षों में इसके माध्यम से गरीब जनता के ऊपर, एक बड़ा भारी बोझ डाल रही है। इसलिये ऐसा करके वह बड़ा गलत कदम उठा रही है। दूसरे हमारे भाई जो शायद सोशालिस्ट दल के हैं, उन्होंने कहा और पूज्य बापू की इस तस्वीर की ओर बारबार अंगुली को उठाकर कहा, कि हम लोग पूज्य बापू के विचारों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमारे माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी को लक्ष्य करके कहा कि वे पूज्य बापू के सिद्धान्तों के मानने वाले होकर भी ऐसा कदम उठा रहे हैं। पूज्य बापू का संदेश था कि गरीबों को राहत हो और समाजवाद का नारा लगाया था परन्तु हमारी सरकार के मंत्री गण उसके खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन ऐसा लगना चाहिये जैसे कि बरसाती पानी को सूर्य सोखते हैं और बाद में वहां पर एक ज्योति आ जाती है, सफाई हो जाती है। इसी प्रकार से सरकार को भी टैक्स लगाना चाहिये कि उससे जनता को सुख हो, लाभ हो और शांति हो। पर सरकार अपने मनमाने ढंग से टैक्सेशन कर रही है। यह सब बातें हमारे उन माननीय सदस्य ने कहीं, जिनका जवाब मैं बाद में दूंगी।

एक और तीसरी विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं कि योजना होनी चाहिये, परन्तु उसके मेथड और टेकनीक में अंतर होना चाहिये। इसके अलवा एक पक्ष और है जो बिलकुल योजना की तरफ है। उसमें मैं अपने को भी मानती हूं। मैं सब को लेकर कहूंगी कि आखिर सरकार करे तो क्या करे? अगर किसी चीज पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है तो उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। यहां नहीं भूलना चाहिये कि १५ वर्ष पहले हमारे देश और प्रदेश की क्या परिस्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। हमारे देश का ४ हजार वर्ष पुराना इतिहास है, उसमें १५ साल एक बूंद बराबर भी नहीं है। एक दम अद्भुत चमत्कार नहीं हो सकता और न एक दम ऐसा हो सकता है कि सब चीज गोल्ड बन जाय। इन सब चीजों पर हमको ध्यान करना चाहिये।

अगर हम योजना के पहले के और आज के आंकड़े मिलाते हैं तो बड़े-बड़े इकानामिस्ट्स ने माना है कि हमारी गरीबी पहले से कम हो रही है। राष्ट्रीय आय पहले से बढ गयी है और साथ ही साथ हमको यह कोशिश करनी है कि कांग्रेस ने जिस सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी को बनाने का वचन दिया है, तो हर एक डिस्पैरिटी को भी हमें दूर करना चाहिये। हमारे एक भाई ने कहा था कि हम लोगों की मैक्जिमम अमाउंट आफ कांपिटेंस और एफिसियेंसी और मिनिमम एक्सपैंडीचर

होना चाहिये और मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर अविलम्ब विचार करे। लेकिन विधेयक लाने का तात्पर्य क्या है, यह भी हमें देखना है। सरकार ने जो अपना वचन योजना की पूर्ति के लिये दिया है वह क्यों दिया है? यह टैक्स क्यों आया है? इन सवालों पर भी विचार करना है। यह टैक्स योजना की पूर्ति के लिये आया है। सरकार के पास और क्या उपाय था? एक राजनीतिक संग्राम जीतने के बाद आज एक बहुत बड़ा संग्राम हमारे सामने है जिसमें हमारे और आपके सहयोग की आवश्यकता है और आज ४४ करोड़ जनता के सामने वही प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी सबसे बड़ी योजना है, जिसमें ४९७ करोड़ लागत आयेगी। साथ ही हमारा इनिशियल हैंडीकैप ७४ फी सदी, जहां तक कृषि की बात है और ४७ फीसदी पिछड़ापन और निर्धनता है। तो मैं तो कहूंगी कि यह तो चेलेंज है प्रत्येक नागरिक को। पहले कहा जाता था कि पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मैंने कहा था कि मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती है जब हम कहते हैं कि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। वैसे है पिछड़ा, लेकिन एक दिन था जबकि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति, इतिहास और विद्या में अग्रसर था। तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगी कि एक दिन फिर आया है जब यह "पिछड़ा हुआ" शब्द प्रिफिक्स न होकर सफिक्स बन जाय और लोग कहें कि "जो पिछड़ा हुआ था"। इसके लिये हम कांक्रीट सजेशंस दें। गेंदासिंह जी ने कहा था कि अगर यह टैक्स नहीं लगता और चीनी का राष्ट्रीयकरण कराने हैं तो संभव है कि एक ऊंचे वर्ग पर टैक्स का भार पड़े जो टैक्स देने के लायक है। मैं बताऊं कि अभी एक आर्टिकिल निकला है एक बड़े इकोनामिस्ट का। उन्होंने लिखा है कि अगर देखा जाय तो ऊंचे तबके पर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वह कोई बहुत कम नहीं है। परन्तु जो औसत है उसको अगर और देशों से मिलाते हैं तो और देशों में २५-३० फी सदी राष्ट्रीय आय का इनकम टैक्स में दे दिया जाता है और भारतवर्ष में सिर्फ ११-१२ फी सदी पड़ता है। तो यह कहना कि हमारा टैक्स टाप हैवी है यह आंकड़ों से सिद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के सामने आया है तो हम अपना कर्तव्य न भूल जायं। हमें अगर विधेयक के साथ इंसाफ करना है तो जो इस पर विवाद चल रहा है और जो तर्क विरोध पक्ष की ओर से उपस्थित किये जा रहे हैं क्या वही तर्क आगे भी जितने बिल टैक्सों के आयेंगे उन पर वही क्लाज बाई क्लाज पेश किये जायेंगे, जैसा कि झोपड़ी और सब चीजों को सामने रखने की कोशिश की है? हर एक को उसकी मेरिट पर जज करने का मौका दिया जाय। यह विधेयक हमारे रिक्से वाले भाइयों, तांगा चलाने वाले भाइयों पर ही अकेले नहीं आयेगा। उन गरीबों पर ही नहीं आयेगा जो बहुत तकलीफों से लदे हुये हैं। आज जो गरीबी है वह सभी को मालूम है। अफसोस की बात है कि इतनी योजना बनाने के बाद, जिस तेजी से हम चलना चाहते हैं और जिस गरीबी की जंजीरों को हम तोड़ना चाहते हैं, वह नहीं कर पाये। जो माननीय सदस्य, मेरे भाई यहां पर रोब और गुस्सा दिखाते हैं, वे सब मिलकर यदि इस गरीबी को दूर करने में सहयोग दें, उसको दूर करने के लिये एक आन्दोलन शुरू कर दें, तो बहुत कुछ गरीबी दूर हो सकती है। जैसा कि कल मेरे भाई झारखंडे राय जी ने कहा कि हम कदम-कदम पर जनता में सरकार के प्रति असहयाग दिखलायेंगे, मैं कहूंगा कि उन्होंने इसे गम्भीरता के साथ सोचा नहीं। अगर वे अपनी लड़ाई का टार्जेट बदल दें और अगर वे अपनी बन्दूक सरकार की तरफ न दागें, बल्कि उसको गरीबी की तरफ दागें, तो फिर हम सब का आबजेक्टिव एक हो जायेगा और हम इस गरीबी को दूर करने में सफल हो सकेंगे। मैं उनकी बड़ी कद्र करती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि जो विचारधारा उनके सामने है उस पर वे जरा गम्भीरतापूर्वक सोचें, विचार करें और फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे यह चीज दूर हो सके।

कल माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हमारी मिक्स्ड एकोनामी की पालिसी है और वह चीज हमारे अधिकार के बाहर है। अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो वह हमारे संविधान के खिलाफ होगा। फिर संविधान में परिवर्तन करना भी

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

एक दो दिन का काम नहीं है। उसके लिये साल दो साल का समय चाहिये। आज के युग में जबकि एक-एक क्षण की, एक-एक फ्रेक्शन की भी कीमत होती है, राष्ट्र में एक दौड़-सी मची हुई है, तो क्या हमारे देश के लिये, जो एक सबसे पिछड़ा हुआ देश समझा जाता है, यह उचित होगा कि हम दो साल के लिये केवल इस जिद्द पर कि हमारे संविधान में परिवर्तन हो, अपने कार्य को रोक दें, अपनी योजनाओं को लैप्स होने दें? अगर दो साल तक हमारी योजनाओं के लिये कोई रिसोसेज नहीं निकलते, तो उसका नतीजा क्या होगा? हमने जनता के सामने जो वचन रखा है कि हम इन सब चीजों को दूर करेंगे, अपनी सेवा-भावना प्रदर्शित करेंगे, तो आज अगर हम उसे पूरा नहीं करते तो हम किस प्रकार जनता के सामने जाकर मुंह दिखलायेंगे? फिर क्या अगर दो साल के बाद राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो क्या यह चीजें सामने नहीं आयेंगी? इसलिये आज आवश्यकता है कि हम अपने एक मिनट को भी खोने नहीं दें।

एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहती हूं और वह यह कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वह उसकी लाचारी है। माननीय गेंदासिंह जी का कहना था कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है, कि उसी तबके से टैक्स लिया जायेगा जो देने के लायक है। इसके उत्तर में मैं, हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में पृष्ठ १०४ पर जो लिखा है उसे आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहती हूं—

".....There is, however, no escape from the fact that in a country like India where the bulk of the people are poor, resources on an adequate scale cannot be raised without calling for a measure of sacrifice from all classes of the people....."

इसके अनुसार न गरीब छूटता है और न अमीर छूटता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि एक ही वर्ग से लिया जायगा। दूसरी चीज यह लिखी है उसी पृष्ठ पर—

".....The additional taxation by the States in 1961-62 has been below expectations. It will be essential to make up for this in the coming years. Effort will also be necessary in respect of public undertakings of State Governments to enlarge their surpluses....."

सरकार की नीति क्या है, यह भी इन शब्दों से साफ जाहिर होता है। तो मैं निवेदन करूंगी कि सरकार लाचार है टैक्स लगाने के लिये और उसको हर तबके के ऊपर लगाया जायेगा।

इसके अलावा, विधेयक में यह चीज भी साफ तौर से लिखी हुई है कि उस भूमि पर टैक्स लगाया जायेगा जो एक एकड़ से ज्यादा होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यह कोई कुरान की आयत तो है नहीं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—मैं भी उस कानपुर शहर में रहती हूं जिसके लिये आप कहते हैं और अक्सर इसकी दुहाई देते हैं कि वहां बड़े-बड़े कैपेटलिस्ट रहते हैं। इत्तफाक से वहां भी ऐसी भूमि बहुत है जिस पर यह कर लगाया जायगा। लेकिन मैं समझती हूं कि इस विधेयक के द्वारा जो यह कदम उठाया जा रहा है वह एक क्रान्तिकारी कदम है और इससे अमीरों पर अधिक असर पड़ेगा। मैं सरकार से कहूंगी कि अगर सरकार इस विधेयक को लाना चाहती तो लाये, यह एक अच्छा कदम है और जैसा कि कहा गया अपने अपने देश के निर्माण के लिये इस कर को देना हर एक का कर्त्तव्य हो जाता है। योजना एक महान अनुष्ठान है। इसके साथ ही साथ जब हम सरकार में इस प्रकार की अथारिटी को वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी यह ध्यान रखना चाहिये कि उस रुपये का एक पैसा भी अपव्यय न हो और उसका मैक्सीमम लाभ लोगों को पहुंचे। इन शब्दों के साथ, इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह कर का युग है और आज के इस विधेयक को देखने से मालूम होता है कि इनकी शृंखला बंद होने वाली नहीं है और यह सब योजनाओं के नाम पर मांगा जाता है। हम भी योजनाओं के विरोधी नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि हम उसके मूल में कोई परिवर्तन चाहते हों, उसकी पद्धति में कोई परिवर्तन चाहते हों।

पहले तो हमें यह देखना चाहिये कि जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है तथा यह टैक्स उसके मन में कौन-सी प्रेरणा उत्पन्न करेगा। आज जिस प्रकार से योजनायें चलाई जा रहीं है उनसे हमारे मन में कोई उत्साह और स्फूर्ति पैदा नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में योजनाओं से साधारण जनता को क्या लाभ पहुंचा है। सरकार के द्वारा दिये गये आंकड़ों को अनुसार चाहे ५ प्रतिशत अमीर आदमियों को भले ही सुख सुविधा पहुंची हो, उनका जीवन-स्तर भले ही ऊंचा हो, जनसाधारण की क्या हालत है, क्या उनको यह मालूम नहीं है, चाहे वह जनसाधारण देहात में रहते हों अथवा शहर में। मैं आंकड़े तो पेश करना नहीं चाहता, वे तो बहुत से लोगों द्वारा पेश कर दिये गये हैं और उनके बारे में तो कांग्रेस के श्री मन्नारायण अग्रवाल जी ने भी कहा है कि आंकड़े तो गलत होते हैं, उनके आधार पर तो योजना बनायी नहीं जा सकती। इसलिये उन अकड़ों को अलग रख कर ही मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं से जनसाधारण को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। जितनी भी जीवन की आवश्यक चीजें हैं—भोजन, वस्त्र, दवायें और शिक्षा आदि में कोई सुख सुविधा जनसाधारण को पहुंची है ?

अक्सर इंग्लैंड और अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ इंसीडेंस आफ टेक्सेशन इतना अधिक है। लेकिन यह कभी भी नहीं सोचा जाता है कि उसके बदले में वे सुख सुविधायें लोगों को देते क्या हैं। शिक्षा; दवा, आदि में सुविधायें उनके द्वारा दी जाती है। मेरे यहाँ बर्डपुर नाम की एक अंग्रेजी स्टेट थी। वहाँ के प्रोपराइटर एक लाख रुपया मालगुजारी देते थे। उन्होंने एक बार बताया कि एक बार जब मैं एयरोड्रोम जाते समय सड़क क्रास कर रहा था तो मेरे ऊपर से एक वेहीकिल्स निकल गयी। मैं तुरन्त बेहोश हो गया और मेरे फ्रेक्चर हो गया। वहाँ जो सिपाही खड़ा था वह मुझको ५ मिनट में एम्बुलेंस में बैठा कर अस्पताल ले आया। जब मैं होश में आया तो उसने मुझे पूछा कि आपको याद है कि आप कितनी देर में हास्पिटल में ले आये गये हैं। उसी ने बताया कि ५ मिनट में। आपको होश आ जाय, इसीलिये मैं यहाँ खड़ा था। उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ के टैक्सों को देखते हैं तो काँप उठते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पर आवश्यक सुविधायें बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने फिर कहा कि क्या आप जानते हैं अगर हिन्दोस्तान होता तो क्या होता, वैसी हालत में। या तो कोई कम्पाउन्डर मुझे नोंच खाता या कोई डाक्टर नोंच खाता।

किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाइये। दवायें वहाँ हैं नहीं। हर एक डिस्पेंसरी के पास ही कोई न कोई मेडीकल स्टोर लगा हुआ है। वहाँ जाइये और वहाँ से दवा लाइये। पट्टी भी अस्पताल में नहीं मिलती, कहीं-कहीं तो अस्पताल में इजेक्शन लगवाई भी देनी होती है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अस्पतालों में जाकर देखा है कि वहाँ गरीबों पर क्या बीतती है, वहाँ क्या-क्या एमीनिटीज गरीबों को दी जाती हैं।

आप योजनाओं के लिये रुपया माँगते हैं, हम उससे सहमत हैं लेकिन उसमें कोई प्रायोरिटी तो होनी ही चाहिये। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कमी कहां करनी चाहिये, खर्च यहाँ करना चाहिये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक मोटी बात योजना की आपने पकड़ ली है, उसी के नाम ले कर आप जनता से टैक्स वसूल करना चाहते हैं। आपने ऐलान किया शिक्षा मुफ्त देंगे, लेकिन उन्हीं क्लासेज में आज ८ रुपया फीस देनी पड़ रही है और पुस्तकें, वे तो नित्य ही बदलती रहती है।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

हमारी बहन ने अभी केवल आदर्शवाद की बातें कर दीं। उन्होंने किताब भी पढ़ी, जिसके लिये ऊदल जी ने कहा कि वह कोई कुरान की आयत तो है नहीं। वह भी तो आपकी ही बनायी हुई है और फिर आप उस सिद्धान्त का पालन तो करते नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों पर टैक्स लगेगा। लेकिन इसी विधेयक को देख कर मैं बताऊंगा कि इसमें कहाँ-कहाँ खामी है, क्योंकि मैं भी इनकम टैक्स की प्रेक्टिस करता हूं।

किसी बारे में भी न तो हमारी सरकार के विचार ही स्पष्ट हैं और न उनके कर्मचारियों के। बस एक ब्रेन वेव आ गयी कि टैक्स लगना चाहिये और टैक्स लगा दिया गाया। क्या आपने उसको लगाते समय यह भी ध्यान दिया कि उससे गरीबों के भोजन, कपड़े और दूसरी चीजों पर उसका क्या असर पड़ेगा ? क्या आपने गरीबों को कपड़े, मकान, तेल, नमक और उसके द्वारा काम में लिये जाने वाली चीजों को सस्ता किया ? मुझे एक भी चीज बतायें जिसमें गरीबों और दबे हुये को आपके द्वारा इन दस बरसों में राहत मिली हो या उसके दामों को आपने घटाया हो।

कल ही आपने पुलिस विभाग पर डिबेट को होने नहीं दिया। माननीय सदस्यों की एक मामूली-सी माँग थी कि उस विभाग का मंत्री अमुक व्यक्ति को बना दिया जाय, लेकिन वह माँगें भी स्वीकार नहीं की गयीं।

मैं सच कहता हूं। मेरे घर में भी एक अस्पताल है। यह सच है कि सिविल हास्पिटल्स में जनता कराहती है। उनको वहाँ पर दवायें नहीं मिलतीं। न्याय की हालत आपकी यह है कि गरीब को न्याय मिल सकना भी मुश्किल हो गया है। आपने कोर्ट फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। भारतवर्ष में ही न्याय इतना मंहगा है। जब कोर्ट फीस बढ़ाई जाती है तो हमसे यह नहीं कहा जाता है कि हमें न्याय शासन के लिये रुपये की आवश्यकता है लेकिन यह कहा जाता है कि योजनाओं के लिये रुपये की जरूरत है इसलिये कोर्ट फीस बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, कि योजना के लिये जरूरत है। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ सदन में नहीं करना चाहता, वह बहुत बड़ा ही बुरा शब्द है। मैं पूछता हूं कि जिन गरीबों के आप प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उनके लिये भी तो आपने कहने के लिये न्याय को सस्ता बनाया है लेकिन असल में आपने उन गरीबों के जीवन में फायदा पहुंचाने के लिये क्या किया है। अगर आँकड़े इकट्ठे किये जायं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अदालत में ८० फी सदी मुकदमे उन गरीबों के ही हैं जो पंचायतों आदि में कहीं राहत न पाकर मजबूर होकर न्याय पाने की आशा में इन न्यायालयों में आते हैं। आज पंचायतों में जिस तरह की स्थिति है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आज आपने कोर्ट फीस ड्योढ़ी दुगुनी करके उसके सामने एक भीति खड़ी कर दी है। आप जो अनुमान लगाते हैं वह भी गलत ही लगाते हैं। आपने अन्दाजा लगाया कि कोर्ट फीस से हमें ५० हजार का फायदा होगा जबकि आगे चल कर आपको कई लाख का फायदा हुआ। इस तरह से अन्दाजिया तौर पर जो आप एस्टीमेट टैक्स लगाने का लगाते हैं वह भी गलत होता है। हमारी बहन जी ने कहा कि यह टैक्स धनियों के लिये है, गरीबों के लिये नहीं है। मैं कहता हूं कि आप अपने मन में चाहे जो कुछ सोचें लेकिन इस बिल से बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका असर गरीबों पर भी पड़ेगा। जिन्होंने अखबारों में पढ़ा होगा उनको मालूम हो गया कि गरीब तबका भी इससे एफेक्टिव है और सरकार को अपनी पार्टी पर भी कॉफिडेंस नहीं है। जब सरकार अपनी पार्टी को कॉफिडेंस में नहीं लेना चाहती है तो यह सोचने की बात है कि वह विरोधी दलों को अपने कॉफिडेंस में कैसे ले सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि "दिस इज वन मैन्स शो" (This is one man's show.)। कहने के लिये तो कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि हम २४९ प्रतिनिधि तो जनता की तरफ से यहाँ आये हैं और जीत कर आये हैं जनता की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब इस विधेयक पर उनकी राय लेने की बात है तो उन तक की राय नहीं ली गयी, फिर हम लोगों की राय सरकार क्या लेगी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज स्थिति

ऐसी चल रही है कि सरकार किसी की भी राय मानने के लिये तैयार नहीं है, वह किसी न किसी तरह से टैक्स लगाने पर उतारू है।

अब इस पहलू को भी देखें कि जब योजना चल रही है तो बड़े आदमियों पर भी टैक्स लगे। जब शुगर इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन की बात आती है तो वही पीटा पिटाया जवाब दे दिया जाता है। जहाँ तक बाढ़ की बात है, बाढ़ अंग्रेजों के जमाने से आती है और लोग दिन-रात मरते हैं। अपने जिले की बात कहता हूं कि वहाँ एक तहसील के कोने में ही ४०० के करीब गाँव डूब गये हैं लेकिन सरकार द्वारा नावों का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता है। वह इसलिये कि नावों के बनवाने में देर लगती है। सन् ४७ से आपका यहाँ पर राज्य है और क्या आपने इसकी कल्पना तक नहीं की थी कि हमारे यहाँ बाढ़ आती है और आगे भी आ सकती है? आप कोई इंग्लैंड या अमेरिका में तो रहते नहीं है। जब भारतवर्ष में रहते हैं तो भारतीय जनसाधारण के कष्ट को दूर करने के लिये आपको चाहिये था कि पहले से ही नावों का प्रबन्ध कर देते, फ्लड पोस्ट पर सारे सामान रखवा देते, लेकिन आपने कभी इस पर विचार करने की कोशिश नहीं की।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

इसी प्रकार से शुगर इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन की बात है, मैं भी इससे सहमत हूं कि जरूर नेशनलाइजेशन किया जाय। मुमकिन है कि सरकार को पूंजीपात लोग जिन के पास इतना अधिक सेस का रुपया बाकी है, एलेक्शन फंड में रुपया दे देते हों लेकिन क्या कभी आपने इस पर भी सोचा है कि गरीब जन-साधारण के फायदे के लिये उन्होंने क्या किया है? जनता पर कहीं गोली चलवा देने में तो आपको बड़ी आसानी मालूम होती है लेकिन क्या आपने कभी उन गरीब किसानों की स्थिति पर भी विचार किया है जो बराबर बाढ़ ग्रस्त रहते हैं, जिनके पास कोई बैल नहीं है, जिनकी बीबी बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, जिन के बाल बच्चे परेशान हैं, फिर भी उनके रुपये मिल वाले जो नहीं देते हैं, उनको दिलवा दिया जाय? वे रुपया इसलिये नहीं देते हैं क्योंकि सरकार का उनके ऊपर कोई जोर नहीं है। जोर इसलिये नहीं है कि सरकार समझती है कि कहीं मिल वाले नाराज न हो जायं और इसीलिये शुगर सेस के लाखों रुपये उनके ऊपर बाकी हैं। सरदार नगर मिल पर करीब ३४ लाख रुपया सेस का बाकी है, इसी तरह से भटनी मिल पर करीब ३६ लाख या ५६ लाख रुपया सेस का बाकी है। आज धनी धनी होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आप इस माप दंड से क्यों नहीं मापते कि आज गरीब किसान अपनी बहू बेटी के जेवर तक गिरवों रख कर अपना काम चलाते हैं? आप गिरवों रखने वाले से यह जाकर क्यों नहीं पूछते कि आज से कुछ वर्ष पहले तुम कितने रुपये के जेवर गिरों रखते थे और अब कितने के जेवर रखते हो? मेरा खयाल है कि जो आदमी कुछ वर्ष पहले ५० हजार का जेवर गिरों रखता था वह आज कम से कम डेढ़ लाख का जेवर गिरों रखता है। आप क्यों नहीं मालूम करते? हम देहात में रहते हैं जानते हैं कि हालत वहाँ की क्या है।

काँग्रेस के लोग कहते हैं कि हम जनजीवन को सुधारना चाहते हैं लेकिन आप देखें जाकर क्या हालत है कि जो ताँगे वाले, इक्के वाले हैं उन गरीबों की क्या हालत है और जो पूंजीपति या रेहन का काम करने वाले हैं वह कहाँ से कहाँ पहुंच गये हैं। जिसका ५० हजार का कारोबार था, आज उसकी डेढ़ लाख की हैसियत है, गरीब अपनी मजबूरी में उनके हाथ में फंसता है, अपनी चीज जेवर जाकर गिरों रखता है और अगर दो मास में नहीं छुड़ा पाया तो फिर उस का सब कुछ चला जाता है और जब आज कल एक बार किसी तरह से जेवर चला गया तो कौन बनवा सकता है। भोजन की सामग्री का हाल देखिये कि रोज चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं, कभी लकड़ी के दाम बढ़ गये, कभी मसाले के बढ़ गये, कभी चावल के बढ़ गये, बीबी घर में परेशान है तो मियाँ बाहर परेशान हैं। जब हम शुगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन की बात कहते हैं तो उधर से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है और हमारी बहिने कहती हैं

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

कि क्या यह दो दिन में हो जायगा। तो क्या सन् ४७ से १५ साल में अभी दो दिन ही हुये हैं ? मैं अभी एक दिन एक आर्टिकल मदर इंडिया पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक आदमी बस पर चढ़ा और फुट बोर्ड पर खड़ा हो गया, उससे कहा गया कि ऊपर आ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं है गिर जायंगे तो क्या है यह ट्रान्जीशनल पीरियड है। घर पहुंचें तो बेटे ने कहा कि आप ने फीस नहीं दी और मेरा नाम स्कूल से कट गया है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है यह ट्रान्जीशनल पीरियड है, बीबी ने कहा कि आज शाम को खाने को नहीं है, भूखा रहना होगा। तो कहने लगे कि कोई चिन्ता की बात नहीं है यह तो ट्रान्जीशनल पीरियड है। कभी आप के इस ट्रान्जीशनल पीरियड या प्लान का अन्त भी होगा कि किसी का जीवन खुशहाल हो सके ? हालत अपनी आप की यह है कि अगर बाढ़ का निरीक्षण होगा तो वह भी हवाई जहाज से होगा; आदमियों को आप ऊपर से चिड़ियों की तरह देखते कौन आप के मंत्री हैं कि जो अन्दर देहातों में बाढ़ के क्षेत्रों में गये हैं, हमने नावों में चढ़ कर अपने क्षेत्र की दशा को देखा, लेकिन कौन मिस्टर मोटर छोड़कर वहाँ खतरे में गया ? उनको तो मिल-मालिकों का कष्ट दिखाई देता है, वह सतर्क हैं कैसे उनकी परेशानी दूर हो।

एक दिन में ऐक्ट नहीं बदल सकता। आप कर बढ़ाना जानते हैं, समझना नहीं जानते और न आप संविधान में संशोधन ही ला सकते हैं। हाँ, नागा लैंड के लिये और बेरुबारी के लिये ट्रान्सफर का संशोधन ओवरनाइट हो सकता है और संविधान का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन शुगर मिल्स का नेशनलाइजेशन आप नहीं कर सकते। उनसे चन्दा आप को कैसे मिलेगा ? आप के दिमाग में तो बड़े आदमियों और पूंजीपतियों की सुरक्षा की बात भरी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती। जिनकी वह हालत है कि :

"क्या पूछते हो कि दर्द किधर होता है,
एक जगह हो तो बताऊं कि इधर होता है।"

कहा गया कि हमारी पार्टियों में बड़े आदमी हैं, राजा रईसों की पार्टी है, लेकिन वह अपने कांग्रेस दल में देखें कि वहाँ कितने ऐसे लोग भरे हैं, जिधर बहुमत है वहाँ पर जाहिर है कि ऐसे लोग भी अधिक है और यह इसी से जाहिर है कि यहाँ सीलिंग का कानून बनाया गया, पहले से डंके की चोट कह दिया गया, जैसे शाह से कहा जाता है कि जागो और चोर से कहा जाता है कि चोरी करो और उसका नतीजा यह हुआ कि एक बीघा जमीन भी नहीं मिल सकती। ऐक्ट बनाया गया और अपने राजा रईसों के प्रभाव में आकर उसमें इतने लूप होल्स रखे गये कि उसका कोई असर बड़ी जोतों पर नहीं हुआ, पहले से सबने प्रबन्ध कर लिया। आज यह स्थिति दूसरी तरफ पेश है कि हाउस टैक्स से तो शहर वाले ही प्रभावित होंगे लेकिन जो लैंड टैक्स है उससे कोई भी गरीब से गरीब देहात का रहने वाला भी नहीं बचेगा। वह भी ऐसे समय में जब कि परमात्मा भी उनसे नाराज है और दैवी आपदाओं से भी वह परेशान है, सरकार को संतोष नहीं है। मुख्य मंत्री ने एक भाषण दिया हमारे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट में बताया था कि अभी टैक्स पेइंग कैपेसिटी आफ़ दी विलेजर इज़ ग्रेटर स्टिल विद हिम शहरों के लोग आलरेडी ओवर टैक्स्ड हैं इसलिये लैंड टैक्स बिल ले आये। लार्ज लैंड होल्डिंग था बड़े आदमियों पर, अब लार्ज काट कर लैंड होल्डिंग ले आये। जो १० बीघे जमीन रखता है उस पर टैक्स लग जायगा चाहे कितनी ही उसके यहां यूनिट्स हों। यह गरीबों की सरकार है, जिसके बारे में हमारी बहन बोल गईं। गरीबों का नाम लेकर कब तक चीज़ चलेगी ?

अब गांवों को छोड़ कर शहरों की तरफ़ आयें। आप ने भवन की परिभाषा दी। इसके पहले उसके बारे में मैं कुछ कहूं, एक बात कहना चाहता हूं जो इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव

आये हैं। जब मैं देखता हूं छोटे से बड़े सभी इससे प्रभावित होने वाले हैं तो मैं आप की बात पर विश्वास नहीं करता कि आप किसी को छोड़ देंगे मैक्सिमम पेनाल्टी लगाने से। डिस्क्रीशन १० फी सदी तक ऐक्सरसाइज़ किया जा सकता है, मेक्सिमम की क्या आवश्यकता है? शुगर इंडस्ट्री के बारे में रियायत कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के साथ नहीं। जब आप सब पर मैक्सिमम पेनाल्टी लगायेंगे तब क्या आपका विश्वास है कि आप उसमें गरीबों को छोड़ देंगे? अगर गरीबों को छोड़ देना था तो आप ने "हट" और भवन की डेफ़ीनीशन क्यों दी? मतलब यह कि उसको भी इसमें घसीटा जायगा। हट को डिफ़ाइन करने के पीछे कौन-सी भावना है? उसको आप ने डिफ़ाइन किया चाहे मड की हो, लकड़ी की हो या किसी और की बनी हो। आप उस पर भी टैक्स लगायेंगे। जनता तो अभी डेमोक्रेसी के गुणों को नहीं समझ पायी है, इसलिये आप चलते जाइये। इससे तो मालिक मकान जिनको इन्कमटैक्स देना पड़ता है मकान की वसूली का उसको न लेकर के गरीबों को हिट किया है। जब यह बिल इतने महत्व का है तो क्यों नहीं इसे पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेजा, बार एसोसियेशन में भेजे। आज जो विरोधी कहते हैं कि प्रवर समिति में भेजें, जहां हम अच्छे सुझाव दे सकें तो उसको भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जो महत्व इस बिल का है उस को देखते हुए इस पर जनता की राय लीजिये। अगर जनता कहती है हम पर टैक्स नहीं लगना चाहिये तो कौन-सा कारण है जो आप न मानें, केवल बुद्धि का भंडार आप अपने दिमाग़ में ही समझते हैं क्या, किसी की बात न मान कर वन मैन्स शो यू वान्ट टु रन। इसलिये आप जनता की राय जानने के लिये इसे भेजें। और अगर किसी कारण ऐसा न करें तो प्रवर समिति में भेज दें, जैसा और भाइयों ने प्रार्थना की है।

दूसरी बात यह कह रहा था कि हाउस टैक्स---मुमकिन है मेरा ज्ञान उतना परिपक्व न हो, हमारे भाई मुझे ज्यादा जानते हों, चूंकि कानूनी पहलू है, थोड़ा पढ़ने का अवसर मिलता है---हाउस टैक्स जहां कहीं लगाया जायगा उसके पीछे एक मतलब था। हाउस में रहने वाला सुविधायें पायेगा। इस टैक्स के द्वारा हमसे आज यह कह दिया गया कि प्लानिंग के लिये है। तो इसमें बड़ी अनविज्ञता सी दिखाई देती है। प्लानिंग के दो एरियाज हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रूरल एरियाज से ही हो। प्लानिंग सारे शरीर की होनी चाहिए। तो उसमें शहरी क्षेत्र भी आता है। प्लानिंग का विकेन्द्रीयकरण करके कुछ पंचायतों को दे रहे हैं, कुछ म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे रहे हैं। तो स्थानीय निकायों से आप क्या काम लेना चाहते हैं? हाउस टैक्स तो आपने लगा दिया, लेकिन उसके अकूपेंट्स का कोई जिक्र नहीं है। आप किस आधार पर हाउस टैक्स लगाना चाहते हैं? हाउस टैक्स में कौन सी एमेनिटीज आप हाउस आकूपेंट्स को देंगे? इसका कोई जिक्र बिल में नहीं है। कितनी अन्यायपूर्ण बात है कि हाउस टैक्स लग जाय और हाउस में रहने वाले को, जो दिन भर कमाता है तो रात का खाना जुटा पाता है, कोई एमेनिटीज न दी जायं? उनके घर में लाइट कर दी जाय, उनके बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दी जाय, गरीब होने के नाते उनको किताबें मुफ्त दी जायं और इस तरह से शिक्षा का प्रसार किया जाय ऐसा कोई प्राविजन इस बिल में नहीं है। तो फिर आपने किस लिये हाउस टैक्स लगाया। दुनिया में किसी हाउस टैक्स को देखकर उसे समझने का प्रयास आपने किया कि क्या मतलब होता है हाउस टैक्स का? केवल आपने यह किया कि हाउस टैक्स लगा देंगे और मिनिस्टरों के लिये मोटर व्हिकिल्स खरीदेंगे। ८० करोड रुपये के कूलर भारतवर्ष में आये। वह सरकार गरीबों के लिये खरीदती है? विदेशों से ये कूलर मंगाये गये गरीबों के लिये या धनियों के लिये। जिनके ऊपर यह हाउस टैक्स लगाया जा रहा है उनके घर में हवा की कौन कहे, जंगला भी नहीं लग सकता, लेकिन उनको भी टैक्स देना पड़ेगा।

इसलिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने "हट" को क्यों रखा। उसका क्या तात्पर्य है? किसी ने मकान रखा, मकान में मोटर रखी और हट में तांगे घोड़े रखे, इसलिये "हट" रख दिया। यह कोई जवाब नहीं है। लकड़ी का कोई मकान बनाये तो उस पर भी टैक्स लगाया जायगा। तो लकड़ी वाले को कौन-सी सुविधा आप देंगे? म्युनिसिपल बोर्ड,

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

कार्पोरेशन, टाउन एरिया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कर्तव्य था कि जिनको तकलीफ है उनके कष्ट का निवारण करें। मिसाल के तौर पर मैं बतलाता हूं कि मेरे जिले में धंधा बहुत मोटा होता है। उसके लिये कोई डाक्टर आज तक नियत नहीं किया गया। मलेरिया का डाक्टर हैं, लेकिन वहां जाते तक नहीं। इतना ऊंचा पैर हो जाता है। हर थाउजेंड में १ आदमी लिप्रोसी से सफर करता है। लेकिन कभी प्रयास नहीं किया कि हाउस टैक्स अगर वह देता है तो यह इनकम्बेंट होगा कि डाक्टर जाकर उसके निवास स्थान पर उसका रोग देखेगा, उसका निदान करेगा और जन जीवन की देखरेख का उत्तरदायित्व इस सरकार पर ही है ऐसा कभी उसने सोचा? किस उसूल से हाउस टैक्स हमारे सामने लाया जा रहा है? मिडिल क्लास सोचता है कि लड़ने झगड़ने के बाद तो कहीं ४ रुपये मंहगाई बढ़ी, लेकिन अब चार रुपये से ज्यादा टैक्स लग जायगा। सरकार ने दाहिने हाथ से दिया और बायें हाथ से छीन लिया। किसी पहलू पर आप ने विचार किया? एक डेफ़िनिट रेल्स आपने बना ली हैं on which you have to run positively, you may over run a thousand persons but you must run on those rails.

मैं कल ही अपने क्षेत्र से वापस आया हूं। आप लोगों के हृदय की धारणा को देखें। वह एक प्रतिबिम्ब है। एक क्लर्क है ५०–६० रुपये पाता है, कहीं कहीं तो अध्यापक ५० रुपये से भी कम पाता है, उससे ज्यादा तो आप का चपरासी पाता है। लेकिन जरा ध्यान कीजिये कि आप ५०० रुपये पाने वाले से १० रुपये काटते हैं गवर्नमेन्ट बिल्डिंग का मगर उसका भी प्राविज़न नहीं है। तो आपने उन १००, ५०, ७५ रुपये पाने वालों के बारे में भी कुछ सोचा है, हट वालों को तो छोड़ दीजिये? आप ही के प्राधिकारी रहेंगे निर्णय करने वाले, असेसमेंट करने वाले। अपील के लिये जब कहा गया कि जुडिशरी में जाने दीजिये तो जुडिशरी के नाम पर जो नाक भौं सिकुड़ती हैं मंत्री महोदय की, वह किसी से छिपा नहीं है। आज जितनी बातें हो रही हैं वह सब ऐसी हो रही हैं कि गरीब त्राण न पायें। कल किसी भाई ने कहा था, मैं रेपीटीशन में विश्वास नहीं करता परन्तु बल देने के नाते कभी-कभी ऐसा लगता है कि आवश्यक है कि इस सदन के अन्दर बार-बार वह बातें दोहराई जायं, कि उसके बारे में आप ने क्या सोचा है जब छोटे कर्मचारी आपसे मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करेंगे। मान लीजिये छोटे कर्मचारियों की संख्या १५ लाख है। उस समय आप कहेंगे कि इनका भत्ता बढ़ाने के लिये टैक्स लगाने की जरूरत है। आप वह भी करेंगे लेकिन आप कभी यह नहीं सोचेंगे कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। हमारे किसी भाई ने कहा था कि यह जो टैक्स आप लगाने जा रहे हैं It may be the last straw on the camel's back. लेकिन आप का कहना है कि हम गरीबों की बात सदन के सामने कहने नहीं देंगे, चाहे कोई भी शान्तिपूर्ण तरीका आप क्यों न अपनायें, हम आप को कुचल देंगे, आपके भाई भतीजे जो सर्विस में होंगे उन्हें कुचल डालेंगे। यह नया रवैया सरकार ने अख्तियार किया है।

तीसरी बात, श्रीमन्, म्युनिसिपैलिटीज़ की बड़ी दर्दनाक हालत है। माना कि जो कांग्रेस द्वारा शासित म्युनिसिपलटीज़ हैं, उनके चेयरमैन सुरक्षित हैं, लेकिन ज्यादातर म्युनिसिपैलिटीज़ कर्ज़दार है, उनकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन ठीक नहीं है फिर भी जो उनके पास साधन हैं उन पर भी आप चाबुक लगाते हैं। कुछ दिन हुये हमारी ओर से यह कहा गया था कि मोटर टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स में से म्युनिसिपैलिटीज़ को आप हिस्सा दीजिये। लेकिन आपने नहीं दिया, क्योंकि आप को पैसे की भूख है और यह भूख आपकी तभी मिटेगी जब आप इन कुर्सियों पर नहीं रहेंगे। अब आप ने हाउस टैक्स भी खुद ही लगा दिया। आश्चर्य यह है कि इनको हाउस टैक्स के अलावा कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं सूझा। इन्होंने उसी पर हाथ रखा जिस पर म्युनिसिपैलिटीज़ ने हाथ रखा था। १६ परसेंट तक म्युनिसिपैलिटीज़ हाउस टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि जन जीवन के निकट रहते हैं और वे लोग जनता की आर्थिक दशा को अच्छी तरह से जानते हैं और खूब सोच समझ कर उन्होंने हाउस टैक्स लगाया है। किसी

म्युनिसिपैलिटी ने ४ परसेंट लगाया है, किसी ने २ पर सेंट लगाया है और किसी ने ६ पर सेंट लगाया है। कहने का मतलब यह है कि सब ने काफी तादाद रिजर्व में रखी है और किसी भी म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया ने मैक्जीमम टैक्स नहीं लगाया है। इन्होंने रिजर्व में रखा है कि हमारी पंच वर्षीय योजनायें आ रही हैं और मंत्री लोग लम्बी-लम्बी स्पीचेज देते हैं और जब उनको आवश्यकता पड़ेगी उस समय वे बढ़ायेंगे। लेकिन वे ताकते ही रह गये और हमारी सरकार बीच में ही कूद पड़ी। आज हमारी म्युनिसिपैलिटीज फायनेंशियल क्राइसिस में सफर करती है फिर भी मैक्जीमम टैक्स नहीं लगाती हैं। हमारे मंत्री लोग तो एरियल सर्वे करते हैं। जरा निकट से जाकर लोगों की दशा को देखें कि उनके पास कपड़े लत्ते भी हैं या नहीं। आखिर म्युनिसिपैलिटीज ने टैक्स क्यों नहीं लगाया? इसीलिये नहीं लगाया कि आज वे लोग जनता की हालत अच्छी तरह से जानते हैं।

आज हमारी गरीब जनता के ऊपर न जाने कितने टैक्सेज पहले से ही लदे हुये हैं जैसे साइकिल टैक्स, वाटर टैक्स और न जाने कितने टैक्सेज हैं। लोग इक्के और रिक्शा चलाते हैं उनके ऊपर भी टैक्स हैं। वे लोग अपने घोड़ों को पकड़ कर इक्का खींचते हैं क्योंकि वे घोड़े को पूरी तरह से खिला नहीं पाते हैं। अब उन रिक्शे और इक्के वालों को भी यह हाउस टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार को उनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार ऐसे टैक्स भी लगायेगी जिसको म्युनिसपैलिटी ने लगाना पसन्द नहीं किया। हमारी सरकार ने कभी उनकी दशा के बारे में नहीं सोचा। टैक्सों की भरमार कर दी है। अगर जिन्दा रहें तो वैल्थ टैक्स, मर जायं तो स्टेट डैथ ड्यूटीज टैक्स, घर में कोई रहे तो हाउस टैक्स, पानी पियें तो वाटर टैक्स, मैं कहता हूं कि अभी आंख उठाकर देखने पर टैक्स नहीं है। परन्तु इस पर भी टैक्स हो जायगा कि पार्क बना दिया और उस पर भी टैक्स लगा देंगे। यह रातो-रात टैक्स लगा देंगे। अभी बहुत से टैक्स बढ़ेंगे।

श्रीमन्, मैं इनके ऊपर विश्वास खो चुका हूं। ये लोग कायदे से इन ऐक्ट में नहीं करते हैं और उनके ड्राफ्टिंग के ऊपर विश्वास खो चुका हूं। मैं इंगलैंड की एक की एक किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि कोई विधेयक सदन में जाने से पहले १४ बार वापस गया। कभी लीगल एक्सपर्ट ने वापस किया और कभी किसी ने वापस किया यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि वह इस छोटे से सर्किल में कई दफा घूम कर फिर हाउस के सामने आया। लेकिन यहां क्या हालत है? डायरेक्टर से अलग में पूछिए तो और बात और समाज में पूछिये तो और बात। समाज में तो यह कहेगा कि हमने ठीक विधेयक बनाया है और अलग में कहेगा कि क्या करें भाई, यह बिल हमें शाम को मिला और कहा गया कि सुबह को तैयार कर के दो। अब कहां से और कैसे तैयार करें? क्या हमारे मंत्री जी ने इस बात को कभी विचारा है? इसीलिये इनके ड्राफ्टिंग में मेरा एक दम विश्वास नहीं रहता है। पिछली मर्तबा, मैं अपने समाज कल्याण मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने विरोधी दल की एक बात मान ली थी, इतनी जल्दी विधेयक लाया गया कि उन्हीं की पार्टी वालों ने उसमें अमेंडमेंट दिये। इसे भी वे इसी तरह से ले आये हैं अब वे क्या करेंगे? अपने पार्टी के किसी आदमी को खड़ा कर देंगे और वह अमेंड-मेंट्स दे देगा और उसे वे मंजूर कर लेंगे। क्यों अमेंडमेंट आपने मंजूर किया?

श्री उपाध्यक्ष—त्रिपाठी जी, आप क्या ज्यादा टाइम लेंगे?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—जरूर टाइम लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर बाद में बोलियेगा। अब हम उठते हैं और दो बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं कारपोरेशन के अधिकारों की बात कर रहा था कि सरकार उन अधिकारों का भी अपरहरण कर लेना चाहती है जो सरकार के सिद्धान्त के अनुसार ही स्थानीय निकाय या ऐसी शक्तियों को मिलना चाहिये जो शक्ति के विकेन्द्रीकरण के नाम पर विकसित हो रही हैं। लेकिन सरकार को रुपये की इतनी भूख है कि यह अधिकार भी ले ले रही है। कारपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया इनके लिये अगर यह कहा जाय कि आज से ये साँस ले रही हैं, एक तरह का आर्थिक तपेदिक इन्हें हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मगर फिर भी सरकार उनका उद्धार नहीं करना चाहती है। बजाय इसके कि शहर की स्थिति और अच्छी बने, उसकी व्यवस्था अच्छी हो, उनकी धन की कमी दूर हो, हमारी सरकार और एक नया छेद कर देना चाहती है इन स्थानीय निकायों के अधिकारों में जिसमें कि धीरे-धीरे जो कुछ उनके पास है वह हमारी सरकार के पास आ जाय और उनके पास कोई शक्ति न रह जाय। इसलिये भी इस विधेयक का विरोध केवल हमी लोगों को नहीं बल्कि जितने स्थानीय निकाय हैं सबको है। श्रीमन्, मैं आज ही कह चुका हूं और पुनः उसे दोहराता हूं कि यह प्लानिंग के नाम पर सब है। ठीक है, प्लानिंग से सहमत है लेकिन मैं कुछ आजकल की स्थिति को देखकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह प्लानिंग भी राजनैतिक शक्ति जकड़ने का एक साधन बनती जा रही है। अच्छा हो कि यदि यह नियोजन हो जनता के हित में और सारा लक्ष्य उसी ओर हो। परन्तु हम देखते कुछ और हैं। दो एक उदाहरण हमारे सामने आये कि सरकार क्यों अनियन्त्रित रहना चाहती है, इस नियोजन के मामले में। चाहे अपोजीशन का हो, चाहे पब्लिक का हो, कोई कंट्रोल वह मानना नहीं चाहती है। हमारा कॉंस्टीट्यूशन बना। लगभग ३९५ दफायें उसमें हैं। ला कमीशन बैठा हुआ है, एलेक्शन कमीशन है और सारे कमीशन्स इस प्रकार के हो सकते हैं। परन्तु प्लानिंग पर कोई कमीशन ऐसा बने जिसमें राष्ट्रपति का या अपने कॉंस्टीट्यूशन का अधिकार हो, न कि उस बाडी का जिसको कि हम आज एग्जीक्यूटिव बाडी कह सकते हैं, ऐसा कोई विधान अपने संविधान में भी नहीं हो सकता। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह जो मेम्बर्स हुये प्लानिंग कमीशन के यदि वह भी उचित रीति से हुये होते तो हमें कुछ ढाढ़स होता। जो सेक्शन जिसको दिया गया, वह उस सेक्शन के यदि विशेषज्ञ होते, तब भी हमें ढाढ़स होता कि इससे हमारा भला होगा। जैसे श्रीमन्नारायण जी को कृषि दिया गया। अब उन्हें खेती का कितन अनुभव है, कितना खेती का काम उन्होंने किया है.....

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के उसकी व्याख्या करना यह उचित न होगा। माननीय सदस्य महोदय पालिसी पर कह सकते हैं कि जो मेम्बर इन्चार्ज हैं वह क्या करेंगे न कि श्री मन्नारायण जी का नाम लेकर कहें।

श्री उपाध्यक्ष—यह सही बात है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—ठीक है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह तो जिसके समझने के लिये है वह तो समझ ही जायेगा। हमारी सरकार इस बात को समझे कि जो सेक्शंस प्लानिंग कमीशन के हैं वह जिन-जिन व्यक्तियों के आधीन किये गये हैं क्या वह उस विषय के विशेषज्ञ हैं। यदि इस कसौटी पर कसा जाय तो हम यह देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन में भी जो निर्णय लिये जाते हैं वह किसी विशेषज्ञ के नहीं हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं कि जो किसी-किसी विषय के विशेषज्ञ लोग हैं। लेकिन ज्यादातर उसमें ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं कि जो सर्वांगीण उन्नति में सहयोग दे सकें। तो मैं केवल इसलिये कह रहा था कि वह प्लानिंग कमीशन है जो नियोजन करता है और जिसके लिये यह इतना रुपया हमसे माँगा जाता है, जिसके बारे में हमारी सरकार स्वंय ध्यान नहीं देती, जो आज गरीबों से रुपया ले रही है, दुनिया भर के साधन एकत्रित कर रही है, यह सब टैक्स लगा रही है उस नियोजन के लिये एक हउवा खड़ा कर दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्लानिंग की योजनायें पूरी नहीं होंगी और हमारी योजनाओं की पूर्ति नहीं हो

सकेगी । इसलिये पिछली दो योजनाओं के परिणाम को अपने सामने रखे । इस विषय में हमको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारी सरकार ने क्या विरोधी विचार रखने वाले व्यक्तियों को उस कमीशन में रखा ? जो नियोजन की पालिसी से भिन्न विचार रखते हैं उनको उसमें रखा ? सरकार एक मौलिक बात भूल जाती है और उस बात को भूलकर ही यह टैक्स जनता से माँगती है । यह खयाल करने की बात है कि ३५ या ३३ फीसदी वोट ही, यदि मैं सही हूं, तो इस सरकार को मिला है और बाकी ६५ या ६७ फीसदी विरोधियों को मिला है । शायद इसके लिये यह कहा जाय कि विरोधी पक्ष संगठित नहीं है । वह बिखरा हुआ है । उनकी शक्ति अलग-अगल है और वह काँग्रेस की तरह से शक्ति नहीं रखता है । लेकिन एक बात में तो वह एकमत है और वह यह है कि ६७ फीसदी विरोधीदल का कोई ऐसा प्वाइन्ट जरूर है जिसपर वह एकमत होते हैं । वह जिस प्वाइन्ट पर एकमत होते हैं क्या हमारी सरकार प्रजातन्त्र के नाम पर उस पर विचार करती है ? जिस प्वाइन्ट पर हमारा सारा विरोधीदल एकमत हो, क्या हमारी सरकार ने कभी उसको माना ? हमारी सरकार उस बात को भी नहीं मानती है, लेकिन वह ३३ फीसदी के मत को लेकर चलती है ।

जब ऐसी परिस्थिति हो कि ६७ फीसदी जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति एक मत से कोई बात कहते हों और प्लानिंग के बारे में कोई सुझाव देते हों और आप उसको भी नहीं मानते तो यह सचमुच प्रजातन्त्र का गला घोटना है । मैं ऐसा समझता हूं और मैंने देहातों में घूम-घूम कर देखा है और शहरों की बात भी जानता हूं कि सारी जनता के अन्दर कोई विशेष उत्साह नहीं रह गया है, उसका साहस टूट चुका है । कर को देने का उसके अन्दर उत्साह नहीं रह गया है । उसके अन्दर इतना साहस नहीं रह गया है कि जो आप टैक्स लगाने जा रहें हैं उसको वह सहन कर सके । वह जनता अब आपके टैक्स को भलाई का विषय नहीं समझती है । मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि हमारी सरकार की यही गतिविधि रही तो एक दिन ऐसा आयेगा कि जब जनता में सचमुच एक तरह से अशांति हो जाय जिसको हम नहीं चाहते हैं और न कोई चाहता है । एक शब्द कहते हुये मुझे डर मालूम होता है लेकिन सम्भव है मुझे गलत समझा जाय । परन्तु किसी जमाने में हिटलर का बहुत रोब था और बड़े-बड़े लोग डरते थे । वह ऐसा शख्स था कि उसे उस समय लोग डरते थे और पढ़े लिखे और समझदार भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते थे वह समझते थे कि कुछ कहेंगे तो वह रौंद डालेगा परन्तु ऊब कर वह कहते थे और उस भावना को प्रकट करके वह कहते थे कि इससे तो छुट्टी मिले फिर बाद को देख लेंगे । तो हम भी कहते हैं कि इस प्रजातन्त्र से छुट्टी मिले और बाद को हम देख लेंगे । जनता को अब आपके जनतन्त्र में कोई विश्वास नहीं रह गया है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसी परिस्थिति में हमको सम्भलकर चेक रखना चाहिये और हमें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करते समय अपने खर्चे पर कंट्रोल रखना चाहिये जैसा कि मैंने पहले कहा ।

अब मैं इस बात पर अधिक न जाकर एक बात और कहता हूं । जिस प्रकार से यह विधेयक सामने आया उस सम्बन्ध में हमारी एक बहन ने जो कहा उससे मुझे एक बात में भ्रम हो गया कि उनका अमीरी और गरीबी का फर्क इस तरह से है कि मकान के मालिक को वह गरीब मानती है और मकान में रहने वाले किरायेदार को अमीर मानती है । वह यह समझती है कि मकान किराये पर लेकर जो किरायेदार रहता है वह अमीर आदमी होता है । मैं भी उस सम्बन्ध में अलग-अलग धाराओं पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—खास-खास बात कहिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं भी सरसरीतौर पर वही बातें कहूंगा जिन खास बातों को लेकर यह विधेयक सामने आया है । जो इसके बारे में समय-समय पर हमारे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं क्या इससे वह मेल खाते हैं ? केवल यही बात सामने रखकर मैं निवेदन करता हूं कि क्या उन्हीं बातों को सामने रखकर यह विधेयक लाया गया है ? हमारे बहुतों से माननीय सदस्यों ने इसमें संशोधन दिये हैं । मैं समझता हूं कि उन संशोधनों के अन्दर

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

उस भावना का समावेश है। मैं यह भी समझता हूं कि हमारी सरकार को यह बुद्धि आये कि उन संशोधनों को, उन भावनाओं के अनुरूप, वह स्वीकार करे। मैं यह कह रहा था कि यह कह रहे थे कि यह कर धनिकों पर लगेगा, जिनको देने की कैपेसिटी है उन पर लगेगा। लेकिन जरा आप लैन्ड की डेफनीशन देखिये। उसमें कौन निर्णय देगा कि यह जमीन भवन बनने योग्य नहीं है। थोड़ी सी जमीन पर भी भवन बन सकता है और उसका निर्णय आपकी एग्जीक्यूटिव अथारिटी ही देगी जिसे आप नियुक्त करेंगे। तो हर जमीन इसमें आ सकती है।

इस के अतिरिक्त मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में स्पष्ट करें कि यह शब्द "हट" किस के लिये प्रयोग किया गया है। उसमें गरीब रहता है अथवा अमीर? पद्मपत सिंहानियाँ रहते हैं या मिल का मजदूर उसमें?

"Building" includes a house, out-house, stable, shed, hut and other enclosures or structures whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or any other material whatsoever....."

तो यह विचार करने की चीज है। सरकार ने सोचा कि मुमकिन है कि कोई और रास्ता निकल आये तो उस के लिये भी उसने इन्तजाम कर दिया वह भी नहीं छूटने पायेंगे।

मैं कह रहा था कि जितने फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वे बड़े स्पेसिफिक होते हैं। पिछला एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ले लीजिये, लार्ज लैंड होल्डिंग्स ऐक्ट देख लीजिये, सब स्पैसिफिक ऐक्ट बने। उनमें जिन पर टैक्स लगने वाला था उन सब को पहले से पता था कि शेड्यूल में यह दिया हुआ है और इस हिसाब से उन पर टैक्स लगाया जायगा। लेजिस्लेचर स्पष्ट रूप से उसमें अपनी राय व्यक्त कर सकता था। विधेयक बनने के समय ही एफेक्टेड आदमी समझ गया था कि हम पर टैक्स लगने वाला है। लेकिन यह जो बिल आया है, उसमें दो बातें हैं। इसमें पहले तो सचमुच प्रजातन्त्र का हनन हुआ है।

"There shall be charged, levied and paid for each year a tax on lands, or buildings, or both, situate in an urban area, at such rate, not exceeding ten per centum of the capital value of the land or the building, as the State Government may, by notification in the *Gazette*, declare in this behalf."

तो कौन सा ऐसा एनऐक्टमेंट है, मैं सरकार को चैलेन्ज करता हूं कि जिसमें सब चीज एग्जीक्यूटिव पर रख दी गयी हो कि वह विज्ञप्ति द्वारा निर्णय लेंगे कि वह टैक्स ५ परसेंट लगाया जायगा या ३ परसेंट लगाया जायगा या १० परसेंट लगाया जायगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी नियत क्या है? आपकी नियत एक है कि हम सर्वाधिकार अपने हाथ में लें। जब लेजिस्लेचर इसको पास कर दे तो हम जितना चाहें उतना टैक्स लगायेंगे। हम पर ३ परसेंट टैक्स रहे या ५ परसेंट टैक्स रहे। वह हमारे हाथ में है। यह सरकार नियमों द्वारा शासन करना चाहती है। आज यह लेजिस्लेचर को कान्फिडेन्स में नहीं लेना चाहती है। मुझे मालूम है कि ऐक्ट्स बनते हैं और उनमें एक सेक्शन लागू किया जाता है और आखिर में यह भी लिखा रहता है कि उस ऐक्ट को कार्यान्वित करने के लिये सरकार समय-समय पर रूल बनायेगी। सरकार ने रूल बनाये रूल्स हाई कोर्ट से अल्ट्रावायरस डिक्लेयर हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने समय-समय पर इसके ऊपर अपना क्रिटीसिज्म दिया है। मुझे तो याद है कि वह डिस्कशन में यह कह देते हैं कि "आई कैन नाट गिव ब्रेन टु दि लेजिस्लेचर्स"। जिन्होंने विरोध किया वह भी इसमें सान लिये जाते हैं। जरा इस बात पर आप गौर करें। यह हमारे लिये अन्याय है। आप देखें कि आप नियम बनाकर टैक्स लगाते हैं और उनका बोझ गरीबों की गर्दन पर पड़ता है। क्या यह सरकार के लिये मुनासिब बात है? मैं कहता हूं कि आप जो टैक्स लगाते हैं उनका बोझ धनिकों की गरदन पर कम और गरीबों की गरदन पर अधिक पड़ती है। क्या आपने कभी इसके ऊपर सोचा है? क्या आपने कभी हमारी भावनाओं और जनता की भावनाओं का आदर करने की भी बात सोची है। भगवान् आपको सद्बुद्धि दे कि आप ऐसा सोच सकें। मैं तो

यही कहूंगा कि सरकार को आज अभिमान हो गया है । वह अपने मनमाने ढंग से कार्य कर सके इसीलिये उसने सेक्शन ३ रखा है ।

श्रीमन्, अब इसी प्रकार से आप सेक्शन ४ को भी देखें । यह कितनी बड़ी अनीति है । कहते हैं कि टैक्स लगायेंगे तो गरीबों का ध्यान रखेंगे । टैक्स लगाते समय, जो एनुअल वैल्यू कारपोरेशन्स और म्यूनिसिपैलटीज ने ऐसेस कर रखी है, उस पर हम कर लगायेंगे । अगर वह होटल है तो अमुक रेट से लगायेंगे और जिनका ऐसेसमेंट नहीं हुआ है, उनकी ऐसे सिंग अथारिटी वैल्यू ऐसेस करेंगे । आप देखें कि इससे जो उनके मन में आयेगा वे करेंगे । बहुत से ऐसे गरीब हैं जो कम किराया दे कर रहते हैं और उसी मकान में दूसरे हिस्से में अधिक किराये पर भी लोग रहते हैं । तो कैसे आप ऐसेस करेंगे । आप कौन सी विधि अपनायेंगे । मैं कहना नहीं चाहता हूं पर कहूंगा कि वही घूसखोरी चलेगी और करप्शन बढ़ेगा । किस पर कर लगे और किस पर न लगे । लोग दौड़ेंगे और सिफारिशें पहुंचायेंगे और तरह तरह की तरकीबों के द्वारा ऐसेसमेंन्ट कम करवाने की कोशिश करेंगे । संबंधित अधिकारी की बन आयेगी । लोग उनकी खुशामदें करेंगे कि साहब हमारी वैल्यू कम कर दीजिये । मैं तो फिर आप से ही यही निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसी स्थिति न पैदा कीजियेन जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजायश हो । या लोग अपना सामान बेचकर आपका टैक्स अदा करें । ऐसेसमेंट की वैल्यू सेक्शन ४ में जो आपने अपने हाथ में रख रखी है वह कहां तक उचित है ? इसके ऊपर आप जरा गौर करें । जो अधिकारी हैं वह तो पब्लिक के रिप्रेजेनटेटिव नहीं । बल्कि पब्लिक का रिप्रेजेन्टेशन तो लेजिस्लेचर करता है । इसीलिये ऐसा है कि अधिकारी मनमानी न कर सकें, पर आपके इस काम से फाउल मीन्स को ही बल मिलेगा ।

एक और बात मैं कहूंगा कि हमारी सरकार को कम से कम एक लिमिट रखनी चाहिये कि उसके बाद हम टैक्स नहीं लगायेंगे । हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आज सरकार की दो-दो प्लानिंग पूरी हो चुकी हैं परन्तु यह सरकार अन्दाजा अब तक नहीं लगा पाई है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है । कितनी आमदनी तक का गरीब समझा जाय और कितनी तक का धनी समझा जाय । जब उनकी इच्छा होगी तो डिक्लेयर कर देंगे कि अमुक लिमिट तक के आदमी को बरी किया जाय । सेक्शन ३ में वेलुएशन के अधिकार को उन्होंने अपने हाथ में रख लिया है कि जब-जब गवर्नमेंट उचित समझे उसके लिये नोटिफिकेशन निकाल सकती है । यानी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं और इस सदन को आप कानफिडेंस में नहीं लेते । गवर्नमेंट बिल्डिंग को समझ लिया कि मेरी बिल्डिंग है गरीबी अमीरी तय करने का अधिकार भी अपने हाथ में रखा कि हम डिफाइन करेंगे । ४ आदमी केबिनेट के बैठेंगे और निर्णय कर लेंगे कि ५० रुपये तक की आमदनी वालों को छोड़ देंगे । बहुत सी चीजें यहां भी हमारी दृष्टि में नहीं आती हैं । मुझे ठीक स्मरण है, एक मंत्री महोदय ने क्षमा मांगी कि मुझ से भूल हो गयी कि समय पर सूचना नहीं रखी गयी । मैं दोहराना नहीं चाहता । आज वही स्थिति हर एक नियम में होती है । हो सकता है कि और मामलों में क्षमा कर दें, लेकिन फाइनेन्शियल मैटर्स में क्षमा नहीं कर सकते ।

आप डेफिनिशन चाहते हैं गरीबी की ! जबकि आटे के अभाव में आम की गुठली खा कर लोग मर गये । आज भी बैल के पेट से निकले हुये गोबर के दाने लोग खाते हैं । जब चाहा लोगों को १०९ में बन्द कर दिया । जब १०९ के शिकार की जरूरत हुई तो ८-१० बदमाशों को बहाने से थाने में ले आये और हल्ला करा दिया और १०९ में बन्द कर दिया । कह दिया कि रात को भाग रहे थे हमने इनको बन्द कर दिया । दो झूठे गवाह पकड़े लिये । गवाह का भी नैतिक पतन किया और अपना भी, लेकिन सरकार खुश हो गयी । आज हालत यह है कि ४ रुपया लोग वकील को दे नहीं सकते, मुकदमें लड़ नहीं सकते । बड़ा आदमी चाहता है कि कोई गांव से भाग जाय तो छोटा आदमी कह देता है कि हमें बसने को जगह दे दीजिये, हम चले जाते हैं । क्या समझ कर वैलुएशन निर्धारित करने के हक को आपने अपने हाथ में रखा ?

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

आज हजारों जूते लंगड़े पड़े हुये हैं। आपने अभीतक बेगरी को स्टाप नहीं किया। आज शहर में खाना खाना मुश्किल है। खाना खाने बैठे कि आदमी सामने आ गया। आप गरीबी देखना चाहते हैं? शहर की गरीबी देखना चाहते हैं? तो देखिये लोगों को स्टेशन पर मिठाई के पत्तल चाटते हैं। कैसे समझाया जाय। विरोधी की बात समझ में नहीं आती। आप अपनी आंख से तो देखते ही नहीं, अपने मस्तिष्क से सोचते तक नहीं। कहते हैं कि हम विज्ञप्ति द्वारा निकालेंगे कि किस रेजुएशन तक को हमें एग्जेम्प्ट करना चाहिये। इम्फैसिस इसीलिये दी जाती है कि जो नहीं सुनने वाले हैं उनके मस्तिष्क में इधर से उधर से अन्दर घुसे और समाज का कल्याण हो। किसी तरह से दिमाग में यह बात तो आये। हम गरीबों का परसेन्टेज निकालेंगे। अजीब बात है। क्यों नहीं उनके लिये भी एक फ्लैट रेट निश्चित कर देते? क्या कारण है कि बृहत् जोत कर वालों के लिये तो आपने एक फ्लेट रेट दिया, ५० हजार एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स देने वालों के लिये तो आपने फ्लैट रेट रखा, मगर भीख मांगने वालों के लिये फ्लैट रेट नहीं रखा।

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह सरकार मनीबिल के साथ एक खिलवाड़ कर रही है और मनीबिल के साथ खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह बिल बिलकुल ही थाटलेस बिल है। आपने उसमें प्राविजन किया है कि मालिक वसूल करेगा अध्यासी से। इसका क्या परिणाम होगा? आपने पहले एक रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट बनाया। गवर्नर साहब के ऐड्रेस में एक बार कहा गया था कि हम रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में संशोधन करेंगे। हाई कोर्ट ने भी पिछले ४ वर्षों में कितने ही थपेड़े लगाये हैं, लेकिन उसमें कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हुआ आज तक। सरकार जुडिशियरी से नाराज रहती है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टरों की तो तनख्वाह बढ़ जाती है, मगर जुडिशियल आफिसरों की तनख्वाह नहीं बढ़ती क्योंकि वे इन्साफ करते हैं। उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट किया जाता है। रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के बारे में बराबर रूलिंग होती रही है, मगर उसको अमेंड नहीं किया गया। अब अगर रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट में आपने संशोधन नहीं किया और इस बिल को पास कर दिया गया तो इसका क्या परिणाम होगा? रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अनुसार अगर कोई तीन महीने का किराया नहीं देता तो उसके इजेक्टमेन्ट के लिये सूट फाइल किया जा सकता है। अब अगर कोई तीन महीने का किराया नहीं देता और उस पर ५०रुपया इस कर का भी बकाया है और वह ३५० रुपया का दावा करता है, बाद को वह ३०० रुपये किराये के दे देता है और ५० रुपये कर वाले नहीं देता है तो फिर इजेक्टमेंट नहीं हो सकता। अब वह यह ५० रुपये कैसे वसूल करेगा? अगर उसके बीच में और सरकार के बीच में कोई साजिश हो जाय तो वह बेचारा क्या करेगा? उसकी क्या पोजीशन होगी। इस सरकार को गरीब और धनी की डिफिनीशन नहीं मालूम है। ५० रुपये के कर के लिये अगर वह मुकदमा लड़ेगा तो कुछ रुपये उसको मुकदमे लड़ने में खर्च करना पड़ेगा, वकील को देना पड़ेगा, और उस ५० रुपये के कारण उसको ५०० रुपये खर्च करने पड़ जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि वह मजबूरन मुकदमा नहीं लड़ना चाहेगा और आपको ५० रुपये ही देना पसन्द करेगा।

एक दूसरी डिफीकल्टी और पैदा हो गयी है। आप कहते हैं कि किरायेदार नहीं देता है तो उस पर पैनाल्टी लग जायगी, जो मालगुजारी की तरह से वसूल होगी। बड़ा आदमी तो बच जाता है जो मुकदमेंबाजी में वर्षों ले सकता है लेकिन यहां गरीबों से लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल होगा। हमारी सरकार को कानपुर के ५० लाख और ३६ लाख तो दिखाई देते नहीं हैं लेकिन गरीबों के १० रुपये दिखाई देते हैं। अगर कोई मुकदमा लड़नेवाला मिल गया तो मुकदमा लड़ते-लड़ते कुछ नहीं वसूल होगा। मालिक मकान लड़ता चला जाय और तबाह कर दे जैसे जमींदारों ने किया, मगर वसूल नहीं होगा। हमारी बहन चली गई। उन्होंने गरीबों की बड़ी दुहाई दी। उन्होंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ दी और उसकी बड़ी दुहाई दी। वह कह कर चलीं गईं, हो सकता है कि सच्चा पहलू उनको सुनना पसन्द न हो।

एक तो मुझे बड़ा दुख इस बात से होता है कि खर्चे के बारे में हमारी सरकार को ज्ञान नहीं था। परसों शाम तक उन्हें मालूम नहीं था तो बड़ी हंसी आई। कल यकायक कहा गया कि मालूम ऐसा होता है कि यह आमदनी होगी। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार को अपनी इन्कम का कोई अनुमान नहीं है। २ करोड़ की आमदनी नहीं, इससे मैं कहता हूं कि १० करोड़ की आमदनी होगी, इससे कम मुनाफा, हमारी सरकार को नहीं होगा। यह बिलकुल निश्चय है। सरकार को वास्तविक आमदनी, स्थिति और खर्चे की कोई कल्पना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—त्रिपाठी जी, रिपीटीशन में समय न लगावें तो अच्छा है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—हम तो चाहते हैं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। लेकिन जैसा हमेशा होता चला आया है, वैसा ही इस विधेयक के बारे में होगा। पहले डैफिसिट बजट लाया जाता है फिर अपनी काबलियत दिखाने के लिये बचत दिखाई जाती है कि हमने अपनी बुद्धि से इतनी बचत करदी, अपनी होशियारी से इतना रुपया बचा दिया।

इसमें हमारी सरकार ने अपील डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं दी, यद्यपि हमारे एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है और मेरा भी है। हो सकता है कि चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी संशोधन है, तो सरकार मान जाय, नहीं तो हमारी सरकार यह गलती न करे जैसी कि पहले ३ विधेयक बने थे और उनमें करती चली आई है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही नहीं बल्कि कमिश्नर के पास भी जो अपील का प्रावीजन रखा उसमें सेक्शन ४ छोड़ दिया है, जो कि आधार बनावेगा। आप भले ही कहें कि इतने समय के लिये टैक्स हो सकता है, लेकिन यह एक बार लाकर फिर लौटने वाला नहीं है। गरीब और धनी सभी कहते हैं कि अब पुराना समय लौटनेवाला नहीं है। कल जो आगे आनेवाला है वह आज से बुरा आवेगा। इसलिये जो नीव बनने जा रही है, हमने उसकी अपील कमिश्नर के पास रखी जो केवल डिसपोजल से संबंधित है। महत्व का प्रश्न है, इसमें राइट का प्रश्न है। आपने इनकमटैक्स में ट्रिब्युनल बनाया जिसमें बहुत बड़े पूंजीपति इनवाल्व्ड रहते हैं। उसमें एक स्वतंत्र एडवोकेट को रखा और प्रावीजन किया कि वह हाई कोर्ट तक जा सकता है। परन्तु शहर में कौनसी चीज आपने गरीबों के लिये रखी? कहां रखा है आपने कि शहर में कोर्ट फीस नहीं होगी? भगवान के लिये अगर कुछ नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील तो रख दीजिये। डिस्ट्रिक्ट जज सरकार की उस नीति से संबंधित नहीं होगा जो उसके मस्तिष्क की कल्पना नहीं होगी, वह तो उससे संबंधित होगा जो न्याय के पलड़े पर रुके। इससे सरकार और जिसके ऊपर वह टैक्स लगाने जा रही है वह भी खुश होगा। दोनों को सन्तोष होगा।

श्रीमन्, जिस किसी अदालत में खड़ा होता हूं चाहे वह कलेक्टोरेट हो या और कोई हो, कलेक्टोरेट वाले कहते हैं कि अरे भाई, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग क्या किया है एक मखौल बनाया है। ए० डी० ऐम (जे) बना कर मखौल कर दिया है। क्यों नहीं वास्तविक रूप से उसका सैपरेशन होता है? वह समझते हैं कि सरकार का अधिकारी होते हुये यहां न्याय की भावना भी चलती है और ऊपर से सरकार का अंकुश भी चलता है। यहां खबर आती है कि ५ महीने की सजा केवल की है। कहा जाता है कि बड़ा इनकम्पीटेंट मैजिस्ट्रेट है। वायर-लैस जायगा, राइटिन्ग में नहीं जायगा। ऐसी एग्जीक्यूटिव को आज सरकार जीवन के हर पहलू में अपने हाथ में रखना चाहती है। मैंने प्रजातन्त्र की जितनी किताबें पढ़ी उनमें लिखा है कि हमारी जुडिशरी प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी है। प्रजा और सरकार के बीच में जुडिशरी जितनी अधिक स्वतंत्रता से अपनी राय प्रकट करेगी उतना ही प्रजातंत्र अमर होगा। लेकिन हमारे यहां कहा जाता है सरकारी पक्ष से कि जुडिशरी हमारे प्लान में बाधा डालती है। इनसे पूछा जाय, इन्हीं लोगों की रिपोर्ट है, कि जब हम कनफर्मेशन अफसर से पूछते हैं तो वह कहता है कि वह ठीक तरह से इस प्लान के बारे में जनता में कोई खबर नहीं पहुंचा पाया। बी० डी० ओ० से जब पूछा जाता है कि कम्यूनीटी प्रोजैक्ट क्या है, तो वह हिचकते हैं, ठीक तरह से बता नहीं पाये। पता नहीं क्या कारण है। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी बात पर ध्यान दे, सरकार विरोधी दल की बातों पर ध्यान दे, और हम ही नहीं, सरकार के

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

के लोग भी कहते हैं कि यह टैक्सेशन गलत है। 'अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चन्दन ते होई'। इन ऐन्ड आउट आफ सीजन हमारी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जुडिशरी हमारे प्लान के एग्जीक्यूशन में बड़ी बाधा डालती है। कहीं बड़े आदमियों को खाद बांटा जा रहा है, कहीं बीज बांटा जा रहा है, क्या वहां जुडीशियरी आपके रास्ते में बाधक हो रही है। आपने एक खेत की पैदावार बढ़ा कर दिखा दी कि एक एकड़ में ५०० मन गल्ला हो गया। क्या यह जन साधारण की हालत है, यह तो केवल एक बड़े आदमी की हालत को आपने दिखा दिया इसका कारण है क्या? आप दुनियां में किसी को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्याय का अंकुश आपको बर्दाश्त नहीं है, गरीबों का अंकुश आपको बर्दाश्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—त्रिपाठी जी, आपको बोलते हुये बहुत समय हो गया है। आपको फिर भी धाराओं पर बोलने का समय मिलेगा। जो बात जरूरी हो वही कहें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं जल्दी ही खत्म करूंगा, लेकिन इन बातों को कहने का मौका फिर न मिल पायेगा।

आपने टैक्स लगाया, हमने कहा कि लगाइये। आपने एक विधि लगायी, हमने कहा लगाइये, आपने पूंजीगत मूल्य लगाने का निर्णय किया, हमने कहा कीजिये, आपने इच्छानुसार अधिकारी नियुक्त करने की सोची, हमने कहा सोचिये, लेकिन हम कहते हैं कि एक राहत अवश्य दे दीजिये। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील होने दीजिये। वह भी एक अधिकारी है। आज जुडीशियल आफीसर कहता है कि हमको झंझट में न डालिये, हमारी भी तो तरक्की होनी है। आज ही अगर मर्जी के खिलाफ बात हो गयी तो तबादला कर दिया जायगा। हम भी आदमी हैं यद्यपि सरकार को इसकी बड़ी चिन्ता है और उसने रिटायर्ड जजेज को लाभ देना प्रारंभ कर दिया है। जिससे आने वाली पीढ़ी पर तो कुछ असर पड़े। इस पहलू को समय आने पर कहा जायगा। इसलिये मेरा कहना है कि जुडीशियरी को अधिकार दीजिये।

इसमें १४८ अमेंडमेंट आये हैं जिनमें से ३८ कांग्रेस सरकार की तरफ से ही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन गरीबों के नाम पर आप टैक्स लगा रहे हैं, कृपा करके उन्हीं गरीबों के नाम पर जरा सोच समझ कर अमेंडमेंट लायें और विधेयक लायें जिससे बार-बार उसमें अमेंडमेंट न करना पड़े। और जनता का पैसा बेकार ही खर्च न हो।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—श्रीमन्, यह हाउस में क्या हो रहा है? उधर क्या मीटिंग हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग इस प्रकार से बातें न करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार इन अमेंडमेंट्स पर ध्यान दे। अगर इन अमेंडमेंट्स पर ध्यान देगी तो मैं समझता हूं कि बहुत से गरीब इससे बच सकेंगे। लेकिन यह सरकार तो नित्यप्रति ही टैक्स लगाने को उद्यत रहती है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार इस विधेयक के बारे में सदन के सामने रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उधर के हमारे माननीय सदस्य ऊब सा रहे हैं। यदि कोई बात कटु होती है और सत्य होती है तो ऊब लगती ही है। जैसे कल माननीय मुख्य मंत्री जी को इधर की बातें अच्छी नहीं लगीं, जब कि उनके लिये उदारता का परिचय देने का अवसर था। ऐसे मौके पर वे अनुदार हो जाते हैं, जैसे माननीय उग्रसेन जी ने सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया था तो वह उनको अच्छा इसलिये नहीं लगा कि न मालूम और कोई बात सदन के सामने आ जाय, उसका क्या जवाब दिया जायेगा, और इस तरह से एक अजीब प्रवृत्ति का परिचय उन्होंने दिया। उसी प्रवृत्ति का परिचय उनकी तरफ के और माननीय सदस्य भी आज दे रहे हैं क्योंकि मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लगतीं। मैं हाउस टैक्स का केवल इसी दृष्टि से विरोध कर रहा हूं कि यह हाउस टैक्स उचित नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से पहले सोच लीजिये क्योंकि यह आपको बहुत बड़ी क्रान्ति के करार पर पहुंचा सकता है। जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा—कि

शान्ति रखनी चाहिये। शान्ति कई प्रकार की होती है, किसी प्रकार की शान्ति नहीं हो सकती जब तक कि हृदय में शान्ति न हो। कहते हैं कि बाहर दु मन खड़ा है इसलिये आपको शान्ति रखनी चाहिये। जैसे हमारे पंडित नेहरू कहा करते हैं कि आराम हराम है, जरा कमर कस कर खड़े हो जाओ। ठीक है, एक तरफ तो औरों के लिये आराम हराम का नारा लगता है और अप ने लिये भले ही एरियल सर्वे करना जरूरी हो। तो बहुत से लोग हमको तो शान्ति का पाठ पढ़ाया करते हैं, लेकिन वास्तव में इससे अशान्ति ही बढ़ती है।

दूसरी आशान्ति आर्थिक है। आज मनुष्य सोचता है कि हमारे लि ो इस राज्य में जीना दूभर हो गया है, ऐसी यहां की स्थिति हो गयी है। कहा जाता है कि परिवार नियोजन करो तब हमारी कमी पूरी हो जायगी। जितनी शक्ति अपने पास है उसका तो उपयोग नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि परिवार नियोजन करो। इसके लिये कोई मोरेल स्टैंडर्ड मनुष्य का होना चाहिये। आपका कहना है कि खर्च कम करने के लिये परिवार नियोजन करो और इस प्रकार से आर्थिक स्थिति सम्भल जायगी। जितना रुपया पैसा पास में है उसे प्लान के लिये मांगा जाता है जिससे प्लान सफल हो। ठीक है मैं सेविंग के विरुद्ध नहीं हूं, बावजूद इसके कि सम्पत्ति एक जगह बेकार में पड़ी रहे, अगर प्लान में लग जाय तो उचित ही है। लेकिन क्या रुपया दे देने से ही यहां की स्थिति ठीक हो जायगी, इस पर भी कभी सरकार ने सोचा है? कहा गया है—

"यावत् जीवेत्, शतम् जीवेत्,
ऋण ् कृत्वा, ध्तम् पीवेत्।"

हमारी योजना है कि जितना बाहर से कर्ज मिले लो, जितना सूद देना हो दो, हाउस टैक्स लगाओ, लैंड होल्डिंग टैक्स लगाओ। अब योजना शब्द इतना वृहत् है कि फारेन कंट्रीज को सूद देना, उस कर्जे को मीट करना, अपने नियोजन को फाइनेंस करना, ये सारी चीजें उसके अन्दर आ जाती हैं। आर्थिक शान्ति की तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया है बल्कि उसे ठेस पर ठेस लगाया गया है। इस संबंध में एक सरकारी आंकड़े का उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा जिसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है। एक सरकारी स्टेटिशियन कहीं जा रहे थे और उनकी बीबी को पालकी में लेकर कुछ कहार जा रहे थे। कहारों ने एक नदी के आने पर कहा कि यहां तो कोई नाव ही नहीं है, उस पार कैसे जायेंगे। उन महाशय ने कहा कि घबड़ाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पानी का अन्दाजा लगाया कि यहां इतना पानी है, वहां इतना पानी है और इसके आगे इतना पानी है और इस तरह से अनुपात लगाने पर टोटल पानी केवल डेढ़ फीट आया। तो यह सरकार उसी तरह के आकड़ों पर निर्भर करके यह बिल लायी है। उन्हींके श्रीमन्न रायण के आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों पर कहते हैं कि आर्थिक स्थिति ऊपर जा रही है, लेकिन असल बात यह है कि स्थिति बराबर बिगड़ी है और आप टैक्स लगाते जाते हैं। मैं आप को चेतावनी देता हूं और वि वास दिलाता हूं कि इससे समाज में जो आग भड़केगी उस को आप कंट्रोल न कर सकेंगे। मैं उस का पोशक नहीं हूं और न चाहता हूं कि कोई स्थिति आये, आप राज्य कीजिये, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान का शुक्र है कि भारतवर्ष की कुछ सांस्कृतिक स्थिति ऐसी है कि यहां का आदमी कष्ट सहता है और कहता है कि यह परमात्मा की देन है, दिन भर की परेशानी और मेहनत के बाद जो मिलता है उसी पर सन्तोष करता है और कहता है कि यही भगवान ने मुझे दिया है, दिन रात गलियों में पेट पालता है रात दिन खेतों में कष्ट सहता है बाढ़ आती है कोई प्रबन्ध नहीं होता वह नहीं कहता कि सरकार ने नाव नहीं भेजी समय पर अनाज नहीं भेजा, बाढ़ से दस आने का नुकसान हुआ और २ आने की ही माफी मिली वह तो कहता है कि यह भगवान की इच्छा है, उस को कष्ट देना था मेरा भाग्य है उसी के सहारे जैसे वह रखेगा, जीवेंगे।

आज इस तरहसे ९० प्रतिशत आदमी कष्ट सहकर परमात्मा का ही सहारा लेकर जी रहे हैं लेकिन अगर वह सरकार की जिम्मेदारी को समझने लगें और यह समझने लगें कि किस हदतक उन की इस आर्थिक स्थिति की जिम्मेदार सरकार है तो वह अपने संयम को तोड़ देगा और फिर हालत आपके सम्हाले सम्हल नहीं सकेगी। आज कौन-सा देश है कि जहां

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

गोबर से सना हुआ अनाज निकाल कर खाने के बाद क्रान्ति हुई, कौन सा देश है कि जहां आम की गुठली खाने के बाद क्रान्ति हुई, वह कौन सा देश है कि जहां अनाज की कमी के कारण आत्म-हत्यायें हुई और उस के बाद क्रान्ति हुई ? अगर कोई देश है तो वह यह भारतवर्ष ही है। और इस का एक कारण यही है कि यहां की संस्कृति और आचार विचार परम्परागत ऐसे हैं कि सहनशक्ति बहुत अधिक है और अगर कष्ट होता है तो उस को परमात्मा और खुदा की देन समझा जाता है, ९० प्रतिशत आदमियों का यही हाल है लेकिन जिस वक्त शिक्षा के बाद या जानकारी के बाद वह समझने लगेगा कि इन कष्टों का कारण कहां है, परमात्मा का दोष नहीं है दोष कहीं और है तब मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह स्टेज आ जायगा कि परिस्थिति आप के काबू की न रहेगी। वह भी समझने लगेगा कि —

" जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी
सो नर अवसि नरक अधिकारी । "

एक राजा थे उन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके सामने गन्ने के रस की खीर आई तो उन्होंने कहा कि यह कुछ मीठी नहीं है। इस पर उस बुढ़िया ने कहा कि राजा की नीयत खराब होगी इसीलिये गन्ने में मिठास नहीं रही। सरकार ने कर लगा दिया है। आप आज भारतीय संस्कृति का लाभ उठा रहे हैं जो सलामत है लेकिन हमारी बात से लाभ उठाकर भगवान के लिये ऐसा बिल न लायें, आज गरीब समाज ही इस से ज्यादा त्रसित होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस को पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट करें और वहां से आकर दूसरी बार इसे संशोधित रूप में सदन में लायें तभी इस के द्वारा समाज का कल्याण हो सकता है। तभी हम समझ सकते हैं कि सचमुच सरकार गरीबों की हितैषी है। आप वह स्थिति न आने दें कि जिस तरह से अभी बस्ती में फायरिंग हुई और हत्या हुई और लोगों के चोटें लगीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष नागर क्षेत्र भूमि और भवन कर विधेयक प्रस्तुत है, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस को वापस ले लें तो बेहतर होगा। आज.....

श्री उपाध्यक्ष--आप यह खयाल रखें कि औरों को भी मौका मिले, समय की लिमिट नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--श्रीमन्, बोलने तो दीजिये। मैं इस बिल को वास्तव में जैसा कि कल कम्युनिस्ट दल के उपनता श्री झारखंडे राय ने कहा है कि यह गरीबों के खिलाफ, मध्यम वर्गीय लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है। मैं उनके शब्दों को पुनः दोहराता हूं और मैं महसूस करता हूं कि दबे हुये लोगों के प्रति, शोषित लोगों के प्रति लड़ाई का बिगुल सरकार ने बजाया है। आप चाहते हैं देश विकसित हो और उस विकास के लिये चाहते हैं कर भार बढ़ाया जाय। लेकिन जहां आप विकास के लिये कर भार बढ़ाने की बात करते हैं वहां यह भी सोचना चाहिये कि जिनके ऊपर कर भार बढ़ाया जा रहा है क्या वह इस काबिल हैं कि उस भार को बर्दास्त कर सकते हैं या वह ऐसी स्थिति में हैं कि सही तरीके से उसको दे सकते हैं ? केवल समाजवादी समाज की रचना और जनतंत्र के नाम पर कर लगा करके निरीह जनता की हड्डियों को चूसना आपके लिये उचित नहीं है। महात्मा गांधी ने जब स्वराज्य हो गया तब कहा था जिन लाखों और करोड़ों लोगों ने कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर देने के लिये खून पसीना एक किया और इतना ही नहीं बहुत से फांसी के तख्ते पर लटके, आज शासक दल का फर्ज होता है कि जिस जनता ने उसको इन गद्दियों पर बैठाया तो जब शासन उनके हाथ में है, तो उन्हें उस जन की सुख सुविधाओं के बारे में ख्याल करना चाहिये।

जब हम लोग सभी विरोधी दल के कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण चीनी मिलों का करो तो सरकार कहती है और सूचना मंत्री जी कहते हैं हम भी चाहते हैं राष्ट्रीय करण करना लेकिन क्या

आप चाहते हैं कि चीनी मिल मालिक हमारे यहां से उठ कर दक्षिण में चले जायं। आप कहते हो निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में आज जितनी मिलें हैं, उद्योग-धंधे हैं और सारे उद्योग-धंधे इस तरह के हों जो सही तरीके से देश की सेवा करें तभी इस देश में समाजवाद आ सकता है। यह बात सही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो हालत है, पब्लिक सेक्टर में जो हालत है, अगर उनका मुकाबला करें तो आप देखेंगे बावजूद इसके कि पब्लिक सेक्टर में कुनबा परस्ती है, भ्रष्टाचार है, लेकिन आज हमारे यहां आमदनी भी है, और हम महसूस करते हैं थोड़े दिन के बाद यह दूर हो सकता है, संघर्ष के जरिये हो सकता है, आपके और हमारे मेलजोल से दूर हो सकता है। लेकिन केवल मिल मालिकों को बचाने के लिये यह सरकार कहती है हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे इसलिये कि वह इस प्रदेश से दक्षिण में चले जायेंगे और हमको कुछ फायदा नहीं होगा, हमारे यहां के उद्योग-धंधे चौपट हो जायेंगे। मैं कहता हूं कि आज जब मंत्रिगण यह कहते हैं तो उनके सामने यह नहीं है वह सही तरीके से समाजवाद चाहते हैं, बल्कि उनका तो मतलब यह है कि मिल मालिक रहेंगे तो हमारा राज्य हमारे हाथ में रहेगा क्योंकि उनके पैसे से हम चुनाव जीत कर आते रहेंगे और आते हैं। आखिर क्या मतलब है कि कितनी भी अच्छी बात क्यों न हम कहें आप उसको नामन्जूर करते हैं। आज माननीय सूचना मंत्री के दिल में इसलिये नहीं बहुत प्रेम है मिल मालिकों से क्या वह राष्ट्रीयकरण चाहते है नहीं, वह मजबूर हैं, क्योंकि उन्हीं के बल से वह अपनी इस गद्दी को सुरक्षित रख सकते हैं। यह बात मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं और इस बात के लिये मेरे पास प्रमाण भी मौजूद हैं और प्रमाण दिखाना जरूरी भी है क्योंकि अगर प्रमाण नहीं दिखाता हूं तो माननीय मंत्री जी कहेंगे कि उधर के बैठने वाले कोई प्रमाण नहीं देते हैं, केवल भाषण ही देते हैं। मैं आपकी इजाजत से एक पत्र इसलिये पेश करना चाहता हूं ताकि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय कि सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करना चाहती है? मेरे पास एक ओरिजिनल लेटर है जो मैंने किसी तरह से उपलब्ध कर लिया है। एक संस्था है जिसके हाथ में आज शासन की बागडोर है उसके एक कर्मचारी के हाथ का लिखा हुआ यह पत्र है। वह संस्था है उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड। इसको हमारे गोरखपुर जिले के एक चीनी मिल के मालिक ने चुनाव के संबंध में २२-१-६२ को एक चेक भेजा था।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---एक व्यवस्था का प्रश्न है क्या इस प्रकार का पत्र यहां पढ़ा जा सकता है :

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य पत्र पढ़ सकते हैं :

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं उस पत्र को इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि सही तरीके से स्थिति क्या है, सरकार क्या चाहती है उसे बतला दूं। कल माननीय बनारसीदास ने कहा कि समाजवाद कांग्रेस भी चाहती है। कांग्रेस भी चाहती है कि राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, मजबूरी उनकी यह है जो मैं पत्र के द्वारा बतलाना चाहता हूं

"उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड.....२२-१-६२

प्रिय बन्धु,

संस्था के लिये भेजा हुआ आपका १७५०६ रुपये का चेक प्राप्त हुआ। धन प्राप्ति की रसीद संख्या ५२६२ संलग्न है।

भवदीय,
लक्ष्मण प्रसाद,
एकाउंटेंट--उत्तर प्रदेश पार्लियामेंटरी बोर्ड।'

तो चुनाव के पहले २२-१-६२ को यह रुपया चेक के द्वारा प्राप्त हुआ। अब आप सोचिये कि माननीय गेंदासिंह जी कहें या नरसिंहनारायण कहें कि राष्ट्रीयकरण हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी राष्ट्रीयकरण करेंगे : एक मिल चुनाव के पहले जब १७,५०६ रुपये का

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

चेक भेजती है। (व्यवधान) अधीर मत हों। कटु बात कहने पर घबड़ाहट होही जाती है (व्यवधान) मेरे पास लिखा-पढ़ा सामान है। ओरिजिनल पत्र मैं पढ़ रहा था।

आज गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण कैसे होगा? आज उस मिल मालिक के हाथ में आप जानते हैं किसानों का बकाया और सेस टैक्स मिला कर ४० लाख रुपये से ज्यादा बकाया है। पिपराइच मिल के ऊपर ४० लाख से ज्यादा रुपया हो और संस्था के नाम पर इतना पैसा वह कांग्रेस पार्टी को दे दे तो वह इस सरकार को कायम रखने में मदद करेंगे या नरसिंहनारायण पांडेय की सोशलिस्ट पार्टी, पी० एस० पी० अथवा कम्युनिस्ट पार्टी को कायम रखने में मदद करेंगे जो मिल को पूंजीपतियों के हाथ से राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार के हाथ में देना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है वह इतना सुन्दर है, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हमारे पूर्ववक्ता ने कर दी। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि आज जो गांव का रहने वाला शहर में नौकरी के लिये आता है वह जब छोटी मोटी नौकरी पा जाता है और थोड़े पैसे बचा लेता है तो उसके दिल में यह आता है कि अपने बच्चों के लिये एक छोटा मोटा मकान बनवाये। लेकिन अपना पेट काट कर मकान बनवाने का जो इन्सेन्टिव उसे है वह भी इस विधेयक के द्वारा समाप्त हो जायगा और वह मकान नहीं बना सकता। आज सरकार रेन्टल वैल्यू पर टैक्स चार्ज करेगी और एक महीने का किराया ले लेगी, लेकिन क्या मंत्री महोदय ने इस बात का ख्याल किया कि म्युनिसिपैलिटी में आज १६ परसेंट हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी लगा हुआ है और उसकी भी वसूली बड़ी कड़ाई से होती है। तो एक तरफ तो म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार टैक्स लगाने के लिये प्रेरित करती है और दूसरी तरफ खुद भी टैक्स लगाने के लिये तैयार है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सांख्यिक सारांश, उत्तर प्रदेश, १९६१ से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि हमारी नगरपालिकाओं में कितना कितना कर भार है। देहरादून में देहरादन, मंसूरी और ऋषिकेश, ये तीन नगरपालिकायें हैं। इनमें क्रमशः १९५९–६० में प्रति व्यक्ति १०.३५, ८२.६३ और २२.५० रुपया। मुजफ्फरनगर में कैराना, खतौली और शामली, ये तीन नगरपालिकायें हैं। इनमें क्रमशः ८.४७, ४.४८ और १९.२८ रुपया प्रति व्यक्ति कर भार है। अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस और सिकन्दरामऊ नगरपालिकाओं में क्रमशः ९.४३, ८.३३ और १७.१७ है। मथुरा में मथुरा, वृन्दाबन और कोसी नगरपालिकाओं में क्रमशः १०.०७, १०.५७ और ११.२८ कर भार है। आगरा में फीरोजाबाद, फतेहपुर-सीकरी नगरपालिकाओं में १०.६८ और १३.१९ है। मैनपुरी में मैनपुरी और शिकोहाबाद नगरपालिकाओं में १०.६१ और २३.३४ है। एटा में एटा, सोरों, कासगंज, जलेसर और गजडुंडवारा और मरेहरा नगरपालिकाओं में क्रमशः १३.५०, ५.७९, ७.३२, ७.०९, ८.५१ और ३.२० रुपये प्रति व्यक्ति कर भार है। फर्रुखाबाद में कन्नौज नगरपालिका में ४.७४ है।

श्री उपाध्यक्ष––आपका यह परपज यों भी...

श्री नरसिंहनारायण पांडेय––श्रीमन्, मैं वही पढ़ रहा हूं। आखिर जल्दी काहे की है। फतेहपुर में ८.०८ है। वाराणसी में भदोही में ६.०७ है। मिर्जापुर में मिर्जापुर और चुनार हैं जहां ६.७५ और ६.४३ है। जौनपुर में ६.६५ है। और भी तमाम नगरपालिकायें हैं। मान्यवर, अगर देखा जाय तो आज कर भार प्रति व्यक्ति पर इतना ज्यादा हो गया है कि इसके बाद और कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मंत्री जी कोई विधेयक लाकर योजना के नाम पर कर लगाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कर हमारी जनता, हमारे मध्यम वर्ग, हमारे किसान और मजदूर वर्ग नहीं दे पायंगे और इसका विरोध करने के लिये मजबूर हो जायंगे।

मान्यवर, एक बात और कही गई। हमारे बहुमत दल के लोगों को इस बात का गर्व है कि जनता ने देश का शासन सूत्र हमारे हाथ में दे दिया है और बार बार वे कहते हैं कि वे जनतंत्र के पुजारी हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी तो यहां तक कह चुके हैं कि हमने चुनाव के पहले मीटिगों, सभाओं में भाषणों के द्वारा ऐलान किया था कि हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी करनी है क्योंकि हम देश में दूध दही की नदियां बहाना चाहते हैं, हम देश में खुशहाली लाना चाहते हैं, हम देश से बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहां शिक्षा बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे यहां से गरीबी दूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजी मिले। ये सारी बातें हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं और आज बहुमत उनके हाथ में है। यह बात सही है। हलांकि वोटों की संख्या देखी जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि लोक सभा में अगर ६ वोट कांग्रेस को मिले हैं तो उससे ज्यादा इधर के बैठने वाले लोगों को मिले हैं और विधान सभाओं में तो इससे भी ज्यादा उनकी दुर्गति है। लेकिन यहां जनतंत्र के नाम पर चाहते हैं कि हम कोई भी कर लगायें या कोई भी काम करें तो हम वह कर सकते हैं और जनता ने हमें अधिकार दे दिया है।

मान्यवर, उनकी ही पार्टी के एक माननीय सदस्य ने नेशनल हेरेल्ड में एक आर्टीकिल लिखा है। वह १३ अगस्त, १९६२ के पत्र में है। उनके शब्दों को मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि डैमोक्रेसी क्या है और उधर के बैठने वालों के अधिकार क्या हैं। इसके लिखने वाले माननीय मोहनलाल सक्सेना है। वह इस प्रकार है कि—

"For democracy is essentially government by discussion, persuasion and consent, not by frequent displays of authority or even a show of strength in the Legislatures by the party in power."

मतलब यह हुआ कि आपके पास बहुमत है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो चाहे कानून पास कर दो। अगर आपके पास बहुमत है तो इधर के लोगों के पास दिल और दिमाग हैं भगवान ने दिया है और वे अच्छी भी बात बता सकते हैं और आपको उनकी बात समझनी चाहिये, उसकी इज्जत करनी चाहिये।

मान्यवर, हम चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों न कहें, लेकिन उधर के लोगों ने अपना एक उसूल बना लिया है, क्योंकि वे बहुमत में हैं, उनके पास संख्यासुर अधिक है, वे हम से कहते हैं कि हम अल्पमत में हैं इसलिये हमें अपनी राय देने का क्या हक है? ऐसी स्थिति दूसरे मुल्कों में नहीं है। बृटिश पार्लियामेंट का इतिहास देखें तो विरोधी पार्टी के नेता या विरोधी पार्टी कोई बात कहती है और सरकार समझती है कि वह देश के हित के लिये है तो सरकार उस पर विचार करती है। आज इस तरह से वहां नहीं है जिस तरह से यहां पर मंत्रि-परिषद् एक आदमी के खेल का खिलौना बना हुआ है बृटिश पार्लियामेंट इस तरह से नहीं है। वहां पर देखते हैं कि जनता क्यों कर भार सहन कर सकती है? जनता अमुक बात को नहीं मानती है और मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य विरोध करता है तो उस को समय मिलता है और उसको मौका मिलता है कि वह अपनी बात कैबिनेट में रख सके। कैबिनेट उस पर विचार करने के लिये सब कमेटी बनाती है और वह पब्लिक को इस बात को समझाने की कोशिश करती है। और वह देखती है कि आया पब्लिक हमारी इस नीति से आन्दोलित तो नहीं हो जायगी। लेकिन यहां तो जो एक नेता ने कह दिया वही लकीर हो गयी। अगर उसका विरोध करने की किसी ने हिम्मत की तो फौरन डिसप्लिनरी ऐक्शन उस पर लग गया। उधर के एक माननीय सदस्य जो कि बस्ती जिले के रहने वाले हैं और मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूं, यद्यपि मैं गोरखपुर से चुनकर आया हूं, उन्होंने अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया और इधर के बैठने वालों को एक वोट देकर उनकी नीतियों में एक दरार डाल दी है। उन्होंने बता दिया है कि अगर आप अब भी नहीं चेतेंगे तो जनता आप को बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक दरार डाल दी है। यही विरोधी दल और उस माननीय सदस्य की जीत है, चाहे अनुशासन की धमकी देकर उनको पार्टी से निकाल क्यों न दिया जाय।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

हम विरोधी दल के लोगों से कहा जाता है कि आप कोई रास्ता नहीं बताते कि इस तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी हो सकती है। वह यह भी कहेंगे कि सोशलिस्ट तो कहते हैं कि यह छोटी योजना है, योजना को वृहत करो पर पैसा कहां से आयेगा ? आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास नैतिकता नहीं है उनको वसूल करने के लिए। १९६०–६१ में सारे देश में २५३.४९ करोड़ रुपया इन्कम टैक्स का बाकी है। इसमें सबसे ज्यादा धन उत्तर प्रदेश में बाकी है। क्या आप अपने पुराने पूज्य साथी मोहनलाल सक्सेना के आर्टिकिल को नहीं पढ़े, भूल गये जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद पार्लियामेंट में दिया था ? उन्होंने कहा था कि जो रुपया स्टेट्स वसूल करके केन्द्र को देती हैं उसका ९० प्रतिशत उन स्टेट्स को अनुदान के रूप में दिया जाय। क्या आपने केन्द्र के मंत्रियों से कहा कि हम इस शर्त पर इन्कम टैक्स का पैसा वसूल करने के लिये तैयार हैं ? उससे करीब ५० करोड़ उत्तर-प्रदेश को मुनाफा होता। ५० करोड़ रुपया मिलने के बाद आज हमारी योजनाओं में जो कफनघसोटी हो रही है वह नहीं होती। आपको अनुदान मिलता जिससे आपकी योजनाएं बिना टैक्स लगाये कार्यान्वित हो सकती थीं। अभी आपके आफिसर्स बैठे हुए थे। उन्होंने कह दिया कि पांच करोड़ से ज्यादा धन हम एकानामी मेजर्स को अडाप्ट करके दे सकते हैं। हमारे माननीय नवलकिशोर जी जब एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था कि हम किसी वक्त इकानामी करके छः करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार को बचा सकते हैं। अब तो वह लाड़िले हैं उधर के बैठने वालों के और खास कर नेता सदन के। तो आज़ क्यों नहीं वह ऐडवाइस करते हैं कि ६ करोड़ रुपये को बचाया जा सकता है एकोनामी के जरिये से वह बचा कर के यह कर भार गरीब जनता पर न डाला जाय।

श्रीमन्, इतना ही नहीं है मथाई टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने कहा था कि तनख्वाहों का रिश्ता क्या होना चाहिए और उसने बताया था कि जो सबसे कम वेतनभोगी हैं उसकी तनख्वाह से जो सबसे ज्यादा वेतनभोगी है उसकी तनख्वाह ३० गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। आज हालत क्या है ? आज जो सेक्रेटेरिएट का चपरासी है वह कितनी तनख्वाह पाता है और जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है जो इस स्टेट को चलाने वाला है वह कितनी तनख्वाह पाता है, इस रिश्ते को देखिए तो जमीन और आसमान आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि आज उस मथाई कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया जाता। मैं, मान्यवर, कहता हूं कि आज दस करोड़ रुपये से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी थी, इनकमटैक्स का, एलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज का, एम्पलायर्स कंट्रीब्यूशन टु प्राविडेंट फंड का मिल मालिकों पर बाकी है। उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं ? यह दस करोड़ रुपया आप क्यों नहीं वसूल करते ? आज तो मान्यवर, स्थिति यह हो गई है कि हमारे नेता सदन एक समय था जब यह कहा करते थे कि हम एकोनामी चाहते हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन में, जब हुकूमत को हासिल करना हुआ तो नारा हुआ एकोनामी का और जब आज हुक्मराँ हो गए तो फिर क्या हो गया है कि मंत्रियों की संख्या जो सन् ३७ में १४ थी वह आज बढ़ कर ५० कर दी गई, शैतान की आँख की तरह से मन्त्रि-परिषद् भी आज बढ़ता चला जा रहा है। सामान्य प्रशासन में उत्तर प्रदेश में सन् ३७–३८ में ७.३५ करोड़ रुपया खर्च होता था वह सन् ६२ में जाकर २८.४७ करोड़ रुपया खर्च होने लगा। तो मान्यवर, यह हमारी आज उपलब्धियाँ हैं। आज शिक्षित बेकारों की उत्तर प्रदेश में १९५९–६० के आँकड़ों को देखने से मालूम होता है कि १,१२,१०१ तादाद है। रोजगार दफ्तरों में १९,५५ में ३,२१,९७७ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिनको कहीं नौकरी नहीं है। हमारे एक वरिष्ठ साथी उधर के बैठने वाले माननीय फूलसिंह जी विधान परिषद् में भाषण दे रहे थे और अखबारों में जो उनका भाषण छपा मैंने उसको बड़े गौर से पढ़ा। उन्होंने कहा था कि ४० लाख बेकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद भी रह जायेंगे जिनको काम नहीं मिल पायेगा। तो न तो आप बेकारी को दूर कर पायेंगे और न शिक्षितों को कहीं पर नौकरी दे सकेंगे। आपकी जो योजनायें हैं उनका हाल क्या कहें। केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर जिले में राप्ती का पुल बना। उस पुल के लिए

४१ लाख कुछ रुपया एस्टीमेट किया गया । मान्यवर, ३५ लाख रुपया मार्च सन् ६२ तक खर्च हो चुका और पुल की हालत क्या है ? उस पुल में अभी भी मेरा अनुमान है कि कम से कम २० लाख और खर्च होगा । जिस सरकार के अन्दर १ लाख ४७ हजार रुपया तीन महीने के अन्दर उड़ा दिया जाता है जबकि पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के समय में जब उस पुल के टूटे हुए भाग की हिफाजत के लिए १ लाख ४७ हजार रुपया जिस सरकार के राज्य में खर्च हो सकता है उस सरकार के मन्त्रिगण यहाँ पर बैठ कर अपने उन अफसरों और इंजीनियरों की तारीफ करते हैं तो दुख होता है ? आप क्या मान्यवर, उम्मीद करते हैं कि ऐसी सरकार समाजवादी सरकार कही जा सकती है ? ऐसी सरकार आज क्या आप समझते हैं कि देश के अन्दर पवित्र तरीके से प्रजातंत्र को सुरक्षित रख सकती है ।

आज देश के अन्दर जो ८५ परसेंट किसान हैं वह गाँव में बसे हुए हैं । हमारा जिला तो मान्यवर बरबाद हो गया और इस बरबादी के आलम में डेवलपमेंट लोन के नाम पर पिछले महीने में, मुझको बतलाया गया कि २५, लाख रुपया हमारे जिले गोरखपुर से वसूल किया गया । फरेन्दा सब डिवीजन से साढ़े पाँच लाख रुपया वसूल कर लिया गया जहाँ का मैं विधायक हूं । उसके बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज एक लाख परची बाँट चुके हैं कि ये जो विरोधी पार्टी के लोग हैं यह लोग जनता में भ्रम फैला रहे हैं, यह योजनाओं को पूरा नहीं होने देते । हमको १४७ करोड़ रुपये की जरूरत है । प्रदेश का नियोजन करना है । उस नियोजन को हम तो गोरखपुर जिले में देख चुके हैं । हमारे यहाँ महाराजगंज तहसील में साइफन बनें । उनमें कम से कम लगभग ४ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । नारायणी की बाढ़ को रोकने के लिये वे साइफन बने और बाढ़ में बह गये पर इसका कोई पुरसाहाल नहीं है । अगर ऐसा आपका नियोजन है तो इस नियोजन के लिये एक किसान ने कहा कि अंग्रेज तो हमारा खून चूसता था पर यह सरकार हड्डी पर चिपटी हुई है मगर हम इसको हड्डी चूसने नहीं देंगे । मान्यवर, हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग और सारी विरोधी पार्टी के लोग इस सरकार के खिलाफ जेहाद करेंगे जिस वक्त हमको मौका मिलेगा । मान्यवर, मुझे इतनी ही बात नहीं कहनी है । मैं तो यह कहता हूं कि स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है और जब मुल्क के अन्दर भयावह स्थिति हो तो उस समय बनारसीदास जी के भाषण से काम नहीं चल सकता है । बनारसीदास जी ने कहा था कि कैपिटल की एक किताब लिखी गई जो मार्क्स ने लिखी थी । उसका हवाला देते हुये आपने कहा कि उस कैपिटल की किताब को छापने वाली टाइपिस्ट की अंगुली सूख गई थी । मैं बनारसीदास जी से पूछना चाहता हूं कि आपका कितने पौन्ड वजन इन योजनाओं के कार्यान्वियन में कम होगया ? एक कैपिटल की किताब को टाइप करने वाली टाइपिस्ट की अंगुली सूख गई, लेकिन योजनाओं की हमदर्दी में अपका कितने पौंड वजन कम हो गया ? आप तो फूले नहीं समा रहे हैं । मान्यवर, मैं कहता हूं कि आज स्थिति यह है कि हमारे मंत्रिगण जो हैं वह यहाँ पर सुख की नींद सोते हैं । वह यह समझते हैं कि पूंजीपतियों के पैसे से हम तो चुने ही जायंगे जनता क्या है । जनता तो एक भेड़ और बकरी है जिससे उल्टे-सीधे मार-पीट कर रुपया वसूल कर लेंगे ।

मुझे दुख होता है यह देख कर कि जो यह विधेयक लाया गया है वह हमारे एक ऐसे मंत्री के द्वारा लाया गया है जो हमारे पूज्य महात्मा गाँधी के चरणों में बहुत दिन गुजार चुके हैं जिस ने हमसे कहा था कि देश को बनाने के लिये जरूरी है कि हम लंगोटी पहनें तभी देश आजाद हो सकता है । आप उनके फोटो को देखें तो आपको मालूम होगा कि कुरबानी के अवतार हैं, लेकिन हमारे जो ये मंत्री हैं इनकी कितनी कुरबानी है ? इस विधेयक को ले तो आये लेकिन पता नहीं कि कितने मकान हैं इस सूबे में जितनी रैन्टल वैल्यू पर हम यह टैक्स वसूल करेंगे । आज उनको यह भी मालूम नहीं है कि कितनी जमीन है जिस जमीन से हमको आज टैक्स वसूल करने की बात करना है । सारा मामला कागज पर और कागज है ही नहीं । फर्जी आँकड़े लगाकर फाइनेंशल रिपोर्ट पेश की गई और यह तखमीना लगा लिया गया कि इतना मिल जायगा । एक स्रोत मिल गया कि हाउस टैक्स के बारे में कागज तैयार होंगे । दूसरा स्रोत

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

मिल गया कि ५० जाख रुपया खर्च कर देंगे ताकि मकान तथा जमीन का एसेस करने के बाद कर वसूल करेंगे । ५० लाख आप खर्च करेंगे यह आपका एस्टीमेट है और आपके पास कोई कागजी खाका नहीं है कितनी आपके पास जमीन है, कितने आ के पास मकान हैं और किन मकानों पर टैक्स और कर लगेगा । हाँ, यह जरूर है कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी होशियारी के साथ सेक्शन २ में लिख दिया कि झोपड़ी पर भी टैक्स लगाया जायगा । तम्बू को छोड़ कर जितनी भी चीजें हैं, चाहें वह ईट से जोड़ी गयी हों अथवा मिट्टी से उन सब पर टैक्स देना होगा । इस तरह से अंधाधुन्ध टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा । यह दूसरा टैक्स बिल है । आपने पहले बिल द्वारा गरीब यात्री पर टैक्स लगाया । अब मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति अगर बचत करके अपना मकान बना लिये है तो उसकी रेंटल वैल्यू पर भी आप टैक्स लगाने जा रहें हैं । टैक्सेशन इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी तरीके से कैपिटल वैल्यू पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन हमारे मंत्री जी हवा में उड़ रहे हैं और वह इसलिये नहीं कि उनके दिमाग नहीं है । भगवान ने उनको दिमाग जरूर दिया है, लेकिन वह डिसिप्लन तोड़ नहीं सकते । काँग्रेस की डिसिप्लन है, एक सूत्री राज्य है, जो कह दिया गया कि फलाँ काम करना है उसमें, इफ, ऐंड, बट नहीं चल सकती । न कोई जबाव दे सकते हैं, न कोई सवाल कर सकते हैं, चाहे सब खंदक में क्यों न चले जायं । यह आपकी बदकिस्मती है और मान्यवर इसी बदकिस्मती की वजह से प्रथम और द्वितीय योजना में ७०० करोड़ रुपया बिना किसी प्राप्ति के योजना में खर्च हो गया ।

आप कहते हैं कि हमारी योजना है । क्या योजना है ? जैसा कि हमारे सूचना मंत्री जी ने तसकिरा किया, रूस ने योजनायें बनायीं और हम उसी से योजना बनाना सीखे हैं । यह सही है लेकिन आपने कहीं यह भी सुना कि मकान गिरा दिये जायंगे और उसके बाद उन मकानों में जो रहते हैं उनको कोई मकान नहीं दिये जायंगे । आपने कैपिटल पढ़ा, योजनाओं को पढ़ा । हमारे मंत्री जी Slum बस्तियों के निपातन के लिये बिल लाये कि उन मकानों को गिरवा देंगे, लेकिन उन लोगों के रहने के लिये कोई इंतजाम भी किया । रूस में जो योजनायें चलायी गयीं, चीन में जो योजनायें चलायी गयीं, उनके पास दिमाग था, नक्शा था, उनके पास प्राक्कलन था । आपके योजनाओं का फल तो केवल १० लाख अफसर टाई और सूट पहने हुए प्राप्त कर रहे हैं । वे मौज कर रहे हैं । आपकी योजनाओं का वे मखौल उड़ाते हैं और योजना का पैसा उनके घरों में जा रहा है जिसे किसी तरह भी आप यकीन नहीं कर सकते । आपने कितने गाँव बना दिये ? ५२ जिलों में आपने कितने गाँव बसाये ? योजनाओं में आपने कितने गाँवों में पीने के पानी के साधन दिये ? कितने गाँवों को कोआपरेटिव के जरिये आत्म निर्भर बनाया ? केवल योजना का नाम लेकर योजना को बदनाम मत कीजिये और गरीबों की हड्डी चूसने के लिये गरीबों से टैक्स न वसूलिये । यह जनतंत्र के सिद्धान्तों को हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और हर पार्टी जब तक उसकी जबान में ताकत रहेगी, बाहर और भीतर इसकी मुखालिफत करती रहेगी ।

मान्यवर, दूसरी चीज जो मुझे कहनी है आप के द्वारा, वह यह कि दूसरे मुल्कों से और हमारे मुल्क का यदि आप मुकाबला कीजिये तो आप को बड़ा अंतर मिलेगा । यदि आप दूसरे मुल्कों में देखें जैसे, ईराक, बर्मा, ब्राजील, फिलीपाइन्स, टर्की, स्पेन, यूनियन आफ साउथ अफ्रीका, घाना, इजराइल और यू० ए० आर० वगैरह, तो हमारे यहां के खाद्य पदार्थ के उत्पादन में और इन छोटे-छोटे देशों के साथ पदार्थ के उत्पादन में बड़ा अन्तर है । मैं ने इन मुल्कों का इसलिये नाम लिया कि इनकी कुछ की आबादी तो हमारे एक जिले से भी अधिक नहीं होगी । उदाहरण के लिये यदि आप देखें तो ईराक में ९ प्रतिशत पैदावार होती है और हमारे भारतवर्ष में ३ प्रतिशत । यह आंकड़े सन् ५९ के हैं । आप देखें हमने दो पंचवर्षीय योजनाओं में यही तरक्की की है । आज पर कैपिटा इनकम हमारी दूसरे सूबों के मुकाबले बहुत कम है । उदहरण के लिये आप आसाम को लें । वहां पर सन् १९५०–५१ में २८१ पर कैपिटा इनकम थी और उत्तर प्रदेश में २५८ थी । १९५८–५९ में वहां की पर कैपिटा ३१७ हो गई और हमारे प्रदेश की २५६ ही रह गई ।

मैं एक और बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि हमारी आबादी के मुताबिक प्लान में हमको पैसा नहीं दिया गया है। हमारी आबादी १९५४ से आज तक बहुत बढ़ी है। पर उस अनुपात में हमको केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं आप केन्द्रीय सरकार से लड़ते हैं? क्या कारण है कि आज दूसरे सूबों में तो भाखरा नंगल बना दिया गया है और हमारी नदियां यों ही पड़ी हुई हैं। क्यों हमको बरबाद करने के लिये छोड़ दिया गया है। यह बड़ा अन्याय है। आज दो योजनाओं के पूरा होने के बाद भी हमारा देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो रहा है। बेकारी की समस्या ज्यों की त्यों मुंह बाये खड़ी है। शिक्षा का नितांत अभाव है आज भी गांवों में बच्चों के अन्दर। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है। योजनाओं के नाम पर हमसे कहा जाता है कि पैसा दो, पर उस धन का दुरुपयोग आप अपने १० लाख अफसरों की जेबों में भर कर करते हैं। उसके लिये कोई पैसा देने के लिये तैयार नहीं है। मैं सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आपसे अदब से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी आप की इस नीति का डटकर मुकाबला करेगी। आप की यह नीति और योजनायें जनता को केवल भुलावे में रखने के लिये हैं। आप केवल फिजूलखर्ची ही कर रहे हैं। आपको मुनासिब कदम इस ओर उठाना चाहिए। इन शब्दों के साथ यह जो विधेयक है, मैं उसका विरोध करता हू क्योंकि यह जनतंत्र के खिलाफ है, यह जनतांत्रिक परम्पराओं के विपरीत कदम है। इसलिये यह जरूरी है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट किया जाय, जिससे सही तरीके से जनता की राय मिल सके और आपको जनता के मन की बात मालूम हो सके। यह विधेयक माननीय मंत्री जी वापस लें यह मेरा उनसे नम्र निवेदन है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—यह जो विधेयक प्रस्तुत है और उस पर जो वाद-विवाद हो रहा है, उसके सम्बन्ध में मैंने सभी सदस्यों के भाषणों को सुना। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये और इस विधेयक का विरोध किया। परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो समाजवाद के ठेकेदार वहां पर शासन करना चाहते हैं आज वह गरीब किसानों और मजदूरों के हिमायती बन रहे हैं। परन्तु क्या वे उनके वास्तव में हिमायती हैं? क्या वे सरमायादारों के हिमायती नहीं हैं। मैं कहता हूं कि वे भी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं और यह भी रखते हैं। वह भी किसान मजदूर की आड़ लेते हैं और ये भी लेते हैं। लेकिन किसान मजदूर का सच्चा नुमाइंदा एक नहीं है। और झोपड़ों की वाकई में बात करते तो मैं मानता हूं, लेकिन हिमायती उनके हो रहे हैं जो डेढ़-डेढ़ लाख प्रतिवर्ष आमदनी करते हैं। उन्हीं के ठेकेदार हमारे माननीय समाजवादी सदस्य हो रहे हैं। अगर यह कहें कि किसानों पर कर मत लगाओ जिनके नुमाइंदे हम आप बैठे हैं तो वह सोचने की बात है, लेकिन उन मकानों पर भी जिन पर टैक्स लगाना चाहिए और जनता को खुशी-खुशी देना चाहिए जितनी उनकी सामर्थ्य हो, अगर उसके भी सपोर्टर नहीं हैं तो फिर आप गरीबों के सहायक हैं या अमीरों के? क्या प्रत्येक विधेयक का विरोध करना अनिवार्य है? यह बात कुछ हद तक सही है और मुझे भी अखरता है टैक्स, लेकिन कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं। (व्यवधान) कोई पार्टी ऐसी है जो बाहर चन्दे के चलती है? सब से उत्तम कम्युनिस्ट पार्टी है वह भी चन्दा लेती है। आपके जो नेता हवाई जहाजों में उड़ते फिरते हैं वह किसका पैसा है? वह झोपड़ी वाले ने दिया या किसान ने दिया? श्री महामान्य राममनोहर लोहिया क्या हवाई जहाज में नहीं जाते? वह पैसा किसके पास से आया, श्रीमन्? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—देखिये ऐसी बातें आपने भी कही हैं, इनकी भी सुनिये।

श्री हरीसिंह—आपने चिट्ठी पढ़ी। जरा जवाब सुन लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—हवाई जहाज का टिकिट पेश कीजिये कि किस हवाई जहाज से चले?

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

श्री हरीसिंह--चिट्ठी पढ़ी तो हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी बात सुनें और उसका जवाब देते रहें। शिब्बनलाल सक्सेना कभी नहीं गये हवाई जहाज में? यह कहां से आया श्रीमन्, आज बड़े से बड़े नेता लोग इंगलैंड, अमेरिका, आयरलैंड, रूस और चीन जाते हैं, चीन तो खैर अब नहीं जाते, तो उन हवाई जहाजों के लिये रुपया कहां से आया? क्या उन सेठों और मिल वालों की तिजोरियों से नहीं आया जिनके हिमायती बन कर वह कहते हैं कि टैक्स मत लगाओ, जिन्होंने गरीबों का खून चूस-चूस कर शहरों में जायदादें इकट्ठी की हैं और उनसे किराया लेकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। किसान मजदूर पर नहीं लगना चाहिए, यहां तक जरूर सोचने की गुंजायश है। मगर १० रुपया से ऊपर किराये वाले को एक, दो, ढाई रुपया पड़ जाय तो क्या बात है? ये योजनाएं हम सब ने मिल कर बनायी हैं। आप बच कर नहीं रह सकते हैं, आप भी दिल्ली में मौजूद थे। यह गांव का बच्चा-बच्चा जानता है और शहर का मजदूर कुली जानता है। सभी नेताओं ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में साथ दिया था। उस वक्त नहीं सोचा कि गरीबों की क्या हालत होगी? लेकिन उन्हें तो कल्याणकारी सरकार के विरुद्ध प्रचार करना और यह कहना कि निकम्मे हैं, अत्याचारी हैं। इनका तो यही एक कर्त्तव्य हो गया है कि सरकार का विरोध करें। मैं पूछता हूं, श्रीमन्, कि अगर कोई सरमायादार चार पांच सौ रुपये किराये के लेता है और उसे १००,५० रुपये टैक्स के और देना पड़ जाते हैं तो यह कौन-सी अनुचित बात है। अगर आप यह कहते हैं कि मकान मालिक पर ही टैक्स लगाया जाय, किरायादार पर न लगाया जाय, तब तो कोई बात समझ में आ सकती थी और उस पर विचार किया जा सकता था, मगर आप तो कहते हैं कि सारे टैक्सों को ही खत्म कर दो। कोई टैक्स न लगाओ। समझ में नहीं आता आप चाहते क्या हैं? कभी तो आप मिल मालिकों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, और कभी उनकी मुखालफत करते हैं। अभी श्रीमन्, इस हाउस में एक बिल मोटर टैक्सेशन बिल आया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। मोबिलआयल वगैरह पर कुछकर बढ़ने वाला था, उस समय उसका भी इन्होंने विरोध किया। मैं पूछता हूं कि किसान का मोबिलआयल से क्या ताल्लुक है? श्रीमन्, कम्यूनिस्ट पार्टी भी आज यही बात कह रही है। केरल में जब इन का राज्य था तो उन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी थी जिस पर कि कर न लगाया हो। जन संघ पार्टी का जहां तक संबंध है, ठीक है उसके लिये क्योंकि उसमें बड़े-बड़े सरमायादार लोग हैं, मगर आप क्यों ऐसा कहते हैं। हां, हम इस बात को पसन्द करते हैं कि गरीब की झोंपड़ी आदि पर कर न लगे, टैक्स मकानों पर लगना चाहिए।

श्रीमन, यह सोचने की बात है कि अगर टैक्स न लगाया जाय तो योजना कैसे सफल हो। आप यह तो चाहते हैं कि योजना सफल हो, मगर टैक्स का विरोध करते हैं। तो, मैं पूछता हूं श्रीमन, आप के द्वारा कि क्या इन्होंने कोई नई करेन्सी खोल रखी है जहां से धन आयेगा? इस सरकार ने दो पंचवर्षीय योजनाओं में जितना धन लाकर उन्नति की है वह कौन नहीं जानता? क्या मिर्जापुर में तरक्की नहीं हुई है? क्या और शहरों में तरक्की नहीं हुई है? क्या जगह जगह पानी की व्यवस्था नहीं हुई है? मैं ईमानदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर आप टैक्स नहीं लगायेंगे तो किन लोगों से पैसा लायेंगे? आज सब गरीब किसान और मजदूर का बहाना लेने लगते हैं। कुंवर साहब ने कितने हल जोते हैं? आज जिन के पास हजार-हजार बीघे के फार्म हैं, वे भी, अपने को किसान कहते हैं। यह ठीक है कि जो छोटे दर्जे के किसान हैं उनसे टैक्स न लिया जाय। जब कांग्रेस के वालंटियर्स चिल्लाते थे कि गरीबों का शोषण न करो, जब अंग्रेजों का शासन था तो आप लोग कुछ भी सुनते न थे। लेकिन आज जब यह सरकार अपनी योजना को चलाना चाहती है, कल्याणकारी सरकार है, गरीबों को ऊपर उठाना चाहती है, तब आप शोर मचाते हैं। सरकार में त्रुटियां हो सकती हैं, फिजूलखर्ची हो सकती है, उसमें सरकार को सुधार करना चाहिये। जो टैक्सेज से रुपया वसूल होता है उसका सदुपयोग सरकार को करना चाहिये। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिक्री-कर का बहुत दुरुपयोग होता है। जितनी आमदनी सरकार में जमा होती है, उससे दुगनी आमदनी लोग करते हैं। लेकिन सरकार उनके बारे में सोचती नहीं। मुझे संदेह है कि कहीं बिक्री-कर की तरह से इसका भी हाल न हो जाय। क्योंकि इस सरकार का आफीसरों की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। मेरा

विरोधी नेताओं के अनुरोध है कि वह इस विधेयक का तो समर्थन कर, कर तो लगे लेकिन गरीबों पर न लगे, उसका भी ध्यान रखें। कर बड़ी-बड़ी जायदादों पर लगना चाहिये। मकान मालिकों पर लगना चाहिये, किरायेदारों पर लगना चाहिये लेकिन गरीब जो झोपड़ी में रहता है उसपर यह कर नहीं लगना चाहिये। चार आठ आना उस को भी देना पड़ेगा तो वह उसमें भी कोई एतराज नहीं करेगा। गरीब तो आप लोगों से पहले उस योजना को सफल बनाने के लिये तैयार है, वह अपना खून तक देने के लिये तैयार है। आप ही उन गरीबों का शोषण करते हैं। और उनका बहाना लेकर शोर मचाते हैं।

किसी के भी जिले में चले जाइये। ये सब लोग गरीब मजदूर को चार आना मजदूरी देते हैं जब कि हमारे पश्चिमी जिलों में ढ़ाई रुपया मजदूरी दी जाती है। सारा धन यहां से खींच कर ले जाते हैं और कहते हैं कि योजना किस प्रकार चलेगी। अब बाढ़ और आ गयी हजारों लाखों रुपया चला जा रहा है लेकिन पश्चिमी जिलों में सूखा पड़ गया और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। लाखों रुपया लिये जा रहे हो और टैक्सों का विरोध कर रहे हैं। अकेले मेरठ जिले में साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया आता है। बुलन्दशहर मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून अलग रहा। वहां की जनता इतना कर देती है, लेकिन फिर भी इसकी परवाह नहीं करती कि कितना रुपया उन पर खर्च किया जाता है और कहती है कि योजना को सफल बनाने के लिये यदि खून भी देना पड़े तो देंगे। आप क्यों साफ नहीं कहते कि हम नहीं दे सकते व्यर्थ ही गरीब और मजदूरों का नाम लेते हैं। आप छोटे किसान और मजदूर का खून चूसते हैं और फिर उसकी दुहाई देते हैं और फिर आप की किसान की परिभाषा भी यह है कि जिसके पास चार-पांच सौ बीघा जमीन हो। जैसे राजा साहब जौनपुर हैं, ठाकुर भानुप्रताप सिंह जी हैं, उनको आप किसानों में सम्मिलित करते हैं। लेकिन वह किसान जिसके पास ७ बीघा कच्चा, जमीन है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वह किसान अपनी जमीन में दूसरे मजदूर से घास खोदवाता है, जिसे उसके मवेशी खाते हैं। मैं पूछता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने फार्म्स में गरीब किसानों से घास खुदवाते हैं? यहां आप लोग केवल किसान मजदूरों के नाम का सहारा लेकर इस टैक्स का विरोध करते हैं। अगर देश को आग बढ़ाना है, अगर योजना को सफल बनाना है और देश के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना है तो हमारा यह धर्म व कर्त्तव्य हो जाता है कि अमीर गरीब का भेदभाव किये बिना टैक्स लगाया जाय। यह सही है कि अमीरों पर टैक्स अधिक लगना चाहिये और गरीबों पर नहीं लगना चाहिये। लेकिन अगर हमें दूसरे देश का मुकाबला करना है तो यह जरूरी है कि अपने यहां के लोगों में ऐसा उत्साह पैदा करें जिससे वे देश की उन्नति के लिये हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार रहें साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि आप यहां बार-बार गरीब शब्द का कहना छोड़ दें। किसानों को जो कुछ भी करना होगा वे अपने बल बूते पर करेंगे और अपनी भलाई को अच्छी तरह से सोच कर करेंगे क्योंकि आज भी यह देखने में आया है कि हर आदमी किसान मजदूर का नाम लेकर इस बिल का विरोध कर रहा है।

शहरों के लिये जब यह बिल आया तो मैं सोच रहा था कि उसका कोई खास विरोध नहीं होगा। क्योंकि शहरों में तो बड़े-बड़े लोग ही रहते हैं। मैं पूछता हूं कि शहरों में उन हरिजनों के लिये जो शहरों की सफाई करते हैं, मलिन बस्तियों को हटा कर जो नयी-नयी बस्तियां बसायी जा रही हैं, आखिर उनके लिये रुपया कहां से आवे। किसी शहर को दो लाख, किसी शहर को तीन लाख दिया गया है और उनके लिये जो सड़कें बनी हैं, रोशनी का प्रबन्ध किया गया है तथा उनके लिये कारखाने खोले गये हैं, आखिर उन्हीं के लिये तो यह कर लगाया जा रहा है? आज आप लोग जो सेठ साहूकारों के हिमायती हैं वे ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मेरा कहना यह है कि गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिये लेकिन जिनके पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी-बड़ी जायदादें हैं, उन पर अलग से टैक्स लगना चाहिये। जनसंघ व स्वतंत्र पार्टी को तो गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उनका सम्पर्क बड़े लोगों से ही है। लेकिन आप के द्वारा सदन से मेरा यह कहना है कि इस विधेयक को पास करने में आप को सहयोग देना चाहिये और इसे शीघ्र से शीघ्र पारित करना चाहिये।

[श्री हरीसिंह]

यहीं तक नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से मुझे आशा थी कि वे तो समाजवाद चाहते ही हैं, वे इसका समर्थन करेंगे । उनका तो यह कहना है कि किराये का मकान हो, खाने का प्रबन्ध होटलों में हो, दवादारू का प्रबन्ध अस्पतालों में हो और जब कोई मर जाय तो उस की चिता का प्रबन्ध गवर्नमेंट करे और रोने के लिये बीमा कम्पनी हो। यदि आप लोगों की मिनिस्टरी हो तो बतला सकते हैं कि वह कौन सी व्यवस्था होगी ? मैं भी समाजवाद को मानने वाला हूं वह होना चाहिये, जब तक इस देश में ऐसी समाज व्यवस्था न होगी आप को लाभ नहीं हो सकता, लेकिन वह तर्क, वह साधन और वह विधि कौन सी है कि जिसके द्वारा आप ऐसी व्यवस्था देश में ला सकें ? वह एक ही विधि है कि देश की उन्नति के लिये कर लगायें और इन सरमायेदारों का पैसा तभी निकलेगा जब आप उन पर गरीबों के लाभ क लिये कर लगावेंगे और उससे गरीबों के लिये मकान, खाने, कपड़े, अस्पताल और शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे । उनके समय के घंटे हों, वह ९–१० घंटे काम करें, बीड़ी भी वह पी सकें। क्या आप ऐसी आशा स्वतंत्र पार्टी से या जनसंघ से कर सकते हैं जो कि सरमायेदारों को साथ लिये हैं और जो महज मजहब और धर्म के नाम पर अपनी सारी दूकान लगाये हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां इस विधेयक के सम्बन्ध में भाषणों की ऐसी परम्परा चल रही है कि विधेयक पर कुछ नहीं कहा जा रहा है और व्यर्थ में ही समय नष्ट हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—वह समाप्त कर रहे हैं। आप शान्त रहें।

श्री हरीसिंह—किसान और मजदूर की हमदर्दी हमें भी है, हम आप से पीछे नहीं हैं, लेकिन आप बेसिर पैर की हवाई बातें क्यों उठाते हैं । जब हम सीलिंग लगाने चले तो आप कहने लगे कि इसको १०० एकड़ करो, उस वक्त आप की किसान की हमदर्दी कहां थी ? हम तो कहते हैं कि वह साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा न हो । कम्युनिस्ट पार्टी तो सरमायेदारी के खिलाफ है उस को तो सब से पहले इसका स्वागत करना चाहिये था, लेकिन इसका यह भी विरोध करते हैं तो हमें दुख होता है, जिनको इसका स्वागत करना चाहिये था वह भी इसकी आज मुखालफत करते हैं । आखिर उन का कोई मयार है, वह किसके ठेकेदार हैं, गरीबों के या सरमाये दारों के या मजदूर के हैं ? किसके हैं ? कुछ सोच समझ कर ही बिल की आलोचना करते—हम इसको न भी लायें, लेकिन वह बतायें कि कौन-सी वह व्यवस्था है, जो वह लाना चाहते हैं, यहां रूस की योजना चलाना चाहते हैं, आप ने केरल में कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जहां टैक्स न लगाया हो और यहां आप टैक्स का विरोध कर रहे हैं, वहां कितनी चीजों पर टैक्स लगा आपने वह पढ़ा नहीं है, आप को ज्ञान ही नहीं तो बहस क्यों करते हो । हम अगर कर लगाते हैं तो किसान के उत्थान के लिये, प्लान भी बनाते हैं । किसी को कष्ट होता है तो हमें भी तकलीफ होती है, हम भी आपस में उस की तकलीफ की बात करते हैं, हमें भी उस का दर्द है । लेकिन जो उसी की भलाई के काम होने हैं उन में आपको रुकावट न डालना चाहिये। उधर माननीय दीपनारायण जी हैं वह भी हरिजनों के और स्वतंत्र पार्टी के सभी ठेकेदार हैं, वह एम० ए० एल-एल० बी० भी हैं और वह महामान्य महामना दीपनारायणसिंह जी हैं उन्हें भी इस बिल का विरोध करना है । अरे जहां गरीब पर कर लगता हो, वहां विरोध करो, लेकिन सरमायेदारों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो ? मालूम यही होता है जैसी सोसायटी में बैठते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है इसलिये स्वतंत्र पार्टी में बैठने से यह असर पड़ गया है । इनके असर में हजारों वर्ष रहे हो जब अंग्रेज थे, लेकिन अब तो उस असर को निकालना चाहिये था। पर नहीं, फसते जा रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी ऐसे ही महान् व्यक्तियों की है जिन्होंने सदा कर लगाया और आज विरोध कर रहे है, किसानों को तंगकर के मालगुजारी लेते रहे, हमारे यहां नंगे सर और पैर किसानों को लटकाते थे, उसके बैल और गाड़ी नीलाम कर लेते थे अपनी मालगुजारी लेने के लिये ।

पर प्रजा समाजवादी दल को तो आदर की दृष्टि से देखता हूं और माननीय मैनेजर सिंह तो मेरे भाई हैं, वह भी इसमें अटक रहे हैं और सरमायेदारों की बात कर रहे हैं, उन्हें तो गरीबों की बात करनी चाहिये। लेकिन गरीबों की आड़ में सरमायेदारों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा प्रजा समाजवादी और समाजवादी दल को हृदय से इस बिल का स्वागत करना चाहिये। जो गरीब लोगों पर टैक्स लग रहा हो उसकी बात जरूर कहनी चाहिये थी।

मैं सरकार से १, २ बात जरूर कहना चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक और सरकार का सम्बन्ध है, सरकार को भलीभांति इसको देखना चाहिये और जो इसमें त्रुटियां हों उन्हें अवश्य दूर करना चाहिये क्योंकि शहरों में भी ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते वह कैसे इस कर को देंगे। जो टैक्स उगाहेंगे उसका भी उचित प्रबन्ध हो ताकि किसी को दिक्कत न हो और यह टैक्स चाहे किरायेदार पर पड़े या मकान मालिक पर पड़े उस का सही उपयोग हो और छोटों पर न लागाया जाय। जो खाली जमीनें पड़ी हैं उन पर टैक्स लगना चाहिये और जो बेचारे किन्हीं कारणों से नहीं बना सके तो उन पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिये क्योंकि अगर पैसा ही होता तो वह मकान बनवा न लेते और उससे अपनी आजिविका चलाते। लेकिन जो अन्यथा मकान नहीं बनाये तो या तो सरकार उससे ले ले और क्वार्टर बनवा दे ताकि सरकार की आमदनी बढ़े या उनको कुछ समय दे कि इतने समय में अगर मकान नहीं बनेगा तो सरकार उसे ले लेगी। वह तो बात सही है क्योंकि मकानों की कमी है। अगर मकान बनेंगे तो टैक्स की अधिक आमदनी होगी। सरकार टैक्स नहीं लगाती है तो सोचने विचारने की बात है। इस पर जरा विचार करके जो उचित हो वह कार्यवाही की जाय। इसमें काश्तकार भी आते हैं ऐसा मेरा खयाल नहीं है। तो यह जो बार-बार काश्तकार और गरीब मजबूर की बात कही जा रही है यह गलत है। कायदे के सुझाव अगर दिये जायें तो सरकार उन पर विचार करेगी। समाजवाद तो एक दिन अवश्य आना है। सरमायेदारी चल नहीं सकती। न जनसंघ रोक सकता है और न स्वतंत्र पार्टी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाय।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सदन के सामने विधेयक उपस्थित है इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये। जहां तक योजनाओं का सवाल है, उन्हें देश में चालू होना चाहिये और टैक्स भी लगाना चाहिये। जब हम यह सोचते हैं कि हम टैक्स क्यों लगा रहें हैं, किस पर लगा रहें हैं और कितना लगा रहे हैं इन तीनों बातों पर जरूर सोचना चाहिये। टैक्स लगाने की चर्चा योजनाओं के नाम से है जिसका कि इस सदन में कोई भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन यह सोचना होगा कि हमारी जो योजनायें है उनमें हम कुछ बचत कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। अगर हम बचत कर सकते हैं तो उस पर गभीरता से सोचना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने योजनाओं की चर्चा करते हुये कहा कि बड़ी फिजूलखर्ची हो रही है और इसकी पुष्टि अभी हमारे प्रदेश के उच्चाधिकारियों की एक मीटिंग हुई लखनऊ में, उनमें से कुछ की राय थी जो कि समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि हम योजनाओं में ५ फीसदी बचा कर दे सकते हैं और सर्वसम्मत राय यह थी कि ढाई फीसदी बचा सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम ५ करोड़ के करीब योजनाओं पर जो उच्चाधिकारी हैं, योजनाओं को चलाने वाले उनकी राय से बचा सकते हैं। इस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये।

दो एक बातें मैं और बचत की बतलाऊंगा। अभी कुछ दिन पूर्व मेरी जानकारी सही है केन्द्रीय सरकार से ढाई करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकार को मिला है योजनाओं को चलाने के लिये जो पहले नहीं था। अभी पिछले दिनों सेल्स टैक्स की दरें बढ़ी हैं जो पहली जुलाई से लगी हैं। १ करोड़ रुपया उनसे सरकार को मिल सकता है और सेल्स टैक्स में जो चोरी है अगर उसमें थोड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

सो सावधानी बरती जाय तो २, ३ करोड़ रुपया उससे सरकार को मिल सकता है। मोटर गाड़ी यात्री कर जो लगेगा १ करोड़ के करीब उससे मिल जायगा। साढ़े ७ करोड़ रुपया ऐसा है शुगर केन सेस का है और पर्चेज टैक्स का है जो वसूल हो सकता है और ९ करोड़ ६४ लाख रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है जिसको सरकार चाहे तो वसूल कर सकती है। इस तरह के ये कुछ आंकड़े मैंने पेश किये जिनको सरकार चाहे तो वसूल कर सकती है और योजनाओं पर खर्च कर सकती है। दूसरा दृष्टिकोण योजनाओं की तरफ हमको देना है। मैं उदाहरण के लिये कहूं। हमारे भाई शरणजी ने फिजूल खर्ची के उस रोज बहुत से उदाहरण दिये। मैं उनकी राय से सहमत हूं। लेकिन मैं उससे भी कुछ और अधिक कहना चाहता हूं। आज जिलों में बी० डी० ओ०, तहसीलदार, सप्लाई अफसर और प्रमुखों को भी सीमेंट का परमिट काटने का अधिकार है। ये चार जिम्मेदार अधिकारी सीमेंट का परमिट काटने पर लगे हुये हैं, लेकिन लोगों को परमिट तो मिलती है मगर सीमेंट नहीं मिलता। ब्लैक से चाहे जितना सीमेंट ले लो। ये इतने बड़े जिम्मेदार अफसर चेकिंग नहीं कर रहे हैं और सीमेंट की पर्ची लेने में किसान और गरीबों को आने जाने में रुपया खर्च करना पड़ता है। आपकी योजनाओं में न सामन्जस्य है न किफायत है और न गवर्नमेंट गंभीरता से सोच रही है।

एक छोटा-सा उदाहरण और भी सुनें। जो माननीय सदस्य जनता से आते हैं वे सब जानते होंगे कि अस्पताल बन गये पर डाक्टर नहीं हैं। कहीं डाक्टर है तो कम्पाउन्डर नहीं है और कहीं कम्पाउन्डर हैं तो दवायें नहीं है। यह १५ वर्ष की योजनाओं का परिणाम है और आप कहते हैं कि टैक्स दो, टैक्स दो। इस तरह की फिजूलखर्ची से आज जनता तबाह हो चुकी है। आज सरकारी कर्मचारियों की फौज बढ़ती चली जा रही है। गांव के लोग उनसे परेशान हो चुके हैं। और फौज किन लोगों की बढ़ायी जा रही है? हुक्म देने वालों की। आखिर में काम का बोझ जा कर पड़ता है लेखपाल, पुलिस कांस्टेबिल, पंचायत सेक्रेटरी, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक और चपरासी जैसे छोटे कर्मचारियों पर। बाकी सरकारी मशीनरी हुक्म देने वालों की है और काम को रोकने वाली है। इसी तरह से टैक्स का बोझ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोटे आदमियों पर पड़ रहा है, मालदारों पर नहीं जा रहा है।

हमारे भाई हरीसिंह जी बहुत जोर से कह रहे थे कि समाजवाद आ रहा है। मैं यह कहता हूं कि समाजवाद एक उलटे रूप में आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस संस्था में इस प्रश्न पर कई बार गौर हुआ है और चंडीगढ़ में मैंने खुद इस सवाल को रखा था कि शहरी जायदाद को आप समाप्त कीजिये। अगर जमीन पर आपने सीलिंग लगायी है तो शहरी सम्पत्ति, कारखानों और बड़े बेतनों पर भी सीलिंग हो। जो हमारे कांग्रेस के लोग थे, सब ने उस वक्त आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में हम इस पर विचार कर रहे हैं, आप इस प्रस्ताव को वापस लें। आज तीसरी योजना चल रही है। जो टैक्स इस विधेयक के द्वारा लग रहा है यह मालिक मकान पर नहीं बल्कि किरायेदारों पर लग रहा है। पंजाब गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को असेम्बली में ले आयी है कि किरायेदारों से किराये का कुछ गुना लेकर उनको मालिक बना दे। उसको केन्द्रीय सरकार ने रोक दिया। मैं नहीं समझता कि समाजवाद किस तरह से आ रहा है। १५ वर्ष की आजादी के बाद यह गम्भीर सवाल हमारे सामने है। यह कांग्रेस की मौत और जिन्दगी का सवाल है, यह कोई मजाक नहीं है। टैक्स लगाते समय गवर्नमेंट को यह सोचना होगा कि आखिर हम समस्याओं का समाधान कितना कर रहे हैं जब हम दौरों पर जाते हैं। इन मालाओं और मान पत्रों ने हमको भरमा दिया। जनता की सही कठिनाइयों को मौके पर नहीं सुनते, यहां की बात तो छोड़ दीजिये, सूबे भर के आदमी यहां आते हैं, लेकिन जब जिलों में दौरा करते हैं तो क्या कोई भी विभाग ऐसा है कि जिसकी चेकिंग होती हो, जिससे जनता को संतोष हो? आज मरने के बाद रिपोर्ट लिखाने में, मुकदमा चलाने में, किसी तरह का काम करने में हमें रुपया खर्च करना पड़ता है। यह हालत हमारी मशीनरी की है और टैक्स बराबर

बढ़ते चले जा रहें हैं। आज रजिस्ट्रेशन के आफिस में जाइये वहां कोई भी रजिस्ट्री बिना रिश्वत के नहीं होती है, सप्लाई के आफिस में रिश्वत ली जाती है, तहसील में ली जाती है और ब्लाक स्तर तक यह बीमारी पहुंच चुकी है। जनता अपनी शक्ति से ज्यादा टैक्स दे रही है और उनके बोझ से कराह रही है और हम सोचने के बजाय हठधर्मी पर अड़ गये हैं। इससे स्वराज्य नहीं चलेगा। स्वराज्य के माने गांधी जी के शब्दों में यह हैं कि कम से कम सरकारी दखल हो, कम से कम कानून हों। आज सब जगह सरकारी दखल है और सरकारी अफसरों की फौज है और गांवों में उनके दांव चलते हैं। आज हुकुम देने वालों की एक बहुत बड़ी फौज बन गई है। हमें सोचना होगा कि किस तरह से हमारी हालत सुधर सकती है। क्या आप सरकारी कर्मचारियों को नौकरी देने के लिये टैक्स लगायेंगे? आपकी दो योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन गांवों की आमदनी कम हुई है। अगर हमारी आमदनी बढ़ती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज लोगों से देश की योजनाओं को चलाने के लिये पेट काटने के लिये कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप राणा प्रताप बनिये और अपने बच्चों को घास की रोटी खिलाइये और फिर देखिये कि हम भामाशाह आपको रुपया देंगे। भामाशाह इस देश में हैं, लेकिन आप तो पहले त्याग कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक उदाहरण याद आता है कि हमारे यहां पंजाब में एक बाबाजी की गद्दी है, वे लोग हाथी पर चढ़कर भीख मांगते हैं और वे बड़े साधन सम्पन्न हैं। उनका चन्दा वसूल होता है, उनके पुरोहित और जजमान बंधे हुये हैं। अगर उनको दान नहीं मिलता तो भस्म करने की दुहाई देते हैं। यह हाल हमारी सरकार का हो रहा है पेट काटने की दुहाई देने वाले आज हवाई जहाजों में घूमते हैं और गरीब जनता से कहते हैं कि पेट काटकर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं लेकिन मेरा दिल दुखता है कि आखिर हो क्या रहा है। आज सुनने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि आज हर चीज पर टैक्स लगाने से जनता कराह उठी है। आज लोग भेष बदलकर रेल गाड़ी में, मोटरों में और सार्वजनिक जगहों पर जाकर देखें कि जनता की क्या हालत है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता के नुमाइन्दों से कहना चाहता हूं और जनता से भी कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। जब कहीं संकटकालीन समय आता है तो वहां की जनता पालिसी के सवाल को अपने नुमाइन्दों को देती है। आज जनता को प्रदेश को चलाने के लिये सुझाव देना चाहिये कि कौन से टैक्सेज हों और कौन से न हों और किस तरह से प्रदेश को तबाही से बचाया जा सकता है। जनता के नुमाइन्दों को यहां पर अपनी स्पष्ट राय देनी चाहिये। आखिर योजनाओं के नाम पर क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बचत कराने की बात बताने की कोशिश की और सावधानी से देखने की कोशिश की। आखिर क्या हो रहा है? मैं प्रार्थना करूंगा और विशेष रूप से हम बहुत दुहाई देते थे कि समाजवाद जब आयेगा जब एक आदमी को बहुत से पेशे करने का हक नहीं होगा। मैं माननीय स्वायत शासन मंत्री जी के इलाके का उदाहरण देता हूं। मोदी जो वहां पर बहुत बड़े आदमी हैं और उस जगह का नाम उनके नाम के ऊपर मोदीनगर है। वे बिस्कुट का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं और साबुन का काम करते हैं और पता नहीं न जाने कितने मिल लगे हुये हैं। इस एक आदमी पर कोई रोक नहीं है। यह किसानों की जमीन सस्ते दाम पर एवजाधर कराके खेती करा रहें हैं। वहां के किसान मेरे पास रोते हुये आये (शेम, शेम) किसानों की जमीन सस्ते दामों पर अवजाधर करवा कर खेती करवा रहें हैं। कुछ तरावा की जमीन बतायी गयी जो सरकारी जमीन है। इतने उद्योग धंधे होने के बाद भी किसानों की जमीन सस्ते दामों पर लेकर उद्योगपति खेती कराता चला जाता है। कल मैं गाजियाबाद में था। वहां किसान जिनकी जमीन ले ली गयी है उनके लिये यह नहीं बताया गया कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। किसानों के चारे खड़े हुये हैं, वह काट नहीं सकते। मवेशियों को खिला नहीं सकते। परसों इस हाउस में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जैसे ही योजना चलेगी, गाजियाबाद के आसपास के कारखाने

[श्री रामचन्द्र विकल]

चलेंगे, वहां के लोगों को स्वाभाविक तौर से फायदा हो जायगा । कारखाना, दस बारह वर्ष में लगेगा और न लगे, कई जगह आपने योजना में जमीन ले लिया, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ । मुरादाबाद की आर्म्स फैक्टरी का मैंने मुआयना किया था । कितनी जमीन अक्वायर कर ली गयी, आज तक कारखाना नहीं लगा । कितनी ही योजनाओं में जमीन ले ली जाती है, लेकिन किसानों के बच्चों के भविष्य का इन्तजाम नहीं किया जाता । हमने यह दुहाई दी थी कि किसान अपनी जमीन का मालिक है । सरकार के जिम्मेदार लोगों ने यह दुहाई दी थी । मैं कल गाजियाबाद के किसानों को नहीं समझा सका कि तुम अपनी जमीन के कैसे मालिक हो । मालिक उसे कहते हैं कि जो अपनी चीज को अपनी मरजी से बेच सके । सरकारी काम के लिये जमीन ली जाय कोई दिक्कत नहीं है, लेकन जमीन अक्वायर करके उद्योगपतियों को दी जाय और किसानों को बरबाद किया जाय तो इसका परिणाम क्या होगा ? कोई दिल वाला आदमी उन किसानों के बीच में नहीं जा सकता । उनके बच्चों के लिये कोई भविष्य नहीं है । एक दफा यह योजना चली कि ऐसे लोगों को नैनीताल में बसा देंगे । लेकिन नैनीताल में भी शायद कोई जमीन नहीं रही होगी । आप उनको बसाने के लिये जमीन नहीं देना चाहते । आप जमीन का मुआवजा देंगे । लेकिन वह कब तय होगा ? जमीन पहले ले ली मुआवजा तय नहीं है । आज उनको विश्वास नहीं है कि कल हम को मुआवजा मिलेगा । जब योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास न हो तो गम्भीरता से सोचने की स्थिति होती है । तो मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों को थोड़ा-सा सोचें, समझें । योजना के लिये टैक्स लगायें, लेकिन योजना के प्रति जनता में आस्था और विश्वास पैदा करें और सरकारी कर्मचारियों को आत्मसंयमी से चेतायें, इसकी जरूरत है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मुझे आपने १५–२० मिनट ही बोलने के लिये समय दिया है, तथापि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने ही समय के अन्दर अपनी बात सदन के समक्ष रखूं । लेकिन मैं आप का आभारी हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह पावसकालीन सत्र इसलिये बुलाया गया है कि एक के बाद दूसरा न मालूम कितना तोपें छूटें और यह तोपें समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद के हित के लिये छूटें । ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप में जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवादी नेताओं ने जो बाद को नाजी के नाम से प्रसिद्ध हुये, समां बांधा था । हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री गुप्ता जी के सूचना मंत्री गोयबिल्स बन कर कल इस सदन में दहाड़ गये हैं । उन्होंने समाजवाद के नाम पर प्राइवेट सेक्टर की तारीफ की और कहा कि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम रुपया न लगायें, उसको प्रोत्साहन न दें, पब्लिक सेक्टर में लगायें तो हमारा काम नहीं चलेगा । मैंने आज तक उसे नहीं समझा । समाजवाद की अनेक पुस्तकें पढ़ी, लेकिन एक नया समाजवाद गांधी जी और उनके सहयोगी हमारे इस प्रदेश में ला रहें हैं जो शायद जवाहरलाल जी के समाजवाद से भी निराला है । क्या भारतवर्ष में मुन्डे-मुन्डे समाजवाद की परिभाषा होगी ? यह कैसा समाजवाद है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पनपता चला जाय, बिड़ला और सिंहानिया पनपें, उनको रुपया दिया जाय, उन पर कर कम लगाया जाय और किसान मजदूरों पर अधिक कर लगाया जाय, कोआपरेटिव सोसाइटियों को प्रोत्साहन न मिले और पब्लिक सेक्टर में काम न हो ? यह परिभाषा मेरी समझ में नहीं आयी । मेरे पुराने दोस्त जो समाजवाद की परिभाषा हमारे साथ पुरानी अंग्रेजी जमाने में जेलों में किया करते थे और इस सदन में कांग्रेसी दल के समाजवाद के प्रमुख प्रवक्ता हैं वह आज सदन में नजर नहीं आते । वे माननीय गोविन्द सहाय जो आज बताते हैं कि यह समाजवाद की परिभाषा किस प्रकार से की जा रही है ? एक अजीब समां है । वह कहते हैं कि टैक्स न लगायें तो हमारी योजनायें कैसे सफल हों ।

रूस का उदाहरण देकर के माननीय बनारसीदास जी ने यहां पर कहा कि रूस में पंचवर्षीय योजनायें चलीं, पहले नुकसान हुआ फिर तरक्की हुई, तो हम भी वैसा ही कर रहें हैं । जरा दोनों की तुलना तो करिये । ७ नवम्बर सन् १९१७ को बोलशेविक क्रान्ति हुई । जरा

किताबें पढ़ लें। ७ नवम्बर, १९१७ से नेप (N. E. P.) पालिसी, न्यू एकोनामिक पालिसी रूस में चली और फिर उसके बाद फाइव ईयर प्लान आया। उसमें क्या हुआ? नेप पालिसी में उन्होंने छोटी छोटी सम्पत्ति वालों को तो रहने दिया था। बड़ी बड़ी सम्पत्ति वालों को कंट्रोल किया था। वह कंट्रोल और नियन्त्रण का युग था और आपने क्या किया? आपने बड़ों बड़ों को पनाह दिया, प्राइवेट सेक्टर में रुपया लगाया, बड़े बड़े आदमियों को बढ़ाया। लेकिन आपने किसी जगह पर कोई पब्लिक की तरफ से बड़ा कारखाना खोला? किसी उद्योग धन्धे का राष्ट्रीयकरण किया? ११ वर्ष योजना काल के हो गये। पहली पंच वर्षीय योजना खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई। आबादी के मामले में आपने सूबे की आबादी हिन्दुस्तान की आबादी के मुकाबिले में कम बढ़ी, लेकिन आज जब कि प्रति व्यक्ति हिन्दुस्तान की आमदनी से इस प्रान्त की प्रति व्यक्ति आय १२ प्वाइन्ट अधिक तो १० वर्ष बाद २० प्वाइन्ट पीछे रह गई है। तो क्या आपकी योजनाएं समाजवाद की योजनायें हैं? अगर समाजवाद यह हो कि समाजवाद का नाम हो और पूंजीवाद का काम हो, तो आप अवश्य एक सफल कलाकार हैं। यह कलाकारी आपने सीखी है। लेकिन यह कलाकारी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। आप समाजवाद का काम भी करिये और समाजवाद का नाम भी रखिये तब आप कामयाब होंगे।

(इस समय ४ बजकर ३३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आप यह टैक्स जो लगाने जा रहे हैं वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार कि जब हिटलर ने आरमी भेजी थी तो उसमें तोपें थीं, टैंक थे, हवाई जहाज थे, उसी प्रकार से आपने भी मोटर गाड़ी यात्री कर के रूप में पहली गाड़ी भेजी। यह परिवहन मंत्री जी के जरिये पहली कर की गाड़ी आयी। यह एक तरीके से रिहर्सल था। इसके बाद शहर के रहने वाले लोगों पर यह भवन कर लगाने का तोप छोड़ा। शहर के मध्यम वर्गीय लोगों पर भी सोचा और छोटे आदमियों पर भी यह कर लगाने को सोचा। यह दूसरी तोप आयी दगी माननीय विचित्र भाई के हाथ से जो गांधी जी के परम अनुयायी और खादी भंडारों के अगुवा हैं। लेकिन गांधीवाद क्या इसी को कहते हैं? गांधी जी ने नमक पर लगे हुये टैक्स पर आन्दोलन छेड़ा था।

दाल में नमक ठीक होता है तो दाल को स्वादिष्ट करता है। लेकिन वही नमक अगर ज्यादा हो जाता है तो उस दाल को आप उठाकर फेंक देते हैं। आपने जो यह टैक्स लगाया वह गरीबों पर भी लगाया। कहीं किसी को छूट नहीं है। गरीब तबके के मकान मालिक को भी छूट नहीं है, उस किरायेदार को भी छूट नहीं है। जो २५ रुपये तक के किराये का मकान रखता है या १० रुपये का या ६ रुपये तक किराये का मकान रखता है। यह अन्धेर खाते का समाजवाद है यानी जो बोझा कर का बड़े आदमी पर पड़ना चाहिये वह उसको छोड़ कर आप छोटे आदमी पर ज्यादा डाल रहे हैं जिसकी तादद ज्यादा है। आपने १० मन के बोझ को, जो बड़ी जगह पर पड़ता और वह उसको सह लेता, उसको आप मरे हुये दम निकलने वाले के ऊपर डाल रहे हैं ताकि वह जल्दी मर जाय। यह आपके समाजवाद की व्याख्या है। यह आपकी दूसरी तोप है।

तीसरी तोप आने वाली बिक्री कर के रूप में जिसकी इत्तिला सूचना मन्त्री ने हमको दे दी है। जोत कर के रूप में एक और आपकी चौथी तोप आने वाली है और न मालूम कितनी तरह की तोपें विधेयक के रूप में आपकी छूटने वाली हैं। यह आपके नेशनल सोशलिज्म की परिभाषा है? यह आपका नेशनल सोशलिज्म क्या है? यह आपका समाजवाद क्या है? एक हिटलर का भी समाजवाद था और उसने क्या नहीं किया? जिस तरह से उसने दूसरे महायुद्ध का सूत्रपात किया था, उसी तरह से इस प्रदेश के अन्दर आप भी एक महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं। दोनों तरफ की आवाज को सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति है। अभी विकल जी बोले। कल या परसों अब्बासी साहब ने खड़े होकर आपके प्रति विद्रोह किया। यही क्रान्तिकारी विद्रोह आज जनता में होने जा रहा है। जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं वही आपके अन्दर बगावत कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष—विषय पर बोलिये।

श्री दीपनारायणसिंह—चूंकि यह मकानों के लिये कर आ रहा है तो मकानों का कर नहीं है बल्कि यह शर हैं। जैसे महाभारत में कौरव पांडवों में लड़ाई हुई थी वैसे ही यह आप करने जा रहे हैं। यह आपके कर शर बन रहे हैं जनता के लिये। मैं यह कह रहा हूं कि उस मर्तबा ११ अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ केवल ७ अक्षौहिणी सेना थी उसी तरह से और उसी अनुपात में आपका दल भी यहां बैठा हुआ है। वहां पर बहुत से भीष्म और द्रोणाचार्य थे तो यहां पर भीष्म और द्रोणाचार्य बहुत से बैठे हुये हैं। जिस प्रकार से दुःशासन द्रोपदी का चीर हरण कर रहा था उसी प्रकार से यहां पर जनता से टैक्स धन चीर की तरह से हरण किया जा रहा है। महाभारत में दुःशासन चीर को खींच रहा था और यहां पर गुप्ता का दुःशासन द्रोपदी रूपी जनता के धन के लिये विधेयकों द्वारा टैक्स रूपी चीर बनकर बराबर खींचता जाता हैं, लेकिन यहां भी भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे इधर और उधर भी बैठे हुये हैं। इतिहास बतलाता है कि वह अत्याचार करने वाला दुर्योधन हार गया था। आपके यहां भी उसी तरह से कुछ दुःशासन नजर आये हैं। कुछ उस तरह से आदमी भीष्म और द्रोणाचार्य के रूप में भी उधर नजर आने लगे हैं। वे हमारे विकल जी के रूप में सामने आ रहे हैं जो इस विधेयक का विरोध करने आये हैं। कल सूचना मन्त्री जी ने जो बात कही थी उस बात को हमें गौर से विचारना है। उन्होंने कहा कि उनका समाजवाद यह है और उस सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया। मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से विशिष्ट रूप से स्पष्टतः एक बार समाजवाद की व्याख्या तो हो जाय। जो समाजवाद आपने रखा है क्या वह पं० जवाहरलाल का समाजवाद? मैंने जवाहरलाल जी की किताब पढ़ी है, लेकिन उसमें समाजवाद का ऐसा अर्थ नहीं है। अगर मोरार जी के समाजवाद को लाना है तो उस समाजवाद की बात करिये और कहिये कि आप मोरार जी के समाजवाद को ला रहे हैं। मोरार जी के समाजवाद से अगर आपके समाजवाद का मतलब है तो साफ उसका नाम पूंजीवाद दीजिये। नाम तो आप रख रहे हैं करोड़ी मल, लेकिन करोड़ी मल के हाथ में एक छदाम भी नहीं दे रहे हैं। तो यह क्या बात है? आप इस तरह की बिडम्बना करके समाजवाद को बदनाम करते हैं। इस समाजवाद पर बहुत से लोग आस्था नहीं रखते हैं। इस समाजवाद के नाम पर आप जनता पर टैक्स लगा रहे हैं। अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो बुद्धू और सुद्धू पर न लगाये। आप गरीब आदमी पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं और ठाकुर हुकुमसिंह पर कम टैक्स लगाना चाहते हैं। वह आठ आना बीघा लगान देते हैं। मैंने यह बात बहराइच जिले की बाबत गजटीयर में देखकर मालूम कर ली है। उनके पास जमीन भी बहुत अधिक है मगर मालगुजारी की दर कम देते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि टैक्स का भार आप बड़े आदमी पर रखिये और छोटे पर उसका भार न होना चाहिये। मैं सुशीला जी के लिये क्या कहूं? वे माननीया सदस्या हैं। बड़े घर की लड़की हैं और बड़े घर में ब्याही हैं और बड़े आदमी के सहारे से इस सदन में आई हैं .....

श्री अध्यक्ष—आप व्यक्तिगत बात नहीं कह सकते।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वे सदस्या हैं। यह आक्षेप नहीं है। मैं यह कह रहा था कि यह टैक्स अलग से बड़े आदमियों पर लगे तो मुनासिब है। आप यह शहर में लगाते हैं तो हो सकता है कि वहां पर कुछ बड़े आदमी होंगे।

आपके सामने अब मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बिना टैक्स के गाड़ी चल नहीं सकती, चाहे वह समाजवाद की गाड़ी हो अथवा पूंजीवाद की, लेकिन टैक्स लगाने के अलावा अगर कोई रास्ता हो तो क्या हम दोनों पक्षों के लोग बैठ कर विचार नहीं कर सकते? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं फतेहपुर जिले से आया हूं। शहर फतेहपुर की २८ हजार की आबादी है, लेकिन उसमें कोई कारखाना आपकी ११ साल की योजना में आज तक नहीं खुला। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ५१ पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें केवल

दो--विजयीपुर और किशनपुर तक ही पक्की सड़क है और बाकी किसी भी पोलिंग स्टेशन तक के लिये १९६६ तक कोई सड़क की योजना भी नहीं है। वहां की कोई चीज यहां नहीं आ सकती। मैंने लिख कर भी दिया तो जबाव मिला कि १९६६ तक के प्रोग्राम में, जो बन चुका है, अब कोई संशोधन नहीं हो सकता। मैंने वहां की परिस्थिति बतायी। मैंने जानना चाहा कि क्या वजह है, क्या आधार है कि कुछ क्षेत्रों के लिये विशेष रुपया दिया गया है ? इलाहाबाद को ज्यादा रुपया दिया गया है उसका आधार क्या है ? फतेहपुर में ७५९ फीसदी लोग खेती करते हैं और बाकी लोग कुली कबाड़ी हैं। मैंने इस के लिये प्रश्न किया था, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया। ११ वर्षों में ११ लाख की आबादी वाले फतेहपुर जिले के लिये १९५० से आजतक न तो कोई कारखाना खोला गया जिसमें वहां के दो चार हजार आदमी खप सकते न और कुछ किया गया है। वहां सड़क बनाने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। जो वहां के पढ़े लिखे लड़के हैं उनको वहां कोई रोजगार भी नहीं मिल सकता। ऐसी जनता से आप कैसे टैक्सेज वसूलने की बात करते हैं ? आप हमसे २५, ५० या १०० रुपया तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमको देना कुछ नहीं चाहते। मैंने दूसरा सवाल रखा था कि तीनों योजनाओं में आपने कितना पया लघु और वृहत उद्योगों के नाम पर दिया है और उसमें से कितना उपयोग में आया, कितने कारखाने खोले गये, कितना काम हुआ, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। इसमें आपको करोड़ों रुपये की बचत होगी।

अगर आप इस तरह से पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं, कुनबापरस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो समाजवाद की क्रान्तिकारी लहरें आपका साथ नहीं देंगी, वे आपको कुचल डालेंगी। समाजवाद एक क्रान्ति की लहर है और दुनिया में एक परिवर्तन लाने वाली लहर है। यह मैं अध्यक्ष महोदय, इसलिये कह रहा हूं कि आप के फेल हो जाने से हो सकता है कि हम फिर यहां न आयें, लेकिन वह ताकतें आप के फेल हो जाने के बाद आयेंगी कि जिनके लिये आप को और हमें, दोनों को दुख होगा। हिटलर हिंडनबर्ग की कब्र पर आया था। हिण्डन बर्ग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम पर पूंजीवाद का आवाहन कर रहा था। उस समय हिटलर आया था। हिटलर के जैसे क्राप्स व थाइसेन थे, उसी तरह से आज गुप्ता मंत्रि मंडल के रामरतन गुप्ता और सिंहानिया हैं। जिस तरह से हिटलर के गोबिल्स थे उसी तरह गुप्ता जी के सूचना मंत्री माननीय बनारसी दास जी हैं। और उसी तरह हिटलर का स्वरूप हमारे गुप्ता जी का है। वही परिस्थिति आज आप उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। यह पं० नेहरू के हाथ मजबूत करने का रास्ता नहीं है। आपने चुनाव नें नेहरू जी के हाथ मजबूत बनाने की बात करके विजय पायी थी। मैं आपका पुराना साथी हूं और आपके साथ आजादी की लड़ाई में लड़ा। आप जरा सोचें और फिजूलखर्ची को बंद करें। आप को चाहिए कि आप बड़ी बड़ी तनख्वाह वालों को हटाइये और छोटी-छोटी तनख्वाह वालों से काम कराइये। आपके शासन में भ्रष्टाचार है, करप्शन है। आज आपके जुडिशियल आफिसर्स भी रिश्वत ले रहे हैं। आज छोटी छोटी नौकरी पाने वालों से भी घूस ले ली जाती है। उस पर भी उनको नौकरी नहीं मिलती। आज आप देखिये कि चकबन्दी में अंधाधुन्ध भ्रष्टाचार फैला है। यदि आपको चकबन्दी से लाभ हो तो उसको आप स्वीकार करिये अन्यथा उसे बंद करिये।

श्री अध्यक्ष--आप विषय पर ही बोलें।

श्री दीपनारायणसिंह--श्रीमन्, मैं सिद्धान्त पर बोल रहा हूं। आप योजनाओं के लिये कर लगाना बन्द करिये। यह धांधले बाजी रोकिये, इससे आपको स्वयं रुपया मिल जायगा। बचत होगी और उसका आप इस्तेमाल अपनी योजनाओं में कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे कर विधेयक लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको चाहिये कि आप कानपुर के बड़ बड़े धनी लोगों के मकानों पर टैक्स लगायें और कर किराया का ५०, १००, २०० प्रतिशत कुछ भी हो। मैं उसका स्वागत करूंगा। आप भ्रष्टाचार को रोकिये और धन बचाइये।

[श्री दीपनारायणसिंह]

अब मैं आपको केन्द्रीय सरकार के जान मथाई के नेतृत्व में बने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाता हूं। उस रिपोर्ट के १९५३–५४ के वाल्यूम एक में पृष्ठ १४७ पर दिया हुआ है—

"Now the most commonly accepted application of the criterian of equity is found in the principle of levying taxes, according to relative ability to pay."

उसमें पेज १५१ पर लिखा है—

"Efficiency in administration and economy in public expenditure which make more effective use of public funds and secure a better return on the investment of tax proceeds and should at least diminish people's unwillingness to suffer an increase in tax burdens."

आपको यह चाहिये कि आप प्रशासन में दक्षता लावें। टैक्स देने की क्षमता के अनुसार ही कर लगावें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आदमी खुद गरीब हो या कर्जदार हो, उस पर भी आप टैक्स लगावें। आपको उस आदमी को छूट देनी चाहिए। इस विधेयक के खंड ३ के उप खंड ४ के (२) –(ख) में दिया हुआ है—

"(ख) यदि भूमि या भवन किराये पर उठा दिया गया हो, तो, यथास्थिति, वार्षिक किराये अथवा मासिक किराये का बारहगुना, जो उस (भूमि या भवन) के लिए स्वामी को देय हो,. . . ."

इस विषय में गौर करने की बात यह है कि वार्षिक अथवा मासिक का बारहगुना। जो इसको पढ़ेगा, वह इसका अर्थ चाहे वार्षिक अथवा मासिक में लगा सकता है। इसमें शब्द किराये लिखा हुआ है किराया नहीं। इससे भ्रम हो सकता है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए यह दोनों से संबंधित है। शब्दावली हिन्दी की यह कही गयी। इसका मतलब है कि यदि २५ रुपया मासिक किराया है तो उसमें १२ से गुणा कीजिये तो ३०० रुपया और फिर उसको १२ से गुणा कीजिये . . . .

श्री अध्यक्ष—खंडों की इस प्रकार से विवेचना और आक्षेप आप नहीं कर सकते।

श्री दीपनारायणसिंह—सिर्फ इसलिए कहा कि क्या लैकुआ (दावे) है। तो इस प्रकार से पूंजीगत आय ३६०० हो गयी और उसका भवन कर १० प्रतिशत हुआ ३६०। उसका मतलब हुआ कि ३० रुपया प्रति मास टैक्स २५ रुपये किराये वाला दे। यह आपकी शब्दावली है। इसीलिए प्रवर समिति में भेजने की बात कही गयी कि शब्दावली दोषपूर्ण है क्योंकि लड़-खड़ाते हुये हृदय से इस क्लेवर को तैयार किया गया तो उसमें गलती हो गयी। अगर वार्षिक लगाते हैं तो ३० रुपया पड़ेगा साल में, वह भी एक महीने के किराये से ज्यादा होगा। तो यह सब रुपया क्या मकान मालिक किरायेदार क्लर्क से वसूल नहीं कर लेगा? आप हाई-स्कूल, इंटर और बी० ए० को सौ, सवा सौ रुपया देते हैं, उसी में से उसका किराया वसूल होता है। आज बाजार में खाना खाने जाते हैं तो सेल्स टैक्स लग जाता है, कपड़े और सीमेंट पर लग जाता है तो जिस प्रकार से कंज्यूमर से सेल्स टैक्स ले रहे हैं उसी प्रकार से किरायेदार के ऊपर जो विकास के नाम पर टैक्स लगा है वह छोटे, गरीब, विधवा, सधवा, रिक्शा, इक्के वाले और बाबू लोग, क्लर्क लोगों पर पड़ेगा। आप २५ रुपये किराये तक छूट दीजिये और इसके ऊपर ज्यादा लगा दीजिये और फिर सदन में रखिये तो शायद हम भी स्वागत करें। मैं उनमें से नहीं हूं जो गलत तरीके से बात कहें। बड़े आदमियों पर टैक्स लगाइये, लेकिन आपने टैक्सेशन अंधाधुन्ध किया है। आपकी लाठी चली तो छोटे पर भी चली, यानी मुल्जिम पर भी और मुस्तगीस पर भी। जिनकी आप रक्षा करना चाहते हैं, जिनके नाम पर विकास कार्य लगाते हैं, योजनाएं लगाना चाहते हैं उनसे भी लेना चाहते हैं।

एक पर्चा मिला कि नगर निर्माण के लिए मध्यम वर्ग के लोगों को कर्जा दे रहे हैं। मैंने देखा कि टाउन और विलेज प्लानर जहां हैं वहां इतनी रिश्वत चल रही है कि रिश्वत देकर कोई भी गलत-सलत काम करा लो। रिश्वत न देने वाला अड़चन में पड़ जाता है, जैसे मुझे भी नाकामी हुई, मैंने एक मामले की कोशिश की। आप ६००० रुपया साढ़े पांच परसेंट पर कर्जा दे रहे हैं, ३२० रुपया साल का ब्याज लगेगा। फतेहपुर जैसे पिछड़े जिले में जिसे आपने फारवर्ड नाम रखा है वहां इतनी रकम से बना ऐसा मकान २०–२५ रुपये से ज्यादा किराये का नहीं उठ सकता। २७–१/२ अथवा ३७ १/२ रुपया मासिक ब्याज में देगा और ३५ रुपया किराये में और फिर आपका यह टैक्स उस पर लगेगा तो क्या वह कर्जा २५ साल में अदा कर सकेगा? आपकी योजनाएं ठीक प्रकार की नहीं हैं, क्योंकि बेढंगे दिमागों से आ रही है। चाहे पिछली सरकार हो या गुप्ता जी की, एक ही दिशा में चल रही हैं। इस लिए दोनों को आप बैठाइये, हम भी बैठें और सही दिमाग से सोचिये। समाजवाद का नाम लेकर पूंजीवाद की ओर मत चलिये। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। मध्यवर्गीय लोगों के जीवन निर्वाह का मूल्यांकन १९४९ में ३५२ था, १९५५ में वह ३९० हुआ। इस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में वह ३८ बढ़ गया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन् १९४६ में जब लड़ाई खत्म हो गयी तब चीजों के भाव क्या थे? उसके बाद से हर चीज की कीमत बढ़ती गयी। आज जो मिडिल क्लास बाबू है, जिसको सौ सवा सौ रुपये वेतन मिलता है वह कैसे गुजर कर सकता है? क्या इस पर आपने कभी ध्यान दिया? मजबूरन उसको रिश्वत लेनी पड़ेगी? रिश्वत की यही जड़ है। आपकी दो योजनाएं पूरी होने के बाद भी मंहगाई नहीं घटी है, वह बढ़ी ही है। अगर आज हर विभाग के लोग अपनी यूनियन बना कर यह मांग करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तो उनकी मांग जायज मांग है क्योंकि आपने नोटों को बढ़ा दिया है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है। आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आप चाइना से लड़ने को कहते हैं। अगर लड़ाई हो गयी तो क्या स्थिति होगी? १ सितम्बर, १९३९ में जब लड़ाई छिड़ी थी तब एक रुपये में १२–१४ सेर का गेहूं बिकता था दो आने सेर शकर बिकती थी। आज क्या हालत है? आपने इस पर कभी विचार किया? जब शान्ति काल में आप कुछ नहीं कर सके तब युद्ध की स्थिति में आप क्या कर पायेंगे? आप कैसे यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी योजनाओं के बाद मंहगाई घटेगी आमदनी बढ़ेगी। आज आमदनी उन्हीं लोगों की बढ़ी है जो बिड़ला जैसे लोग हैं जो लोहे का परमिट लिये हुये हैं जो दियासलाई का कारखाना खोले हुये हैं, जो ब्लेक करते हैं, या जिन पर सरकार की कृपा है, या जो रात भर में कांग्रेसी बन गये हैं। उन्हीं लोगों की आमदनी बढ़ी है। मैंने कल कहा था कि माननीय बनारसीदास जी से कि आप गांधी जी का नाम न लीजिये नहीं तो उनके नाम से भी घृणा होने लगेगी क्योंकि जब 'डेविल कोट्स स्क्रिप्चर्स' शैतान भी बाइबल का उदाहरण देने लगते हैं तब धर्म सूत्रों–बाइबिल का महत्व घट जाता है।

अगर आप समाजवाद की ओर जा रहे हैं तो इन्सान को उठाइये। उस ओर धीरे-धीरे कदम उठाइये। हर विभाग के मंत्री को चाहिये कि वह मितव्ययिता दिखलाये। आपने ब्लाक बनाये हैं, मगर एक ब्लाक १० गज की दूरी पर है दूसरा ३ मील की दूरी पर है। आज एक लुटेरा वर्ग बन गया है। यह टैक्सेशन जिस उद्देश्य से आपने लगाया है वह मिडिल क्लास को मारने वाला है, किसान और मजदूर को मारने वाला है। आप उनकी सूखी हड्डियों से खून निकालना चाहते हैं। जिनमें चर्बी भरी हुई है, उनसे आप टैक्स लीजिये। तभी हम कहेंगे कि जब आपकी यह तलवार बिड़ला और सिंघानिया जैसे लोगों पर चलेगी, तभी हम कहेंगे कि आप समाजवाद की ओर जा रहे हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूं। किन्तु पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिये, समाजवाद के नाम पर, आप इन करों को गरीब जनता पर न लगाइये। ठहर जाइये। सोच लीजिये। इस विधेयक के पीछे जो आपका सिद्धान्त है वह दूषित है। इसे वापस लेकर ठीक कीजिये। मध्यम वर्ग के लोगों को मुक्ति देते हुए आज दूसरा बिल लाइये ताकि उसका दोनों ओर से स्वागत हो।

[श्री दीपनारायणसिंह]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध करता हूं।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से इस विधेयक के सम्बन्ध में वादविवाद सुनने का मुझे सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यह नहीं समझ सका कि जब से इस असेम्बली का अधिवेशन आरम्भ हुआ, गवर्नर के एड्रैस से लेकर, यहां आलोचनाओं की झड़ी सी लग गई है। आलोचनायें सुन्दर होती हैं, उनका सुनना बहुत सुखद होता है, लेकिन उनके पीछे कोई व्यावहारिक बात होनी चाहिये। हमें देश का निर्माण करना है, उसे प्रगतिशील बना कर उस पंक्ति में खड़ा करना है जहां सभ्य संसार पहुंच गया है। यदि हम वहां नहीं पहुंचते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यह भी सत्य है कि उस पंक्ति में पहुंचने के लिए रुपये की आवश्यकता है। बिना रुपये के काम नहीं हो सकता। रुपया आ सकता है करों के द्वारा। कुछ स्पीचेज में केवल यही मांग की गई है कि फलां देहात में सड़क नहीं है, फलां शहर में शफाखाना नहीं है और फलां जगह स्कूल नहीं है। तो एक तरफ तो ये मांगें हैं कि योजनायें लाकर देश की काया पलट दो और दूसरी तरफ जब रुपये के लिये टैक्स का मेजर आता है तो कस कर उसका विरोध किया जाता है। इस सीधे सादे बिल पर विवेचना की गई है। उसे दार्शनिक रूप दिया गया है। ऐसी बातें भी कही गईं जिनका इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। बहुत सी बातें व्यक्तिगत भी कह दी गई हैं। मैं पूछूंगा कि क्या हमारे विरोधी पक्ष के लोगों के पास कोई ऐसा विकल्प है कि बिना रुपया इकट्ठा किये वह देश को प्रगति के पथ पर चलाकर उच्च कोटि की पंक्ति में खड़ा कर दें। इस विधेयक की मंशा केवल यही है कि शहरों में रहने वाले व्यक्तियों से जो किराये की आमदनी रखते हैं, जो उनके मकान की हैसियत है, उस पर हम थोड़ा सा टैक्स लगा कर देश की योजनाओं में उनका भी हिस्सा लें। यदि आप कांग्रेस सरकार की कर नीति को देखें तो बड़े संतुलित ढंग से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके पीछे कुछ सिद्धान्त हैं, एक मनोवृत्ति है और वह मनोवृत्ति इस प्रकार की है कि देश और हमारे प्रदेश आगे बढ़ें। हमारी कर-नीति स्पष्ट है कि जो देने लायक हैं उनसे हम ज्यादा लेते हैं। जो देने लायक नहीं हैं उनसे बहुत कम लेते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि देश आगे बढ़ा रहा है। यदि हम इसके लिये रूपये मांगते हैं तो कौनसा जघन्य पाप करते हैं? विरोधी पक्ष के भाषणों से ऐसा लगता है कि बड़ा अनर्थ किया जा रहा है जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। डाक्टर रोगी के फोड़े को चीर कर ठीक करना चाहता है, रोगी चिल्लाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रोगी का फोड़ा निकाल कर उसे स्वस्थ कर दें। इसके पीछे बहुत सी बातें की गई हैं। बहुत सी बातें इस तरह की की गई हैं कि कर लगाने की जो हमारी पुरानी नीति है उसका भी यहां जिक्र कर दिया गया है।

कल एक महाशय ने यह बतलाया था कि कालीदास ने अपने किसी ग्रन्थ में कर लगाने की नीति की विवेचना की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सूरज गर्मी की ऋतु में अपनी किरणों के द्वारा जल को खींचता है और पावस आने पर बादल बन कर सारे समाज को देकर सुखी बनाता है, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि उनकी जो व्याख्या थी वह सही व्याख्या है और हमारी कांग्रेसी सरकार की कर नीति ठीक इसी प्रकार की है। आज जो पैसा बड़े आदमियों से लिया जाता है वह गरीबों पर खर्च किया जाता है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वे जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि कोई भी देश बगैर किसी योजना के समृद्धिशाली हो सकता है? आज संसार में जिस देश ने प्रगति की है, आज जो देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा है और आज चोटी पर पहुंचा हुआ है, उनके यदि इतिहास का सिंहावलोकन किया जाय तो यह नियोजन ही है जहां सभी योजनायें बनायी जाती हैं। उन देशों ने समृद्धिशाली बनने के लिये बड़ा आत्म संयम किया है, बड़ा ही मनोनिग्रह किया है, बड़ा कष्ट सहन किया है। रूस के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई आदमी दो तीन जोड़े कपड़े नहीं रखता था, जूते नहीं रखता था, उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने साधन थे वे सब निर्माण में लगा दिये गये थे और तब जाकर आज वह एक उच्च कोटि का देश बन सका है। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—माननीय, शहरों की भूमि और भवन कर विधेयक के ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि कही हुई बातों को न कहूं और ५—६ मिनट में ही अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। लेकिन माननीय मंत्री जी से इतना मैं जरूर चाहूंगा कि वे इस विधेयक के ऊपर विरोधियों द्वारा और हम लोगों के सौभाग्य से उनके अपने पक्ष के लोगों द्वारा दिये हुए सुझावों पर ध्यान देने की जरूर कोशिश करें। कांग्रेस पक्ष के वक्ताओं की बातों से ऐसा मालूम होता है जैसे हम योजनाओं को नहीं चाहते हैं और इसीलिये योजना के लिये पैसे जुटाने की बात का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज कल के वैज्ञानिक युग में जब जन संख्या बढ़ रही है, मनुष्य की आवश्यकतायें बढ़ गयी हैं, समस्यायें बढ़ गयी हैं, तो योजना और उस पर होने वाले खर्च का कोई विरोध नहीं करेगा। यह तो एक लड़कपन की सी बात होगी यदि इसका विरोध किया जाय। योजना के लिये पैसे जुटाने चाहिये, लेकिन अब सवाल यह है कि इस चाहिये के नाम पर बिलकुल न चाहिये का काम हुआ करता है। पैसे किससे लिये जाने चाहिये? आज हमारे देश की सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि दो पैसे की दवा के अभाव में घरों के चिराग गुल होते हैं। आज पैसे की कमी से होनहार लड़के किताब, कागज व फीस के बिना पढ़ाई छोड़ कर अपनी जिन्दगी बर्बाद करने पर विवश हो रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में सरकार जो पैसा ले रही है कर के रूप में, जनता का कोई यकीन नहीं है कि उसके पैसे का सदुपयोग हो सकेगा। इसको मैं प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि पूर्व वक्ता विकल जी ने कहा है कि हमारी योजना चल रही है पर शासन के कर्मचारी हुक्म देने वाले ही अधिक हैं काम करने वाले तो नीचे के असहाय थोड़े से कर्मचारी होते हैं। बड़े कर्मचारी अपनी अफसरी शान में आकर पैसे को बर्बाद करते हैं। मुझे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भयंकर विफलता की एक बात इस समय याद आगयी। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २२ करोड़ ८६ लाख रुपये खर्च नहीं किये जा सके। एक ओर जिनसे रुपया लिया जा रहा है वे अधिकांश अधमरे हो चुके हैं और दूसरी ओर इन हुक्म चलाने वाले अफसरों की नालायकी और उनकी अफिसरी शान के कारण से ये रुपये ठीक ढंग से खर्च नहीं हो पाते। कहने के लिये बहाना होगा कि रुपया खर्च नहीं हुआ, बच गया है दूसरी बार खर्च होगा, लेकिन अगर यह खर्च हो गया होता तो पूंजी विनियोग से होने वाले लाभ हम को मिलते। इस नुकसान का क्या जवाब है? जिन से रुपया लिया जा रहा है वे देने के लायक नहीं हैं और जो ले रहे हैं वे लेने के लायक नहीं हैं। जब तीसरी योजना के नतीजे सामने आयेंगे तो जो रुपया आज लोगों की कमर तोड़ कर लिया जा रहा है और लोग पेट काट कर देने को विवश होंगे उसके खर्च के सिलसिले में यह निश्चय है कि आखिर में चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रतिवेदन में लिखा जायगा कि इतना रुपया दुख है कि व्यय नहीं किया जा सका।

जहां तक योजना की बात है कौन ऐसा है कि जो प्रगति की योजनाओं को पसन्द नहीं करेगा, इसके लिये रुपया हमको देना होगा, रुपया कोई आकाश से नहीं बरसेगा, लेकिन उसको जिस तरीके से लेने की कोशिश है, उस के औचित्य पर हमें विरोध है। आप योजना के नाम पर जो चाहें करें और उसका औचित्य सिद्ध करें इसका विरोध है। मुझे दुख हैकि जब हम बोलते हैं तो उधर मंत्री लोग बातें करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में बाद में फिर वे हमारे विरोध का क्या जवाब दे सकते हैं? वे जो बाद में उत्तर देते हैं वह तो रटी रटाई और बनी बनाई बात यहां पर दोहरा देते हैं और व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। आप योजना और निर्माण की बातें बहुत करते हैं मैं आप से पूछता हूं कि क्या अंग्रेजों के जमाने में यहां विकास के कार्य नहीं हुये, सारे देश में क्या रेलों और सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया, क्या अस्पताल नहीं खोले गये, क्या स्कूल कालेज और विश्वविद्यालय नहीं बनाये गये? क्या उन पर उस सरकार का पैसा नहीं लगा? उस अंग्रेज सरकार की तारीफ करते हुये आज मेरे स्वाभिमान को ठेस लग रही है, लेकिन मैं

[श्री रघुनाथसिंह]

यह कहने में विवश हूं। जब देश गुलाम था तो कहा जाता था कि अंग्रेज इस सोने की चिड़िया भारत को अपने कब्जे में किये हैं और यहां के धन से समृद्धिशाली बने हुए हैं अंग्रेजों ने इस देश का खूब शोषण किया, फिर भी अगर हम देखें तो उनके जितने निर्माण के काम हुये हैं उतने शायद अभी तक हम अपनी योजनाओं के द्वारा नहीं कर सके हैं। लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से हमारे खेतों और मकानों पर नये कर नहीं लगाये। उन्होंने इस्तमरारी बन्दोबस्त कराया और बहुत कम लगान निर्धारित किया था। असामियों को खेत का स्वामी बनाने के नाम पर हमारी सरकार ने इस जनप्रतिनिधि सरकार ने उनका भी नया रेट लगा कर लगान की दर बढ़ा दी, दस गुना और १५ गुना वसूल करके भूमिधरी का अधिकार दिया और अब बराबर नगरों में, देहात में जहां मौका मिलता है टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। सरकार कहती है कि देश में हमें दूध की नदियां बहानी हैं और खुशहाली लानी है। इस प्रकार भविष्य के सुखद स्वप्न जनता को दिखा कर धोखे में डाल रहे हैं। जो खुशहाली दो योजनाओं से हुई वह तो हमारे सामने आ चुकी और आगे तीसरी योजना का क्या फल होगा वह हम अभी कह नहीं सकते। जो परेशानी जनता को इस योजना के लिए कर भार से होगी वह तो है ही साथ ही कर बढ़ाने वाले इन विधायकों से भ्रष्टाचार बढ़ेगा उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अभी कल हमें एक पर्चा मिला है उसमें स्वीकार किया गया है कि कर निर्धारण में ५ वर्ष में ५० लाख रुपए का व्यय होगा और आगे और कहा गया है कि कुछ व्यय यात्रा भत्तों और अधीक्षण सम्बन्धी मदों पर भी होगा। तीसरी बात कही गयी कि कर की वसूली पर प्रतिवर्ष १० लाख रु० की धनराशि व्यय करनी होगी इस प्रकार १० लाख रुपया प्रति वर्ष कर निर्धारण करने में १०लाख रु० प्रति वर्ष कर की वसूली में खर्च करना होगा। यात्रिक और अधीक्षण सम्बन्धी खर्चे छोड़ दें तो २० लाख रु० प्रति वर्ष के हिसाब से ५ साल में १ करोड़ रु० तो कर निर्धारण और उसकी वसूली में खर्च हो जायगा। यह कहां की बुद्धिमत्ता है। इस १ करोड़ रुपये के धन को बचाने की सूरत निकालनी चाहिये। आप स्वायत्त शासन संस्थाओं को अनुदान देते हैं तब यदि आप अपनी योजना के लिये नगर के भवन और भूमि पर कर लगा रहे हैं और लगायेंगे ही। तो इससे अच्छा यही है कि आप स्वायत्त शासन संस्थाओं से बात कर लें और जो अनुदान उनको देते हैं वह बन्द कर दें और उस कमी को वे नए करों को वसूल करके पूरा करें जो वे स्थानीय होने के कारण अच्छे ढंग से कर सकेंगी और नए ढंग का भ्रष्टाचार न हो पावेगा। भवनों के मूल्यांकन में होने वाले भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दूं।

हिन्दूयूनिवर्सिटी में हमारे एक मित्र प्रोफ़ेसर हैं उन्होंने मकान बनवाया। मैं उनको बधाई देने गया कि काशी में आपका अपना मकान हो गया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी इस बात को सुन कर मेरी प्रसन्नता के भीतर मेरे हृदय का दुःख उमड़ आया। नया मकान बना लेने के बाद इसके मूल्यांकन के सिलसिले में मूल्यांकन विभाग के मामूली अधिकारियों से मुझे जिस प्रकार से गिड़गिड़ाना पड़ा, जो खर्च करना पड़ा, मैं सच कह रहा हूं उससे मेरे स्वाभिमान को बड़ी ठेस लगी। इससे तो अच्छा यही था किराये के मकान में रहते।

राज्य के शहरों और कस्बों में कुल १०.४ लाख भवनों की संख्या है जिन पर कर निर्धारण होगा। जो कर निर्धारण करेंगे वे कर्मचारी किस प्रकार से इन लोगों से पेश आयेंगे और क्या क्या गुल खिलेंगे, कौन नहीं जानता। जो भ्रष्टाचार होगा इसकी ओर भी ध्यान दिया जाय। प्रस्तुत विधेयक से २ करोड़ रुपया लिया जायगा जिसमें से १ करोड़ उसके वसूल करने की व्यवस्था में खर्च होगा और ऊपर से भ्रष्टाचार होगा तो वही मसल चरितार्थ होगी कि ९ की लकड़ी और ९० खर्च। सब जानते हैं शहर में बिजली की दर बढ़ रही है, हाउस और वाटर टैक्स अलग बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से समय-समय पर मकान मालिकों ने किरायेदारों पर किराया बढ़ाया क्योंकि मकान मालिक अपनी गांठ से कहां तक दे सकेगा? मकान किराया की वृद्धि को लेकर दोनों के इतने अप्रिय सम्बन्ध रहते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। अब एक यह परेशानी योजना के नाम पर प्रस्तुत विधेयक से फिर आने वाली है, सरकार मकान मालिक और

किरायेदार में नया झगड़ा कराने जा रही है। शहरों में रोजगार की इतनी मन्दी पड़ गयी है कि जनता की जिन्दगी दूभर हो गयी है, मामूली टीन के और कच्चे मकानों में रहने वाले लोग जिनके यहां फुटपाथ पर भले ही कोई रह ले, किरायेदार नहीं रहना पसन्द करेगा, इस नए कर भार से मर जावेंगे। मकान मालिकों पर यह टैक्स लगेगा जिनका कोई रोजगार नहीं, जिन्हें पेट, पर्दा के लाले पड़े रहते हैं और यह सब किया जायगा योजना के नाम पर। अब एक बात मुझे और कहनी है और वह यह कि इस भूमि और भवन कर विधेयक में भूमि शब्द बड़ा खटकने वाला है। भूमि के सम्बन्ध में देहातों में चकबन्दी जब की जाती है तो बड़ी दिक़्क़त होती है।

श्री अध्यक्ष---इसमें व्याख्या दी हुई है कि कौन सी भूमि पर कर लगेगा।

श्री रघुनाथसिंह---मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कस्बों और बड़े शहरों के नक्शे ठीक से नहीं बने हैं जब उनके अन्तर्गत की भूमि के ऊपर कर लगेगा तो इससे भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक नई समस्या उठ खड़ी होगी। जिनके पास थोड़ी भूमि है और गरीबी के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं उसका मूल्यांकन करने में कठिनाई होगी। भूमि के मालिक अफसरों के भ्रष्टाचार के शिकार होंगे इस दृष्टि से मैं यह नहीं कहूंगा कि कर न लगे, लेकिन कर लगाते समय इन सारी परेशानियों को सोचा जाय और सुझावों पर ध्यान रख कर सरकार ठंडे दिल से व्यवस्था करें ताकि भ्रष्टाचारी अफसरों द्वारा गरीब आदमी की जिन्दगी विवशता से भरी हुई न हो जाय। कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाय जिसमें सरकार का काम ठीक तरह से चले पर साथ ही उस कार्य का औचित्य सिद्ध हो और जिनके ऊपर कर लगे उनको जीने का अवसर मिल सके।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो मैं आज नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हमारे पक्ष के एक माननीय सदस्य ने (विकल जी) कुछ ऐसे विचार यहां रखे कि मुझे बाध्य हो कर अपने विचार यहां रखने पड़े। आश्चर्य इस बात का होता है कि इस तरफ के बैठने वाले हमारी जो योजना के मूलभूत सिद्धान्त हैं उनकी आलोचना करते हैं। आज हम प्लानिंग के जरिये जो उन्नति करना चाहते हैं, उसमें उनको कुछ सामंजस्य ही दिखाई नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि टैक्स बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो तीसरी पंच वर्षीय योजना की पुस्तिका निकली है, उसमें साफ़ साफ़ लिखा है कि हमारे क्या-क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या उनको उन्होंने नहीं पढ़ा है ? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वगैर उसे पढ़े उन्होंने दिल्ली तक टिकट के लिये क्यों दौड़ लगाई ? उनका पोलिटिकल करेक्टर मेरी समझ में नहीं आता। क्या जनता के सामने यह धोखेबाजी नहीं है ?

श्री राधेश्याम शर्मा---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य बिलकुल एक व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री रामप्यारे---उधर के जो बैठने वाले हैं बार-बार यह शिकायत करते हैं कि यह कांग्रेस की समाजवाद की व्यवस्था कैसी है ? मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह समाजवाद की व्यवस्था ऐसी है कि धनी और गरीब वर्ग के बीच जो खाई है इसे हम मिटाना चाहते हैं। हम सब को मौक़ा देना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व को विकास करने का। आप ने देखा कि एक सोशलिस्टिक पेटर्न आफ़ सोसाइटी को कायम करने के लिये कांग्रेस ने स्टेट्स को, जमींदारी तथा ताल्लुक़दारियों को ख़त्म किया। आज गांव में बड़े-बड़े ज़मींदार कहते हैं कि उनको हलवाहे नहीं मिल रहे हैं। इसलिये नहीं मिल रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आज एक ग़रीब आदमी को हमारी व्यवस्था में यह आशा दिखाई दे रही है कि उसका भी अच्छा रहन-सहन होगा उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होगा, स्तर उठेगा। परन्तु धनी वर्ग को आशंका है कि कहीं उसका आर्थिक स्तर गिर न जाय। उसे भविष्य अंधकार मय दिखाई दे रहा है।

जो स्वतंत्र पार्टी के लोग हैं वे योजना में विश्वास ही नहीं करते। हमारी व्यवस्था तो गरीबी को दूर करने के एक ऐसे समाज की रचना करना चाहती है, जिसमें सब को समान अवसर मिले। बहुत से लोगों ने कहा कि १५ साल के समय में देश और प्रदेश की कोई तरक्की नहीं

[श्री रामप्यारे]

हुई। मुझे आश्चर्य होता है। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो बहुत ही बैकवर्ड है और आदिवासी इलाका है। वहां के १५ साल पहले और आज के नक्शे को जब मैं देखता हूं तो बड़ा अन्तर पाता हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमारी सब समस्यायें हल हो गयी हैं, हम बहुत प्रगति कर गये हैं, लेकिन इतना कहने को जरूर तैयार हूं कि उनके रहन-सहन और उनकी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य हुआ है।

श्री राधेश्याम शर्मा—व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक तो यह है कि नगरों के भवनों पर कर लगना चाहिये या नहीं। आदिवासी क्षेत्र और दुनियां भर की बातों से क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष—श्री रामप्यारे कृपया विषय पर ही बोलिए।

श्री रामप्यारे—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बहस सुनता रहा हूं। विरोधी पक्ष की ओर से जो बजट भाषण और गवर्नर की स्पीच के अवसर पर बातें कही गयी थीं उन्हीं को दोहराया गया है। इसलिये मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। विरोधी पक्ष वालों का सदा से यह कहना रहा है कि गांव वालों पर बहुत टैक्स लगता जा रहा है। आज जब शासन ने एक ऐसा बिल रखा, जिससे शहर वालों पर टैक्स लगता है तो वे इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार विरोधियों का केवल विरोध करना ही उद्देश्य हो गया है।

विरोधी कहते हैं कि पर कैपिटा इन्कम कम होती जा रही है। लेकिन जरा इसके कारणों को भी तो देखें। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लोगों ने कितना त्याग किया ? प्रति व्यक्ति ३३.५ रुपया इस प्रदेश में खर्च किया गया जबकि दूसरे प्रदेशों में इससे कहीं अधिक रुपया खर्च किया गया। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो लाभ कैसे उठायेंगे ? मैं यह नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में गरीबी नहीं रह गयी। गरीबी है, लेकिन मेरा कहना तो केवल यह है कि गरीबी से निकलने के लिये कौन सा रास्ता हम अपनाना चाहते हैं उसी के लिये हमने योजना बनायी है।

श्री अध्यक्ष—जरा टैक्स पर भी बोल दीजिये।

श्री रामप्यारे—मैं देखता हूं कि उधर बैठने वाले जो प्रमुख नेता हैं वे अधिकतर पूर्वी जिलों के हैं और उनको भलीभांति मालूम है कि इन १५ साल के अन्दर पूर्वी जिलों में क्या हालत हुई, कभी बाढ़, कभी सूखा। देश की आमदनी कैसे बढ़ेगी, नेचुरल कैलामिटीज हैं। हमने काफी रुपया ऐसे जिलों पर खर्च किया है जोकि डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं देते। लेकिन हम एक बेसिस बना रहे हैं और बेसिस बन जाने के बाद हमारी आर्थिक दशा स्वयं ठीक हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया, अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
६ सितम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तराँकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६३ पर)

विलीन काशी राज्य के कर्मचारियों की विभागानुसार सूची (जिसका जिक्र श्री गया प्रसाद के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में किया गया है)

क्रम-संख्या	नाम विभाग	संख्या कर्मचारी
१	२	३
१	माल विभाग	१९९
२	आबकारी विभाग	१०
३	कृषि विभाग	८
४	न्याय विभाग	४४
५	स्वास्थ्य विभाग	१
६	पंचायती राज्य विभाग	३
७	गृह विभाग एवं प्रान्तीय रक्षक दल	२४२
८	शिक्षा विभाग	१७६
९	सहकारिता विभाग	१
१०	सिंचाई विभाग	२९
११	स्वायत्त शासन विभाग	१
१२	खाद्य तथा रसद विभाग	२
१३	वन विभाग	४५
१४	उद्योग विभाग	९
१५	नियोजन विभाग	११
१६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७
१७	चकबन्दी विभाग	२
१८	सचिवालय प्रशासन विभाग	३
१९	वित्त विभाग	३
२०	पशु पालन विभाग	२७
२१	यातायात विभाग	४
	योग	८२७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६८ पर)

तालिका

३१–७–६२ तक देवरिया जिले के सेवरही मिल पर गन्ने के मूल्य, टैक्स व कमीशन के रूप में बकाया रकम का विवरण

	लाख रु० में
गन्ने का मूल्य	२१.३८
सोसाइटी कमीशन	१.०२
केन सेस पर्चेज़ टैक्स	१०.०२*

*टिप्पणी––इसमें अगस्त व सितम्बर में देय किस्तों की रकम सम्मिलित नहीं है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७० पर)

जिला झांसी

जिला झांसी, बबीना, तालबहेट, बाँसी, ललितपुर, हन्सरी ग्रिड, चिरगाँव, मोठ, समयार, बरूआसागर, मऊरानीपुर, रानीपुर ।

जिला जालौन

जालौन, कोंच, उमरी, कालपी, उरई ।

जिला बांदा

बाँदा, महाकर, अर्टरा, कुर्राही, ओरन, विसन्डा, करवी, चित्रकूट धाम ।

जिला हमीरपुर

हमीरपुर, करारा, चरखारी, महोबा, सुपा, कलपहार, मौदहा, कवराई, गोहराई, मुस्किरा, इंगेठा, बारूसमेरपुर, रथप, खरेला, गहरोली ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७४ पर)

सूची

फर्रुखाबाद के लघुऔद्योगिक आस्थान चलाये जाने वाले कतिपय उद्योगों के नाम

१—जिप फास्टनर्स (zip fastners)
२—प्रेस तथा नाइलान के बटन
३—ताले
४—नाप जोख तथा गणित संबंधी यंत्र
५—सिलाई की मशी तथा पुर्जे
६—काँच के खिलौने
७—लेम्पस तथा बल्ब्स
८—साइकिल के पहिये की तीली तथा फ़्रीव्हील इत्यादि
९—रेफ्रीजिरेटर तथा उसके पुर्जे
१०—लोहे के मापक यंत्र
११—गन्ना पेरने की चर्खी
१२—कागज बनाना
१३—फाउनटेन पेन बनाना
१४—स्लेट की पेन्सिल
१५—बिजली का सामान
१६—डिजल आयल इंजन तथा उसके पुर्जे
१७—खेल कूद का सामान
१८—सेफ्टी रेजर
१९—चित्रकारी का सामान
२०—टीन की बाल्टियाँ
२१—आलपीन
२२—बारबेड वायर
२३—मिट्टी के तेल से जलने वाले चूल्हे (stoves)
२४—छाते की छड़ियाँ (Handles)
२५—सिगरेट लाइटर
२६—खेती तथा बागबानी के औजार
२७—बैट्री बनाना
२८—बिजली के सामान तथा बिजली के पंखे
२९—पोलीथीन के थैले
३०—वार्निश बनाना
३१—नाइट्रीक एसिड बनाना
३२—प्लास्टिक के खिलौने
३३—चमड़े का सामान
३४—फलों का संरक्षण
३५—जूतों की पालिश बनाना
३६—दिया सलाइयाँ
३७—कपूर बनाना ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७६ पर)

विवरण—पत्र

तारीख २६–२–६२ को थाना कासिमपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुमारी लोंगश्री पुत्री कल्लू तमोली उम्र ११, १२ साल २४–२–६२ से लापता है। कुमारी लोंगश्री के शरीर पर १५० रुपये के जेवर व कपड़े मौजूद थे। तारीख २४–२–६२ को कुमारी लोंगश्री जंगल में चारा काटने गई थी और शाम को वापिस नहीं आई। इस सूचना पर कासिमपुर पुलिस के एक अधिकारी ने मौके पर जाकर जाँच की और कुमारी लोंगश्री के शव को श्री शिवरतन पासी के अरहर के खेत में से बरामद किया। पोस्ट मार्टम परीक्षा से ज्ञात हुआ कि कुमारी लोंगश्री की मृत्यु गला घोंटने से हुई है। जांच से श्रीमती चिरोंती पासी चौंधी पासी व शिवराम अहीर इस अपराध के लिये उत्तरदायी पाये गये और चौंघी पासी व शिवराम अहीर के विरुद्ध केस न्यायालय भेजा जा चुका है। श्रीमती चिरोंती पासी अब तक भागी हुई थी उनको कानपुर पुलिस द्वारा ६–८–६२ को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके विरुद्ध भी चार्जशीट शीघ्र ही न्यायालय भेजी जावेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८३ पर)

घटना का विवरण

दिनांक २६-५-६२ को बुद्धू पहलवान धारा १४७/१४८/४२७/३२३ भारतीय दंड विधान के एक मुकदमें, में जिसमें कुछ विद्यार्थी अपराधी थे, पैरवी के सिलसिले में कचहरी आया था। बुद्धू पहलवान इस मुकदमें में अपराधी विद्यार्थियों से संबंधित था व दिलचस्पी रखता था। लगभग १.३० बजे दिन के समय दूसरे दल के जीवन कौल, प्रकाश मोहन पाठक, बालगोविन्द, रमेशचन्द्र खन्ना तथा सैयद मोहम्मद सफी अली वहाँ आये जीवन कौल ने बुद्धू पहलवान को मुकदमें की पैरवी करने के लिये बुरा भला कहा। इस पर कुछ कहा सुनी और ढेले बाजी हुई। जीवन कौल ने चाकू निकालकर बुद्धू पहलवान को भोंक दिया और चाकू खून से सना वहीं छोड़कर भाग गया। उसके शेष चारों साथी घटनास्थल पर ही पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८५ पर)

मुख्य-मुख्य मांगों की सूची

१—बिजली के कर्मचारियों पर ग्रेचुयेटी स्कीम को लागू करना,

२—बिजली उद्योग के लिये वेतन मंडल की स्थापना,

३—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १६४७ में संशोधन,

४—आचार संहिता का मान (Respect for the code of Discipline) हो,

५—प्रतिष्ठान के प्रबन्ध में श्रमिकों को हिस्सा मिले, तथा

६—स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा लिये गये बिजली कारखानों के श्रमिकों की नौकरी की दशाओं में कोई हानिकर परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५--६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८६ पर)

तालिका

१—कम्पनी का नाम जिसको कर्जा दिया गया		सर्वश्री लक्ष्मी रतन इन्जीनियरिंग वर्क्स लि०, कानपुर ।
२—कर्जे की धनराशि	..	५० लाख रुपये ।
३—कर्जे की तिथि	..	२२ मार्च, १९५६ ।
४—कर्जे की अवधि	..	१२ वर्ष ।
५—ब्याज की दर	..	(१) ५ प्रतिशत वार्षिक, (२) ६ प्रतिशत वार्षिक (दण्डनीय) ।
६—कर्जे का उद्देश्य	..	कानपुर में टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स फैक्टरी की स्थापना ।
७—कर्जे का उपयोग निश्चित उद्देश्य हेतु हो गया या नहीं ?	..	हो गया ।
८—कर्जे की किश्तों की धनराशि जो कम्पनी को २८-३-६२ तक भुगतान कर देनी थी ।		३३,९९,४९५ रु०
९—कम्पनी तथा उसके बैंकर्स से जो धनराशि सरकार को २८-३-६२ तक वापस मिली ।		१३,१३,४९० रु०
१०—२८-३-६२ तक वाजिब किस्तों में से अवशिष्ट धनराशि ।		२०,८६,००५ रु०
११—२८-३-६२ तक वाजिब दण्डनीय ब्याज		१,७९,०५९.८१ न० पै०

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११०० पर)

तालिका

३१ जुलाई, १९६२ को देवरिया जिले की चीनी मिलों पर जितनी रकम गन्ने के मूल्य के रूप में बकाया थी उसका विवरण

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने की कीमत की बकाया रकम (लाख रु० में)	अभियुक्तियां
१	२	३	४
१	गौरीबाजार	१.९३	
२	बैतालपुर	८.५३	
३	देवरिया	१२.२७	
४	भटनी	९.३६	
५	परताबपुर	कुछ नहीं	
६	छितौनी	१४.७९	
७	खद्दा	८.१३	
८	कैप्टनगंज	१०.८३	
९	लक्ष्मीगंज	१२.६९	
१०	रामकोला (पी)	१८.४०	
११	रामकोला (के)	१७.७४	
१२	पदरौना	१५.१८	
१३	कठकुइयां	७.४२	
१४	सेवरही	२१.३८	
	योग ..	१,५८.६५	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५३–१५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११०२ पर)

प्रश्न संख्या १५३ से सम्बन्धित सूचना

(१६ जून से ३० जून, १९६२ की अवधि के बारे में)

अपराध धारा	व्यक्तियों की संख्या जो चालान किये गये और उन पर मुकदमें चलाये गये
१	२
१०९ दं० वि० सं०	६४
११० दं० वि० सं०	२९
१९ आर्म्स ऐक्ट	६८
६० आबकारी ऐक्ट	८७

प्रश्न संख्या १५४ से सम्बन्धित सूचना

(१६ जून से ३० जून, १९६२ की अवधि के बारे में)

अपराध	हरिजन	सामान्य व्यक्ति
१	२	३
१०९ दं० वि० सं०	२५	३९
११० दं० वि० सं०	१६	१०
१९ आर्म्स ऐक्ट	२३	४९
६० आबकारी ऐक्ट	४६	७६

प्रश्न संख्या १५५ से सम्बन्धित सूचना

(१६ जून से ३० जून, १९६२ की अवधि के बारे में)

अपराध	चालानी रिपोर्ट जिन में बाद में भेजी गई	चालानी रिपोर्ट जिन में अभी तक नहीं भेजी जा सकी है	अभियुक्त जो जेल में हैं	टिप्पणी
१०९ दं० वि० सं०			१	चालान हो जाने के पश्चात् जेल में हैं क्योंकि जमानत नहीं हो सकी।

अपराधो	चालानी रिर्पोर्ट जिनमें बाद में भेजी गई	चालानी रिपोर्ट जिनमें अभी तक नहीं भेजी जा सकी हैं	अभियुक्त जो जेल में हैं	टिप्पणी
११० दं० वि० सं० ..	..	..	..	
६० आबकारी ऐक्ट	८७	३५	२	इनमें से १ व्यक्ति थाना गोला की एक डकैती से संबंधित है तथा उसकी शिनाख्त की कार्यवाही होनी है। दूसरे व्यक्ति की जमानत अभी तक नहीं हुई है।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११०३ पर)

बरामद की गई वस्तुओं का विवरण

१—२ एस० बी० बी० एल०, सी० एम० गन ।

२—१ एस० बी० एम० एल० सी० एम० गन

३—६ सी० एम० पिस्टल्स व रिवालवर्स

४—१ बन्दूक का लकड़ी का हत्था

५—अस्त्र बनाने के निम्नलिखित औजार तथा सामान

(क) रंदा

(ख) कुल्हाड़ी

(ग) २ छोटी हथौड़ी

(घ) ३ समसी

(ङ) १ निहाई

(च) ७ सुम्बी

(छ) ५ छेनी

(ज) १ बर्मा

(झ) १ कैंची चादर काटने वाली

(ञ) १ रेती

(ट) १ धौकनी

(ठ) १ छटांक रांगा तथा

(ड) ५ टुकड़े पीतल की चादर के ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ११०७ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय) निवारण (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ।)

विधान सभा द्वारा जोड़े गये शब्द रेखांकित कर दिये गये हैं और निकाले गये शब्द कोष्टक [ ] में रख दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने के अभिप्राय से अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये ;

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने के लिये अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था की जाय :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के तेहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा अवधि

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) इसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष समाप्त होने पर यह प्रभावी न रहेगा, सिवाय ऐसी बातों के संबंध में जिन पर उक्त समाप्ति के पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो और यूनाइटेड प्रार्विसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ इस अधिनियम की समाप्ति पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी मानो यह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

अधिनियम की प्रवृत्ति

२—आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये यह अधिनियम ऐसी समस्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर प्रवृत्त होगा जिनकी सकल वार्षिक आय १,२०० रुपये या उससे अधिक हो या जिनकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के संबंध में जिसकी सकल वार्षिक आय १,२०० रुपये से कम हो या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये से कम हो, इस बात का समाधान हो जाने पर कि उसकी सम्पत्तियों का अपव्यय हो रहा है, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस संस्था पर आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे, और तत्पश्चात् वे उपबन्ध उस संस्था पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जिस प्रकार वे १,२०० रुपये या उससे अधिक की आय वाली संस्था पर जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो उस पर प्रवृत्त होते हैं।

परिभाषाएं

३—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "अपव्यय" का तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो कि संबंधित हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के उद्देश्यों या परम्पराओं के अथवा उसकी आय के अनुरूप न हो ;

(ख) "आयुक्त", "सहायक आयुक्त" तथा "अनुसन्धान अधिकारी" का क्रमशः तात्पर्य धारा ४ के अधीन नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, तथा अनुसंधान अधिकारी से है,

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(घ) "न्यासधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से है चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसमें किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था का प्रशासन निहित हो और उसमें वह अथवा व्यक्ति निकाय भी सम्मिलित है, जो इस प्रकार उत्तरदायी हो मानो वह न्यासधारी है ;

(ङ) "मठ" का तात्पर्य ऐसे मठ से है जो हिन्दू विधि के अन्तर्गत मठ समझा जाय,

स्पष्टीकरण—जब किसी मठ का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर हो किन्तु उस मठ के पास ऐसी सम्पत्तियां हों, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हों, तो इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे कि उनका प्रभाव मठ की उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों पर ही पड़े ।

(च) "मन्दिर" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक उपासना-स्थल के रूप में किया जाता हो तथा जो सार्वजनिक धार्मिक उपासनास्थल के रूप में हिन्दू जाति अथवा उसके किसी वर्ग की, अथवा उसके हित, समर्पित किया गया हो अथवा उक्त जाति या धर्म द्वारा अधिकार स्वरूप इस उपयोग में लाया जाता हो ;

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; और

(ज) हिन्दू का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों में से है जो हिन्दू धर्म के किसी रूप अथवा विकसित स्वरूप के अवलम्बी हो, जिनमें वीरशैव, लिंगायत तथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी है और इसमें बौद्ध, जैन तथा सिक्ख भी सम्मिलित हैं ।

(झ) "हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसे मठ या मन्दिर से है जो धार्मिक उद्देश्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये स्थापित है या भविष्य में स्थापित किये जायें और इनके अन्तर्गत ऐसी समस्त चल अथवा अचल सम्पत्ति भी आती हैं जो किसी मठ वा मन्दिर की हो अथवा उसके अनुरक्षण या सुधार के लिये अथवा उसमें परिवर्द्धन या उपासना के लिये अथवा उसमें संबंधित किसी सेवा या पूर्त के लिये दी गई हो अथवा निबद्ध (endowed) की गई हो और इसमें मठ या मन्दिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां, वस्त्र, आभूषण व शृंगार साधन इत्यादि भी सम्मिलित हैं किन्तु इसमें ऐसे निजी धर्मार्थ मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें जनता का हितबद्ध न हो ;

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

आयुक्तों, सहायक आयुक्तों तथा अनुसन्धान अधिकारियों की नियुक्ति

४—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार—

(क) [आयुक्तों] आयुक्त,

(ख) सहायक आयुक्तों, तथा

(ग) अनुसन्धान अधिकारियों

की नियुक्ति कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे ।

(२) राज्य सरकार [आयुक्तों] आयुक्त को [अपने-अपने] अपने अधिक्षेत्रों में अनुसन्धान अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है ।

(३) आयुक्त धारा ८ के अधीन अपने समस्त या किन्हीं अधिकारों को अपने अधीन काम करने वाले किसी सहायक आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकता है ।

(४) [प्रत्येक] आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझा जायेगा तथा होगा । ऐक्ट ४५, १८६०

(५) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित विषयों के संबंध में आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसन्धान अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो [कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट] कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी व्यवहार न्यायालय में निहित होते है, अर्थात् : ऐक्ट ५, १८९८

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथपूर्वक या प्रतिज्ञान सहित उसका बयान लेना तथा स्थानीय निरीक्षण करना,

(ख) लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना,

(ग) साक्षियों का बयान लेने, लेखा की परीक्षा करने तथा स्थानीय [निरीक्षण] अनुसंधान करने के लिये कमीशन जारी करना ।

आयुक्त, आदि का हिन्दू होना

५—[प्रत्येक] आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसन्धान अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो ।

अध्याय ३

सम्पत्ति अपव्यय निवारण

धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण

६—(१) जब राज्य सरकार को या [किसी] आयुक्त को यह आशंका हो कि उसके अधिक्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की, जिसकी सकल वार्षिक आय उसे १,२०० रुपये या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये या उससे अधिक प्रतीत हो, सम्पत्ति के अपव्यय किये जाने की सम्भावना है, तो वह अनुसन्धान अधिकारी को उक्त हिन्दू सार्वजनिक

धार्मिक संस्था का यहां की गई व्यवस्था के अनुसार सर्वेक्षण का निदेश दे सकता है ।

(२) अनुसंधान अधिकारी, उक्त सर्वेक्षण पूरा करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा और उसे आयुक्त को प्रस्तुत करेगा :

(क) वर्तमान न्यासधारियों तथा प्रबन्धक के नाम तथा न्यासधारी और प्रबन्धक के पद के उत्तराधिकार अथवा नियुक्त से संबंधित ब्योरे,

(ख) संस्था की अथवा उसके आधिपत्य में चल तथा अचल सम्पत्ति के, जिसमें नकदी, भंडार, रत्नाभूषण, सोना, चांदी तथा मूल्यवान् पाषाण आदि भी हैं, ब्योरे तथा उनका प्राक्कलित मूल्य,

(ग) संस्था की राज्य सरकार के तदर्थ अनुदेशों के अनुसार निर्धारित सकल वार्षिक आय,

(घ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जांय ।

(३) उपधारा (२) के खंड (ग) के अधीन सकल वार्षिक आय का निर्धारण संस्था के न्यासधारियों तथा प्रबन्धकों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् किया जायेगा, किन्तु उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अनुसंधान अधिकारी की उपपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगी ।

(४) उपधारा (३) के अधीन अनुसंधान अधिकारी की उपपत्तियों से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, नियत अवधि के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकता है

(५) जब अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण या आयुक्त के निर्णय से यह पाया जाय कि उक्त संस्था की सकल वार्षिक आय बारह सौ रुपये से कम है या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम हो किन्तु राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था की सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस संस्था पर प्रवृत्त होंगे और तत्पश्चात् वे उपबन्ध उस संस्था पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे धारा २ में निर्दिष्ट किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर प्रवृत्त होते हैं ।

सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये पूर्व अनुमोदन आवश्यक

७—(१) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर न प्राप्त कर ली गई हो कि हस्तान्तरण आवश्यक अथवा संस्था के लिये लाभदायक है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "हस्तान्तरण" में किसी चल सम्पत्ति का जैसे भोग, प्रसाद तथा इसी प्रकार की किसी वस्तु का, रूढ़िगत उपयोग या वितरण सम्मिलित नहीं है ।

(२) आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर, अपील उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसके अधिक्षेत्र के भीतर संस्था का मुख्यालय अथवा सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो, और अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा ।

आयुक्त के सामान्य अधिकार ।

८---आयुक्त को अपने अधिक्षेत्र में स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के विषय पर जिसके संबंध में धारा ६ के अधीन कार्यवाही करने का निदेश दिया गया हो, निम्नलिखित अधिकार होंगे---

(क) प्रवेश के समय, स्थान और रीति के संबंध में संस्था के रूढ़िगत निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, संस्था के भू-गृहादि अथवा उससे संबंद्ध किसी उपासनास्थल में प्रवेश करना ;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा उससे संबंद्ध सभी अभिलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करना ;

(ग) संस्था की निधि, सम्पत्ति अथवा आय के संबंध में, ऐसे प्रतिवेदन, विवरण, लेखे या अन्य सूचना ऐसे समय और आकार में मांगना जिसका वह निर्देश दे ;

(घ) न्यासधारियों अथवा प्रबन्धक के पास की आवश्यकता से अधिक निधि के किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा प्रतिभूति में जमा किये जाने का निदेश देना; यदि निर्दिष्ट समय में उक्त निर्देश का पालन न किया जाय तो उस निर्देश के पालन के लिये रिसीवर नियुक्त करना ;

(ङ) संस्था की तथा उसके आधिपत्य में सम्पत्ति के संरक्षण के लिये कार्यवाही करना, जिसमें उसके रत्नाभूषणों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करना भी सम्मिलित है, परन्तु इस प्रकार नहीं कि न्यासधारी प्रशासन के अधिकार से वंचित हो जाये ;

(च) संस्था के लिये गत (lost) किसी सम्पत्ति की वसूली के लिये कार्यवाही करना ;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (घ), (ङ) या (च) के अधीन अन्तिम आदेश देने के पूर्व आयुक्त सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देगा ।

न्यासधारी आदि द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य करने से इनकार करने पर शास्ति

९---यदि कोई न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक या अभिकर्त्ता अथवा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य कोई व्यक्ति---

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों के पालन करने से इनकार करे या उनकी उपेक्षा करे या उनका पालन न करे, अथवा इस अधिनियम के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डाले, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगे गये प्रतिवेदन, विवरण, लेखे या अन्य सूचना देने से इनकार करे अथवा देने में उपेक्षा करे अथवा न दे,

तो वह न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति अभियोजन का पात्र होगा और सिद्ध-दोष पाये जाने पर एक मास तक के साधारण कारावास से या अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जायेगा ।

सरकारी अधिकारियों द्वारा लेख्यों की प्रतिलिपियाँ अथवा उनके उद्धरण का निःशुल्क दिया जाना

१०---समस्त सरकारी अधिकारी, जिनके संरक्षण में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था से अथवा उसकी किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से संबंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर, प्रतिवेदन , अन्य लेख्य हों, उनकी प्रतिलिपियां अथवा उद्धरण, जिनकी आयुक्त, सहायक आयुक्त या अनुसंधान अधिकारी अपेक्षा करे, निःशुल्क देंगे ।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण ।

११—(१) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों के अधीन किये गये अथवा किये गये प्रकट होने वाले किसी कार्य के लिये, यदि वह सद्भावना से और अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित कर्त्तव्यों के निष्पादन अथवा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में किया गया हो, किसी दीवानी या फौजारी कार्यवाही का भागी न होगा ।

(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के कारण अथवा इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात से हुई अथवा सभावित किसी हानि, अथवा हुई या संभावित किसी क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध न तो कोई वाद चलाया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

न्यायालय में आदेशों आदि के विरुद्ध अपील ।

१२—इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, इस के उपबन्धों के अधीन [राज्य सरकार] आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त या अनुसन्धान अधिकारी द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अथवा दिये गये आदेश, किये गये निर्णय, की गयी कार्यवाही, अथवा की गयी किसी अन्य बात के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील ऐसी विज्ञप्ति, आदेश, निर्णय, कार्यवाही अथवा अन्य बात की तिथि से तीस दिन के अन्दर की जा सकेगी ।

निदेश देने का अधिकार ।

१३—समय-समय पर राज्य सरकार आयुक्त को नीति के प्रश्नों पर ऐसे लिखित सामान्य अथवा विशेष निदेश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के अन्तर्गत उचित समझती है और आयुक्त अपने कर्त्तव्यों के पालन में उनका अनुसरण करेगा ।

व्यावर्त्ति यू० पी० ऐक्ट १६, १९३९ नियम ।

१४—इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर प्रवृत्त न होगी जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ प्रवृत्त होता हो ।

१५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(१) धारा ६ के अधीन सर्वेक्षण करने से संबंधित विषय,

(२) धारा ७ के अधीन प्रस्तावित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये स्वीकृति देने या ऐसी स्वीकृति देने से इनकार करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा ८ में उल्लिखित अधिकारों का अयुक्त द्वारा उपयोग किया जायेगा,

(४) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने वाले विवरणों, विवरणियों (returns), रजिस्टरों तथा अन्य प्रपत्रों (Forms) के आकार तथा वह रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे,

(५) लेखों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिये लगाये जाने वाले शुल्क,

(६) प्रमाण-पत्रों, आदेशिकाओं तथा नोटिसों के जारी किये जाने के लिये लगाया जाने वाला शुल्क,

(७) प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये जाने वाले शुल्क,

(८) न्यासधारियों या हिन्द सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट, विवरणियां, लेखे अथवा अन्य सूचना,

(९) आयुक्त को अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ।

नियमों का विधान मण्डल के सदनों के समक्ष रखा जाना ।

१६—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष,जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा निष्प्रभावना (annulment) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निष्प्रभावन संबंध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

उद्देश्य तथा कारण

राज्य में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के समुचित प्रबन्ध तथा नियंत्रण के निमित्त विधायन के प्रश्न पर सरकार गत कुछ वर्षों से विचार कर रही है । उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक , १९५५ विधान सभा में १९ अगस्त, १९५५ को पुनःस्थापित किया गया था, परन्तु बाद में वह व्यपगत हो गया । तब से नीति विहीन व्यक्ति इन संस्थाओं की अचल और चल सम्पत्तियों का हस्तांतरण तथा प्रतिस्थापन करते आ रहे हैं । उक्त विधेयक शीघ्र ही फिर से पुरः स्थापित किया जाने वाला है, परन्तु अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिनियमितियों के कारण इस विधेयक के फिर से पुरःस्थापन में कुछ समय लग जाने की संभावना है । क्योंकि हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों का और अधिक अपव्यय नहीं होने दिया जा सकता था और इन संस्थाओं की सम्पत्तियों के संरक्षण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा भावी हस्तांतरण के प्रतिषेध के लिये तत्काल कार्यवाही की आवयश्कता स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही है, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० में उक्त सम्पत्तियों के अपव्यय के निवारण के निमित्त अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है ।

लक्ष्मी रमण आचार्य,
समाज कल्याण मंत्री ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (विधेयक, १९६२ के उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं भी सम्मिलित हैं

विधेयक के विभिन्न खंडों के उन उपखंडों का जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं भी सम्मिलित हैं तथा उनके क्षेत्र का नीचे उल्लेख किया जाता है :

क्रम-संख्या	खण्ड	उपखण्ड	विधायन अधिकार
१	६(२)	(घ)	इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था से सम्बद्ध विवरणों में दिये जाने के लिये उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित ब्योरों के अतिरिक्त ब्योरे नियत करे ।
२	१५		इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है :— (१) धारा ६ के अधीन सर्वेक्षण तथा तत्सम्बन्धी जांच करने से से सम्बद्ध विषय । (२) धारा ७ के अधीन सम्पत्ति के प्रस्तावित हस्तांतरण का अनुमोदन करने से इन्कार करने के कारण तथा ऐसा अनुमोदन करने या ऐसा अनुमोदन करने से इन्कार करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया । (३) वह रीति जिसके अनुसार धारा ८ में उल्लिखित अधिकारों का आयुक्त द्वारा उपयोग किया जायेगा । (४) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने वाले विवरणों, विवरणियों (returns), रजिस्टरों तथा अन्य प्रपत्रों (forms) के आकार तथा वह रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे । (५) लेखों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिय लगाये जाने वाले शुल्क । (६) प्रमाण-पत्रों, आदेशिकाओं तथा नोटिसों के जारी किये जाने के लिये लगाये जाने वाले शुल्क । (७) प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये जाने वाले शुल्क । (८) न्यासधारियों या धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट, विवरणियां, लेख अथवा अन्य सूचना ।

विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के लिये उपर्युक्त प्रस्थापनाएं सामान्य प्रकार की हैं ।

लक्ष्मी रमण आचार्य,
समाज कल्याण मंत्री ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये अन्य संशोधनों की सूची (विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन जिनका विधान परिषद् के संशोधनों में संदर्भ, संशोधित संशोधनों के नीचे कोष्ठकों के भीतर दे दिये गये हैं)।

खंड २

(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्य की आठवीं पंक्ति में शब्द "संस्था पर" के बाद शब्द "या ऐसी संस्था पर" और बढ़ा दिये जांय।

(२) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (३) में आये हुये शब्द "उस पर" निकाल दिये जांय।

[(३) खंड २ की अंतिम पंक्ति में शब्द 'पर' के बाद और शब्द "प्रवृत्त" के पहले निम्नांकित जोड़ दिया जाय :—

"जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो उस पर"।]

खंड ४

(३) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (७) में से शब्द "अपने" निकाल दिया जाय।

[(७) खंड ४ के उपखंड (२) में शब्द "आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रखा दिया जाय और इसी उपखंड में शब्द "अपने-अपने" स्थान पर शब्द "अपने" रख दिया जाय।]

(४) उपखंड (२) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में से शब्द "अधिक्षेत्रों में" निकाल दिये जायं।

(५) उपखंड (३) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में से शब्द "अपने अधीन काम करने वाले" निकाल दिये जायं।

(६) उपखंड (४) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "समझा जायगा तथा होगा" के स्थान पर शब्द "समझे जायेंगे तथा होंगे" रख दिये जायं।

खंड ६

(७) उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'रुपये' के बाद शब्द 'या उससे अधिक' और जोड़ दिये जायं।

(८) विधान सभा द्वारा दिये गये संशोधन संख्या (१३) में शब्द "या" के बाद के शब्दों के स्थान पर शब्द "उसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम है" रख दिये जायं।

[(१३) खंड ६ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और "किन्तु" के बीच निम्नांकित जोड़ दिया जाय :—

"या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम हो"।]

खंड ८

(९) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (१४) में प्रथम व दूसरी पंक्ति में शब्द "निर्देश" के स्थान पर शब्द "निदेश" रख दिये जायं।

[(१४) खंड ८ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"यदि निर्दिष्ट समय में उक्त निर्देश का पालन न किया जाय तो उस निर्देश के पालन के लिये रिसीवर नियुक्त करना"।]

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५८ एल० ए०—१९६२—८४५।